राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ४] द्वितीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का ६ठा दिवस [संख्या ५

बुधवार, २९ अक्टूबर, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

मेसर्स गणेश आयर्न फैक्ट्री को टीन के पत्तरों के पर्मिट

१२१. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister for Civil Supplies be pleased to state :

(a) Is it correct that a permit No. 345 G. C. for iron sheets was issued in 1956, in favour of the proprietor of M/s. Ganesh Iron Factory, Ajmer ?

(b) Is it correct also that the said permit was cancelled by the Ajmer Government as M/s. Ganesh Iron Factory was found selling its quota in black market, but the Rajasthan Government has now restored it ?

उप मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (a) Yes. The proprietors of M/s. Ganesh Iron Factory were issued 345 G. C. sheets by the Ajmer Government in 1955.

(b) No. Vide Ajmer Government order No. FCS-5/22/55- Confl. dated 25-11-57, their quota was suspended only for 2 years.

श्री पी० के० चौधरी : was that permit cancelled by the Ajmer Government ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I have already told that the permit was not cancelled. Quota was suspended and that was only for two years.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : Why was this quota cancelled ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Because there were certain charges of malpractices against them.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Were these charges enquired into by the Government ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The question does not arise, because it was only for two years and later on when the period expired, the Rajasthan Government renewed the quota

Page No.2

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

on the condition that he will not indulge in anti-social activities.

श्री श्रीभानसिंह : Did the Government absolve the firm of the charges levelled by the Ajmer Government ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The answer was very clear that the quota was suspened only for a particular period and after the lapse of that time he requested that the quota may be granted to him and, therefore, the Rajasthan Government granted the quota on the condition that he will not indulge in anti-social activities.

श्री श्रीभानसिंह : The Hon. Minister stated that the Government directed the man that he shall not indulge in anti-social activities. Do these anti-social activities mean subversive activities ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : There were charges against him. They were enquired into by the Ajmer Government. They had nothing to do with the Rajasthan Government. When the question came for the restoration of the quota, the Rajasthan Government decided to restore the quota.

श्री पी०के० चौधरी : Before restoring the quota, did the Rajasthan Government enquire into the charges for which the quota was suspended by the Ajmer Government.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The question does not arise because the charges had already been enquired into and there were specific orders of the Ajmer Government. The only question was as to whether the quota should be restored or not. The party gave an undertaking specifically that he will not in future indulge in anti-social activities.

श्री श्रीभानसिंह : Did the Ajmer Government mention this thing that after two years the quota should be restored ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : It was not necessary; but the suspension was only for a particular period.

ठिकाना उनियारा की डिस्पेन्सरी

१७३. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ठिकाना उनियारा की डिस्पेन्सरी सरकार ने अपने आधीन ले रखी है ?

(२) अगर हां, तो कब से और इसकी कितनी दफा मरम्मत हुई है ?

(३) क्या यह सही है कि डिस्पेन्सरी के उस भाग की जिसमें डॉक्टर रहता है, हालत खतरनाक है ?

(४) क्या इसके बारे में सरकार के पास कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हो चुका है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूरामिर्धा) (१) : जी हां ।

(२) १८-६-५४ से । इसकी मरम्मत अभी तक नहीं की गई है ।

Page No.3

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(३) मरम्मत की आवश्यकता है।

(४) जी नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मिनिस्टर साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि बार बार ऐसे सवाल आते हैं और हाउस का समय भी नष्ट होता है कि चार–चार वर्ष हो गये हैं हमने हजारों रुपयों की बिल्डिंगें संभलाई हैं और अभी तक उनकी मरम्मत नहीं हुई है। किन्हीं की पट्टियां टूट गई हैं, किन्हीं का कुछ हो गया है। हमने जो बिल्डिंगें सम्भलाई हैं वे प्रजा के हित के लिये सम्भलाई हैं। हम तो सोचते थे कि इनका और डेवलपमेंट होगा बल्कि वे तो और गिरती जा रही हैं। इलाज का यह हाल है कि डॉक्टर लोग छ–छ महीने तक नहीं हैं। अगर आपसे नहीं सम्भलती हैं तो आप हमें उन्हें वापिस सम्भला दीजिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने बड़ी कृपा की कि बिल्डिंगें सम्भलाई हैं लेकिन अब उनकी मरम्मत कराने के लिए जल्दी कर रहे हैं। अभी तक पी० डब्ल्यू० डी० की रिपेयर की लिस्ट में नहीं थीं। उसके बाद में बरसात थी, अब बरसात खत्म हुई है। अब रिपेयर करवायेंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि मिनिस्टर साहब की कॉन्स्टीटुएन्सी की बिल्डिंगें देखिये, मालपुरा की बिल्डिंगें देखिये। हर साल छ–छ महीने में व्हाइट वाश होता है और यहां चार–चार वर्ष हो गए, कहीं उनकी पट्टियां टूट गई हैं और कहीं कुछ हो गया है?

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

सांभर–मालपुरा सड़क का निर्माण

१७४. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Public Works Minister be pleased to state :-

(a) When was the Sambhar-Malpura road first constructed ?

(b) Is it correct thet during the monsoon season this road remains closed for traffic ?

(c) Is it a kaccha or pucca road ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (a) In the year 1944.

(b) Yes.

(c) Partly kaccha and partly pucca.

श्री पी० के० चौधरी : Since when it was last repaired ? इसकी लास्ट रिपेयर कब हुई थी?

श्री नाथूराम मिर्धा : किस रास्ते की?

श्री पी० के० चौधरी : जहां ब्रीचेज़ होती हैं उसकी लास्ट रिपेयर कब हुई थी?

श्री नाथूराम मिर्धा : ब्रीचेज़ नहीं होती हैं। दूदू से जो मालपुरा तक की सड़क है वह कच्ची सड़क है। उसको पक्की बनाने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिर्फ १०,००० का टोकन प्रोविज़न है और वह भी साल की योजना के आखिरी साल में शुरू करने की बात है। दूदू से सांभर तक की रोड़ को दुबारा मैटल्ड करवानी है और उसको टार कराने की योजना है। उसको भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लेने का है।

Page No.4

श्री पी० के० चौधरी : टोकन प्रोविज़न का क्या मतलब है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसको शुरू कर दी है इस योजना में।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर चन्द्रकला।

जयपुर शहर की हरिजन बस्तियां

१७५. डॉ० बहादुर सिंह (धौलपुर) : (डॉ० चन्द्रकला की अनुपस्थिति में) क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर शहर 'सी' क्षेत्र (किशनपोल) में सामूहिक रूप से बसी हुई कितनी हरिजन बस्तिया हैं ?

(ख) इन बस्तियों के सुधार के लिए सरकार की क्या योजना है ? यदि हां, तो वह योजना सरकार कब तक क्रियान्वित करने का विचार रखती है ?

(ग) क्या हरिजन बस्ती हसनपुरा को वहां स्थायी रूप से बसा दिया गया है ? यदि हां, तो फिर जमीनों के पट्टे देकर उन्हें पक्के मकान बनाने की सुविधा क्यों नहीं दी जाती है ?

(घ) क्या उपरोक्त बस्तियों में रोशनी, पानी तथा टट्टी आदि की पर्याप्त व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों, तथा कब तक ये सुविधायें वहां मिल जायेंगी ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :
(स्वायत्त शासन मन्त्री की ओर से)
(क) जयपुर शहर 'सी' क्षेत्र किशनपोल में सामूहिक रूप से बसी हुई निम्न हरिजन बस्तियां हैं :

(१) हसनपुरा हरिजन बस्ती,

(२) लाल कोठी हरिजन बस्ती,

(३) नारी का नाका हरिजन बस्ती,

(४) जेर कोट गंदी मोरी हरिजन बस्ती, चौकड़ी तोपखाना देश।

(ख) योजना सरकार के विचाराधीन है।

(ग) हसनपुरा में रहनेवाले हरिजनों को वहीं पर स्थायी रूप से बसाने के लिए एक योजना स्वीकार की जा चुकी है तथा रियायती मूल्य पर भूमि दी जा चुकी है। पट्टे देने की कार्यवाही चल रही है।

(घ) योजना में हसनपुरा की हरिजन बस्ती के लिए नल-बिजली आदि की व्यवस्था है जो शीघ्र ही क्रियान्वित की जायेगी।

एक माननीय सदस्य : पट्टे कब तक दे दिये जायेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एग्जेक्ट डेट तो पता नहीं है। हां, कार्यवाही जारी है इसलिए ड्यू डेट पर मिल जायेंगे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या हरिजन बस्तियों का सुधार करने की कोई योजना सरकार के पास है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो बड़े विस्तार का दूसरा क्वेश्चन है जो इससे सम्बन्ध नहीं रखता।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने पूछा था कि क्या योजना है या नहीं हरिजन बस्तियों को सुधारने के लिए ?

श्री नाथूराम मिर्धा : योजना तो है। हरिजन बस्तियों को साफ करवाया जा सकता

Page No.5

(श्री नाथूराम मिर्धा)

है और जितना धन है उसके मुताबिक खर्च किया जा सकता है ।

श्री लादूराम (दूदू) : यह योजना हरिजनों को यहीं बसाने की है या दूसरी जगह ले जाकर बसाने की है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दोनों प्रकार की हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : यह पट्टे देने की कार्यवाही कब से शुरू है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एग्जेक्ट तिथि तो मेरे पास नहीं है ।

श्री लादूराम : क्या किसी को पट्टे दिये गये हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि कार्यवाही चालू है ।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी ।

कोटा बांध के निकट चम्बल नदी का बहाव

१७६. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा): Will the Minister for Irrigation be pleased to state:

(a) What was the rate of flow of water through the Chambal River near the Kota Barrage, both at a point just up stream of the dam site as well as at a point down stream of the dam site on various dams during the months of April and May, 1958 ? (Rate of flow should be given in the cubic ft. per second).

(b) what is the maximum water throwing capacity of the pumps which were in operation during the months of April and May, 1958 for sucking out water from the river bed at the dam site where the key wall across the river is being erected ?

गृहमन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (a) Flow in the river during the month of April and May, 1958 was nil. However, about 85 cusecs was regularly put into river on the down stream side by pumps installed for dewatering the foundation of the earthen Dam.

(b) Maximum installed pumping capacity during these months was about 110 cusecs; while the average pumping rate was about 65 cusecs.

श्री पी० के० चौधरी : What was the flow of water down-stream (part a)

श्री अध्यक्ष : Nil.

श्री पी० के० चौधरी : No, Sir, I refute the statement. There was a flow.

श्री रामकिशोर व्यास : No, there was none.

श्री पी० के० चौधरी : There was flow of water. I have seen it myself.

श्री अध्यक्ष : He says that 85 cusecs was regularly put into river on the down stream side by pumps installed, otherwise there was no flow.

श्री पी० के० चौधरी : My question was intended to draw attention to the fact that the flow of water was mucb more than the capacity of the pumping sets and the water flowing through the steel pipes.

श्री रामकिशोर व्यास : अप्रेल और मई में तो खाली बंधे में ही बंद हो जाता है ।

नगरपालिकाओं को जमीन बिक्री के अधिकार

१७७. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) नगरपालिका गंगाशहर, भीनासर तथा नौखा, जिला बीकानेर को जमीन बिक्री के अधिकार क्यों नहीं दिये जा रहे हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नगर-पालिकाओं ने जमीन बिक्री के अधिकारों की मांग की है जिससे बिक्री से प्राप्त राशि को पीने का पानी, सड़क निर्माण तथा ड्रेनेज़ आदि आवश्यक जनहित-कार्यों में खर्च कर सकें ?

(ग) उपरोक्त पालिकाओं की कितनी राशि जमीन बिक्री से प्राप्त सरकार के पास है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (स्वायत शासन मन्त्री की ओर से) (क) नगरपालिका गंगाशहर, भीनासर तथा नौखा, जिला बीकानेर, को जमीन बेचने के अधिकार सिटी इम्प्रूवमेन्ट कमेटी व टाउन इम्प्रूवमेंट बोर्ड को होने से नगरपालिकाओं को नहीं दिए गए हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) गंगाशहर, भीनासर तथा नौखा की नगरपालिकाओं के सरकार के पास क्रमशः १०,५२५.४७ रुपये, २६३२.२५ रुपये और ६३,२६२.७७ रु० जमा है ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) जब कि सरकार ने म्युनिसिपैलिटियों और पंचायतों को जमीन बेचने के अधिकार दे दिये हैं तो नगरपालिकायें इस अधिकार से क्यों वंचित की गई हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ शहर या कस्बे ऐसे हैं, जहां ये इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड ही बने हुए हैं और वे यह काम करते हैं । इसलिए यह काम नगरपालिकाओं के पास नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : तो क्या इम्प्रूव-मेन्ट बोर्ड नगरपालिकाओं से ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अच्छे या बुरे काम करने का प्रश्न नहीं है । यह तो एक संगटन है और वह काम करता है और काफी अर्से से करता चला आ रहा है ।

श्रीमूलचन्द डागा : तो इसका मतलब यह है कि आपने पंचायतों और नगर-पालिकाओं को जो ये अधिकार दे रखे हैं ये सरकार की नीति के विरोध में नहीं हैं क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा नहीं है। वह भी एक खुद की अलग बॉडी है जो एक तरीके का काम करती हैं ।

Page No.7

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या यह सही है कि इन जगहों पर म्युनिसिपैलिटियों को जमीन बेचने के अधिकार नहीं हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, यह सही है ।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : आपने नम्बर दो का जबाब तो दिया ही नहीं, जहां यह लिखा है कि क्या यह सही है कि उक्त नगरपालिकाओं ने जमीन बिक्री के अधिकारों की मांग की है । क्या इस तरह के कागजात आपके पास हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा, जी हां।

श्री गिरधारीलाल : आपके पास के कागजात कब से पेन्डिंग हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास तिथि नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जयपुर की नगरपालिका को अपनी सीमा में जमीन बेचने का अधिकार है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह अलग प्रश्न है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी आपने उत्तर दिया कि जहां इम्प्रूवमेंट बोर्ड्स हैं वहां म्युनिसिपैलिटियों को जमीनें बेचने का अधिकार नहीं है, परन्तु यहां जयपुर में तो वह अधिकार है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जयपुर का अलग हिसाब है । जहां इम्प्रूवमेन्ट एरिया है वहां अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड है और वहां बेचने का उसी को अधिकार है और जो जमीन उसके अन्डर में नहीं है वहां म्युनिपैलिटी को अधिकार है ।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

रेन्ट कन्ट्रौल एक्ट

१७८. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट किन किन शहरों पर लागू है ?

(ख) क्या यह सही है कि मन्डी मन्डावर, जिला सवाई माधोपुर एक व्यापारिक केन्द्र हो जाने से वहां मकानों के किराये अत्यधिक बढ़ गये हैं तथा गरीब जनता को बड़ी परेशानी हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट को मन्डावर में भी लागू करने का विचार रखती है ?

गृहमंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट जिन शहरों में लागू है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) सन् १९५७ में किरायेदार संघ मंडी मंडावर के यहां से एक प्रार्थनापत्र सरकार के पास आया था, जिसमें रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट को मंडावर में लागू करने के लिये प्रार्थना की गई थी । मंडावर एक बहुत छोटी मंडी है जिसमें १००, १५० दुकानें हैं । पिछली गणना के अनुसार इसकी आबादी २५३६ है । कलेक्टर साहब ने भी, जिनकी राय मांगी गई थी बताया है कि इस मंडी में अभी उक्त एक्ट को लागू करने की आवश्यकता नहीं हैं । अतः यह एक्ट लागू नहीं किया गया ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट किस आधार पर शहरों पर लागू किया जाता है ?

Page No.8

श्री रामकिशोर व्यास : परिस्थितियों पर डिपेन्ड करता है कि कितने मकानों की डिमान्ड है, कितनी जरूरत है, कितने एवेलेबल हैं, आबादी कितनी है और परिस्थितियां क्या हैं ? आम तौर पर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स और डिविजनल हैड क्वार्टर्स पर ही यह होता है ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या कलेक्टर की राय फाइनल राय होती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : हां, जरूर वजन उसको दिया जाता है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : मंडावर की जनता ने मांग की है और इस प्रकार की शिकायतें की हैं कि मकान महंगे मिल रहे हैं तो क्या सरकार यह उचित नहीं समझती है कि छोटी से छोटी जगह पर भी रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट लागू किया जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट को लागू करने के लिए कोई एप्रोप्रियेट आधार नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : सरकार इस प्रकार की जाँच किस प्रकार से करती है कि अनुकूल परिस्थितियां हैं या नहीं और कानून लागू होना चाहिए या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : लोकल ऑफिसर्स के मार्फत ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) आधार क्या है ? गरीब ज्यादा हैं वहां रेन्ट कन्ट्रोल होना चाहिए ।

श्री भैरोंसिंह : क्या नगरपालिकाएं इस प्रकार के प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजती हैं कि अमुक शहर या कस्बे में रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट लागू किया जाना चाहिए, वह इस बात के लिए पर्याप्त नहीं है कि इस कानून को उस जगह पर लागू किया जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह कन्सीडर करने की बात है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट केवल शहरों में ही लाभ पहुँचाने के लिए है या ग्रामों और कस्बों या मंडियों में भी ?

श्री रामकिशोर व्यास: वह ग्रामों में भी लागू हो सकता है ।

प्रश्न संख्या १७६

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

देवली कस्बा व आस-पास के गांवों का टौंक डिस्ट्रिक्ट में सम्मिलित किया जाना

१८०. रावराजा श्री सरदारसिंह : (उनियारा) क्या गृहमंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि देवली कस्बे को मय मुलहिका गांवों के टौंक डिस्ट्रिक्ट में शामिल कर दिया गया है ? अगर हां, तो कब से, और कितने ग्रामों को ?

(ख) क्या यह भी सही है कि उन ग्रामों और कस्बों के जूडीशियल केसेज और पुलिस का ताल्लुक अजमेर से रखा गया है ?

(ग) अगर हां, तो क्यों और किन आधारों पर ?

Page No.9

गृहमंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) हां। यह सही है कि देवली की एक नई तहसील राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ ३।१। रे। डी। ५६ दिनांक २७. १२-५७ से बनाई गई और इसमें पहले की दूनी तहसील के कुल गांव और अजमेर जिले के केकड़ी सब-डिविजन के पांच गांव [१. देवली टाउन, २. देवली ग्राम, ३. बोरेडा. ४. देवपुरा और ५. इन्द्रपुरा (राजपुरा)] शामिल किये गये। यह नई तहसील ३०-१२-५७ से टौंक जिले में सम्मिलित की गई।

(ख) देवली तहसील के नव निर्माण के विषय में विधि विभाग को सूचना नहीं दी गई थी और फलस्वरूप १०-१-५८ से जो सिविल और सेशन्स न्यायालयों की नवीन व्यवस्था अजमेर जिले में प्रभाव में लाई गई, उसमें देवली को अजमेर जजशिप और सेशन्स डिविजन के अन्तर्गत ही बताया गया था। बाद में जब देवली तहसील के नव निर्माण और उसको टौंक जिले में शामिल रखने के बाबत जानकारी मिली, तब २३ मई, १९५८ को दूसरी विज्ञप्तियां न्याय विभाग से निकाली गई जिनके द्वारा देवली तहसील के दीवानी और फौजदारी मामलों के लिये टौंक जिले के टौंक सब डिविजन में रखा गया। इसके बाद रेवेन्यु विभाग ने एक और विज्ञप्ति निकाली, जिसके जरिये से देवली तहसील को टौंक सब-डिविजन से निकाल कर १ सितम्बर, १९५८ से मालपुरा सब-डिविजन में शामिल किया गया। इस पर न्याय विभाग ने उचित विज्ञप्ति निकाल कर दीवानी और फौजदारी अदालतों के क्षेत्राधिकारों में परिवर्तन किये और ये परिवर्तन भी १ सितम्बर, १९५८ से ही अमल में लाये गये। इस प्रकार अजमेर के देवली कस्बे और दूसरे पांच ग्राम के जूडीशियल कैसेज का ताल्लुक अजमेर जिले से नहीं है बल्कि टौंक जिले से रखा गया है।

(ग) उपरोक्त उत्तर के आधार पर यह प्रश्न नहीं उठता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब कि पहले इसका ताल्लुक टौंक से कर दिया गया था और वहां पर आवगमन के साधन भी हैं तो वहां टौंक से उसका ताल्लुक हटाकर मालपुरे से क्यों किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसका जवाब में नहीं दे सकता। इसका लॉ डिपार्टमेंट से डाइरेक्ट ताल्लुक है। जिस सब-डिविजन में वह रहेगा उसी क्षेत्र की कोर्ट्स से उसका सम्बन्ध करना पड़ेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वहां पर भी सब-डिविजन है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है। रेवेन्यु डिपार्टमेंट का जो सब-डिविजन लगता है, उसी लिहाज से कोर्ट को लगाना पड़ेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जिस तहसील या जिस सब-डिविजन में मिलाया जाता है तो जनता की सुविधा को देखकर मिलाया जाता है या पार्टी पोलिटिक्स से मिलाया जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जनता की सुविधा देखकर।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या सुविधा देखी ? टौंक ज्यादा नजदीक है।

श्री रामकिशोर व्यास : इसका लॉ डिपार्टमेंट से सम्बन्ध नहीं है ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : वहां पुलिस का ताल्लुक टौंक की पुलिस से कर दिया गया है या अजमेर से है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह अलग से प्रश्न है।

एक माननीय सदस्य : क्या टौंक डिस्ट्रिक्ट में और भी तहसीलें मिलाये जाने की योजना है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

प्रश्न संख्या १८१

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम

(अनुपस्थित)

महाराव श्री भीमसिंह अस्पताल कोटा में प्रसूतिगृह

१८२. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या चिकित्सा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) कोटा में महाराव भीमसिंह चिकित्सालय में प्रसूतिगृह बने कितना समय हो गया है ?

(ख) इस प्रसूतिगृह में कितनी महिलाओं के अब तक प्रसव हो चुके हैं ?

(ग) इस प्रसूतिगृह के निर्माण में कितनी धनराशि व्यय हुई है तथा यह धनराशि किसी व्यक्ति-विशेष द्वारा दी गई है या राज्य सरकार द्वारा ?

(घ) इस प्रसूतिगृह का क्या नामकरण किया गया है तथा यह नाम रखने के पीछे क्या आधार है ?

कृषि-मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा, स्वास्थ्य मन्त्री की अनुपस्थिति में) : (क) महाराव भीमसिंह अस्पताल के उद्घाटन के समय तारीख २७-१-५८ में ही इस अस्पताल में प्रसूतिगृह का आरम्भ है।

(ख) इस समय यह प्रसूतिगृह केवल जनाने वार्ड के काम आता है। अमले की न्यूनता के कारण प्रसूति व्यवस्था का पूरा प्रबन्ध नहीं है, अतः प्रसव संख्या कुछ नहीं है।

(ग) इस गृह के निर्माण में १,११,६००) रु० खर्च हुए हैं, जिसमें से ५०,०००) रु० स्वर्गीय सेठ पूनमचन्दजी की स्त्री श्रीमती हीरालक्ष्मी बाई ने दिया था व बाकी रकम राजस्थान सरकार द्वारा खर्च की गई थी।

(घ) इस प्रसूतिगृह का नाम "रायबहादुर सेठ पूनमचन्द प्रसूतिगृह" श्रीमती हीरालक्ष्मी बाई के साथ कोटा राज्य के समय में तय हुई शर्त के आधार पर रखा गया है।

श्री मूलचन्द डागा : सरकार के नामकरण करने की क्या पद्धति है ? कोई रूल्स हैं इस सम्बन्ध में या क्या पद्धति है ?

श्री नाथूराम मिर्धा: 'राजकीय' शब्द का प्रयोग करने पर संस्था से आधा लिया और ७५ प्रतिशत देने पर पूरा नाम लिखा जायगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : यहां पर कितना पर्सेन्ट दिया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह पुराने कोटा राज्य के समय का है। उस समय यह नीति नहीं थी।

श्री पी० के० चौधरी : प्रसूतिगृह चालू नहीं हुआ है तो उसमें क्या डेफिशियन्सी है ?

(श्री पी० के० चौधरी)

नर्सेज़ नहीं हैं या इन्स्ट्रमेंट्स नहीं हैं। क्या नहीं हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : स्टाफ उपलब्ध नहीं था और बजट में प्रोविजन नहीं था। अब बजट में प्रोवीजन कर दिया गया है और स्टाफ भी सैन्कशन्ड हो चुका है। अब आदमी मिल जायेंगे तो चालू कर दिया जायगा।

त्रिपोलिया बाजार में विदेशी के साथ गुण्डागर्दी की घटना

१८३. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर, डॉ० चन्द्रकला की अनुपस्थिति में) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि ता० ६-२-५८ को त्रिपोलिया बाजार, जयपुर में किसी विदेशी के साथ गुण्डागर्दी की घटना घटी थी ?

(ख) क्या सरकार ने यह पता लगाया कि वे विदेशी कौन थे ? क्या सरकार की ओर से अपनी राजधानी में घटी इस खेद-जनक घटना के लिये उनसे खेद प्रकट किया गया ?

(ग) उक्त घटना के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की और उसका क्या परिणाम आया ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी नहीं, त्रिपोलिया बाजार या जयपुर में किसी भी भाग में विदेशियों के साथ गुण्डागिरी की घटना दिनांक ६-२-५८ को होने के बाबत कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। हां, अलबत्ता उस रोज जब श्रीमान् और श्रीमती बोनेल, जर्मन, दृश्य देखने हेतु कार में बैठकर त्रिपोलिया बाजार से गुजर रहे थे तो सामने से एक जुलूस आया। उनकी कार के चालक ने गाड़ी को थोड़ी सी दाहिनी ओर मोड़ा कि कोई दुर्घटना न होवे, परन्तु उसी समय दो रिक्शे बिल्कुल सामने आ गये। कार चालक ने यकायक कार के ब्रेक लगाया तो भी रुकते-रुकते कार रिक्शे से टकरा गई, जिसके फलस्वरूप रिक्शेवाले के हाथों में खरोंच आये। इसके अतिरिक्त कोई नुकसान किसी का नहीं हुआ।

(ख) श्रीमान् और श्रीमती बोनेल जर्मन थे। चूंकि यह साफ आकस्मिक घटना थी, इसमें दुःख प्रकट करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि इसमें कोई जुर्म ही नहीं बना।

श्री पी० के० चौधरी : क्या मारपीट की गई थी पब्लिक की तरफ से ?

श्री रामकिशोर व्यास : No, there was nothing of that sort.

श्री पी० के० चौधरी : क्या इस सम्बन्ध में कोई स्टैप लिया गया था ?

श्री अध्यक्ष : वह कहते हैं कि कोई घटना ही नहीं हुई।

श्री पी० के० चौधरी : इसके अलावा इस प्रान्त में और जगह भी कोई घटना हुई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे ध्यान में नहीं है। कोई स्पेसिफिक बात हो तो पूछिये।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह बात सही है कि the Collector of District also locked up a foreigner without notice ?

Page No.12

श्री रामकिशोर व्यास : स्पेसिफिकली पूछिये, उसका स्पेसिफिक जवाब दूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : घटना जब नहीं घटी तो जानकारी किस प्रकार से प्राप्त हुई कि इस प्रकार का इन्सीडेन्ट हुआ है।

श्री रामकिशोर व्यास : जो जानकारी थी वह दे दी गई, रिक्शा वाले से मोटर टकराई थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई कम्प्लेंट थाने में दर्ज की गई थी क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : इतनी ही रिपोर्ट की गई है।

श्री भैरोंसिंह : यह जो आपने अभी फर्माया, वह किसी जाँच का निर्णय है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसे ही दोनों थाने में चले गये थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : रिक्शा वाला गया था।

श्री भैरोंसिंह : कहने का मतलब है कि रिक्शे वाले की शिकायत पर जाँच की गई तो पता लगा कि कोई घटना नहीं घटी है।

श्री रामकिशोर व्यास : रिक्शे वाला और विदेशी दोनों ही चले गये।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह है कि घटना घटी है और पुलिस विभाग ने इस तरह का उल्लेख अपने रेकार्ड में किया है कि रिक्शे वाला और विदेशी दोनों ही एक मामले को लेकर थाने में शिकायत करने को गये थे।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने डिटेल्स आपको बतला दिये हैं। पोज़ीशन यह है कि गुण्डागर्दी की कोई घटना नहीं हुई। कार में जा रहे थे, रिक्शे से कार टकरा गई और रिक्शा वाले के मामूली खरोंच आई।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार यह बतायेगी कि ये दोनों विदेशी थाने में किसलिये गये थे और उन्होंने वहां पर क्या शिकायत की?

श्री रामकिशोर व्यास : शिकायत रिक्शा वाले ने की थी।

श्री भैरोंसिंह : उसने किस बात की शिकायत की थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : थाने में दोनों ही गये थे।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Who escorted the foreigners to the Thana. इसका पता आपने लगाया ?

श्री रामकिशोर व्यास : पता करने का सवाल नहीं है। थाने में रिक्शा वाला भी गया था और विदेशी खुद भी गये थे...

श्री श्रीभानसिंह : Did the Rajasthan Government provide them an itinerary of tour that such and such Thana is at such and such place and in case of any incident they can go and report there ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी जरूरत नहीं है, गवर्नमेन्ट पिक्चर में नहीं है।

माउण्ट आबू म्युनिसिपल क्षेत्र में प्रवेश हेतु आगन्तुक कर

१८४. **श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) :** Will the Minister for Local Self Govt. be pleased to state :

Page No.13

(श्री मोहब्बतसिंह)

(a) Is the Government aware that in the times of former Sirohi State people of Abu area were exempt from the payment of visitors tax, while entering Mount Abu Municipal limits ?

(b) Does the Government propose to exempt the people of Abu Sub-division from the payment of the visitors' tax charged by the Municipality while entering Mount Abu Municipal limits?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(a) The public of the whole of the old Sirohi State including the inhabitants of Abu area were exempt from payment of the visitor's tax at Mount Abu during the period from 20. 10. 48 to 18. 1. 1952 only.

(b) There is no such proposal.

श्री मोहब्बतसिंह : क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि एस० डी० ओ० का हैड क्वार्टर माउन्ट आबू पर होने के कारण केसेज़ के सिलसिले में कई आदमियों को बार बार वहां जाना पड़ता है और जितनी बार वे वहां जाते हैं, उतनी बार ही उनको टैक्स देना पड़ता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एस० डी० ओ० का हैड क्वार्टर भी वहां पर है और जाने वालों को टैक्स भी देना पड़ता होगा।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या सरकार इस बात को महसूस नहीं करती है कि जो विज़िटर की हैसियत से वहां नहीं जाते हैं और मुकद्दमों आदि के कारण जाते हैं, उनको इस कर से मुक्ति देनी चाहिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस बारे में विचार करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : क्या वहां पर रोज आते जाते हैं, वे भी विज़िटर कहलाते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय यह इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है। इस पर और प्रकाश डालने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी ने कह दिया है कि इस पर विचार करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : टैक्स की मिकदार क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : १ रुपया।

हिस्टोरिकल भवन, जिला टौंक

१८५. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि भूतपूर्व राज्यों तथा जुरिस्डिक्शनल ठिकानेदारों के टौंक जिला में स्थित भवनों में बहुत से हिस्टोरिकल भवन भी हैं ? अगर हां, तो कहां कहां पर ?

(२) क्या यह सही है कि टौंक डिस्ट्रिक्ट में सरकार ने भूतपूर्व राज्यों तथा जुरिस्डिक्शनल ठिकानेदारों के भवनों में से भवन खरीदे हैं ? अगर हां, तो कौन कौन से और कितने वित्त में और किस काम हेतु ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) इस विभाग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

Page No.14

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(२) एक बग्गीखाना, ४०,००० रु० में ट्रेनिंग स्कूल के लिये ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मेरे प्रश्न का आपने क्या जवाब दिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने जवाब दे दिया ।

धौलपुर जिले में डाकू विरोधी अभियान

१८६ डॉ० बहादुरसिंह : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि डाकू विरोधी अभियान के सम्बन्ध में धौलपुर उप-जिले के अन्तर्गत सीमा पर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की पुलिस संख्या के हिसाब से राजस्थान की पुलिस कम है ?

(२) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या उक्त सरकारों द्वारा नियुक्त संख्या को दृष्टि में रखते हुए यह उचित नहीं कि राजस्थान पुलिस की संख्या में वृद्धि की जावे ?

श्री रामकिशोर व्यास : (१) जी हां ।

(२) अपराध संख्या, भौगौलिक स्थिति, विशेष स्थान, अभियान के क्षेत्र, जनता में भय का विस्तार, एवं पुलिस की मानसिक या नैतिक अवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अपने पुलिस दल की वही संख्या आवश्यक नहीं है जो मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में है, अतएव वर्तमान परिस्थितियों में अपने पुलिस दल की संख्या और बढ़ाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या इस प्रकार की शिकायत मध्य प्रदेश की पुलिस ने की है कि यहां की लोकल पुलिस डकैतों को शैल्टर दे रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं ।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या रूपा डाकू के दल ने अदालत का फैसला बदलवाया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : अलग प्रश्न पूछिये ।

प्रश्न संख्या १८७

श्री अध्यक्ष : मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १८८

श्री लक्ष्मी चन्द ।

(अनुपस्थित)

चिकित्सा विभाग की जीप की पेड़ से टक्कर

१८९. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) :

एवं **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा); क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ;

(१) क्या यह सही है कि सन् १९५८ के अगस्त मास में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की एक जीप कोटा व बूंदी के मध्य एक पेड़ से टकरा गई ?

(२) यदि हाँ, तो इस जीप को उस समय कौन चला रहा था ?

(३) इस जीप में उस समय कौन कौन बैठे हुए थे ?

(४) क्या इस जीप में कुछ व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई है ? यदि हां, तो किस किस की ?

Page No.15

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(१) जी हां।

(२) डॉ० जे० पी० शर्मा, असिस्टेन्ट डाइरेक्टर, हैल्थ सर्विसेज़ कोटा उसे चला रहे थे।

(३) १. डॉ० जे० पी० शर्मा।

२. डॉ० जे० पी० शर्मा की धर्मपत्नी व उनके तीन बच्चे।

३. श्री पी० आर० पंजापई, सेनिटरी इन्सपेक्टर।

४. श्री जी० पी० माथुर, सेनिटरी इन्सपेक्टर।

५. श्री विरधीलाल, कनिष्ट लेखक।

६. श्री भंवरलाल चपरासी।

७. श्री जवानसिंह चपरासी।

८. श्री प्यारेलाल ड्राइवर।

(४) दुर्घटना में श्री पी० आर० पन्जापई व श्री भंवरलाल चपरासी की मृत्यु हुई।

श्री पी० के० चौधरी : क्या डॉ० जे० पी० शर्मा ओफिशियल टूर पर जा रहे थे?

श्री नाथूराम मिर्धा : ओफिशियल टूर पर ही जा रहे थे।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या उनकी धर्मपत्नी भी टूर पर उनके साथ जा रही थी?

(उत्तर नहीं दिया गया)

डॉ० बहादुरसिंह : क्या उस मृत चपरासी के घरवालों को कुछ कम्पेन्सेशन दिया गया था?

श्री नाथूराम मिर्धा : चीफ मिनिस्टर साहब ने कुछ मदद दी थी।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या डॉक्टर की धर्मपत्नी और उनके बच्चे भी टूर पर साथ जा रहे थे।

श्री नाथूराम मिर्धा : चले जाते हैं कभी कभी घर, वालों को भी साथ ले जाते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : चपरासी के घरवालों को क्या मदद दी गई?

श्री नाथूराम मिर्धा : शायद चीफ मिनिस्टर साहब ने २००) रु० दिये थे।

श्री दयाकृष्ण विजय : जीप में चपरासी और लिपिक किस स्थान पर बैठे थे?

श्री नाथूराम मिर्धा ; मेरे पास यह सूचना नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सही है कि जीप का ड्राइवर शराब पिये हुए था?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसकी सूचना नहीं है।

श्री अर्जनदास (अजमेर पश्चिम): जीप में कितने आदमी बैठ सकते हैं आपके हुक्म से?

श्री नाथूराम मिर्धा : ओर्डिनरिली ६ आदमी बैठते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : डॉ जे० पी० शर्मा जो ड्राइव कर रहे थे, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री नाथराम मिर्धा : उनके पास गाड़ी चलाने का लाइसेन्स है, इसलिये चला सकते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय ; गाड़ी किस कारण से टकराई।

Page No.16

श्री नाथूराम मिर्धा : दुर्भाग्यवश टकरा गई और मरने वाले मर गये।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार का नियम है कि जिस व्यक्ति को गैरेज की गाड़ी मिलती है उसको उस गाड़ी के ड्राइवर के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति नहीं चला सकता?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी कोई हिदायत नहीं है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या आप यह महसूस नहीं करते कि यह नियम विरुद्ध है कि ड्राइवर के अलावा दूसरा कोई कार चलावें, यदि ऐसे नियम नहीं हैं तो क्या आप ऐसे नियम बनाने की आवश्यकता नहीं समझते ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसे नियम नहीं हैं और एक्सीडेन्ट्स भी रोज रोज नहीं होते।

श्री अध्यक्ष : There are such rules.

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसे रूल्स तो नहीं हैं। इन्स्ट्रक्शन्स या सर्कुलर्स हों, तो मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यदि इन्स्ट्रक्शन्स का उल्लंघन हुआ है तो उसकी जांच करवा ली जाय।

श्री दयाकृष्ण विजय : इसकी जांच करवा ली जाय और यदि ड्राइव करने वाला दुर्घटना के लिये रेस्पोन्सिबल हो तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रश्न संख्या १९०

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १९१

श्री बी० एन० जोशी।

(अनुपस्थित)

पक्की सड़कों की मरम्मत

१९२. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) एक बार पक्की सड़क बन जाने पर कितने वर्ष बाद उसकी मरम्मत करने का नियम है ?

(ख) बारां से अटरू जाने वाली सड़क का किस सन् में निर्माण हुआ था ?

(ग) क्या यह सही है कि इस पक्की सड़क की गिट्टी तो सब टूट चुकी है और सड़क पर बोल्डर ही नहीं निकल आये हैं अपितु कई जगह तो गहरे गहरे गड्ढे पड़ गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी पुनः मरम्मत करने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) चार-पांच साल के बाद साधारणतः मरम्मत कराई जाती है।

(ख) मील १, २, ३—सन् १९५३ में,

मील ४ से ९—१९५१ में,

मील १० से १५—१९५३ में,

मील १६ से १८—१९५७ में,

(ग) मील १ से १२ की हालत खराब है। जी हां, शुरू के तीन मीलों में मरम्मत का कार्य चालू है।

पॉवर हाउस, बीकानेर की व्यवस्था

१९३. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) :

(श्री भीमसेन)

क्या विद्युत मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने कृपा करेंगे :

(१) पॉवर हाउस, बीकानेर की इस समय क्या हालत है ? क्या भाखरा से बिजली प्राप्त होने तक वर्तमान मशीनरी काम दे सकेगी ?

(२) माह मार्च-अप्रैल सन् १६५८ में टर्बाइन के अचानक जल जाने के क्या कारण थे ? उस टर्बाइन को ठीक करने के लिए कब और क्या कदम उठाये गये ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) हालत ठीक है ।

(२) हां, आशा है ।

(३) लाइन में भारी नुक्स के कारण सैट पंक्चर हो गया । करीब दो माह तक स्थानीय इन्जीनियरों ने ठीक करने के प्रयत्न किये और उसके लिए आवश्यक सामान जुटाने का प्रयत्न किया । इस प्रयत्न में सफल न होने पर जुलाई के प्रथम पक्ष में एक एक्जीक्युटिव इंजीनियर को बम्बई भेजा गया, उसी बीच में केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग के अधिकारियों से इस विषय में परामर्श किया गया और पूरी छान-बीन के पश्चात् ८ अक्टूबर को दिल्ली की एक फर्म के द्वारा उस सैट को ठीक करने के लिए आज्ञा दे दी गई ।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि उस पॉवर हाउस में दो-तीन एन्जिन और लग गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : दो एन्जिन और लग गये हैं ।

श्री भीमसेन : आपने फर्माया कि पॉवर हाउस की हालत ठीक है, तो दूसरे दो एन्जिन लगाने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : एन्जिन लगाने के बाद ही हालत ठीक हुई ।

प्रश्न संख्या १६४

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री मोहब्बतसिंह ।

पाडीव तथा सिरोही के बीच की नदी कामेड़ी पर पुलिये का निर्माण

श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Pudlic Works Minister be pleased to state :—

1. On what date the Chief Engineer, B. &. R. Rajasthan orderd for preparing the plan and estimate of the causeway over river Kamedi between Padiv and Sirohi in Sirohi District ?

2. When was the plan with estimates submitted by the Assissant Engineer, Sirohi and to whom ?

3. What is the further progress ie this connection after the submission of the plau with estimates by the Assistant Engineer ?

4. When does the Government propose to take up this work in hand and by what time it is contemplated to be completed ?

सार्वजनिक निर्माणमन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा): I. In May, 1957.

2. On 11th December, 1957, to

(श्री नाथूराम मिर्धा)

the Executive Engineer, B. & R., P. W. D. South Division, Jodhpur.

3. The work is not included in the approved Five Year Plan and will be considered, if and when additional grant is made available.

4. Question does not arise.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

लोहे व चद्दर से भरे ट्रक का जयपुर पुलिस द्वारा पकड़ा जाना

१६६. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जुलाई सन् १९५८ में कोटा-चम्बल बांध से चोरी से आता हुआ लोहे व चद्दर से भरा ट्रक जयपुर की पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था ?

(२) यदि हां, तो ट्रक का क्या नम्बर था तथा इस ट्रक के मालिक का नाम क्या है ?

(३) क्या सरकार ने इस तस्कर कार्य के कर्त्ता तथा ट्रक मालिक के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की है ?

(४) यह ट्रक किसने किराये पर लिया था तथा सामान किस व्यक्ति का बताया गया ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां, दिनांक १८-७-५८ को माणक चौक पुलिस द्वारा लोहे के सरियों तथा टुकड़ों का एक ट्रक दफा ५५० जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत पकड़ा गया ।

(२) ट्रक का रजिस्ट्रेशन नम्बर आर. जे. एल. ५६२१ है, इसका स्वामी ज्ञात नहीं है किन्तु यह भारत गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनी कोटा के साथ सम्मिलित है ।

(३) डी० एस० पी० एन्टी करप्शन कोटा ने इस मामले की जांच की, पर यह सिद्ध नहीं हो सका कि यह माल चम्बल बांध का था । यह माल किसी प्राइवेट फर्म का होना पाया गया, अत: पुलिस ने अदालत से आज्ञा प्राप्त करने हेतु दरख्वास्त की है कि यह माल जिस पार्टी से लिया है उसे लौटा दिया जाय ।

(४) यह सामान श्री जगन्नाथप्रसाद अग्रवाल, लोहा मन्डी के द्वारा कोटा से भारत गुड्स कम्पनी से बुक कराया गया था ।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह माल किस कम्पनी का होना पाया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : जगन्नाथप्रसाद का नाम बताया, उसने बुक करवाया ।

श्री जगदीशप्रसाद (सीकर) : उसने बुक तो करवाया, लेकिन मालिक कौन है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जिसने बुक करवाया, वही उसका मालिक है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि ट्रक में जो लोहा व चद्दर थीं, उन पर कन्ट्रोल है और उसे कोई साधारण व्यापारी प्राप्त नहीं कर सकता ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसमें सरिया थी ।

श्री भैरोंसिंह : सरकार ने इस मामले में जांच कितने दिन बाद शुरू करवाई ?

श्री रामकिशोर व्यास : पुलिस ने खुद ने ट्रक पकड़ा था । तफ्तीश उसी वक्त की गई ।

Page No.19

श्री भैरोंसिंह : पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, उसके कितने दिन के बाद स्टॉक रजिस्टर कोटा बेराज का चेक किया गया और यह मालूम हुआ कि वहां से माल गया हुआ नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास : पुलिस ने खुद ने तफ्तीश की और तहकीकात के बाद माल साबित नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह : पुलिस ने तहकीकात कर दी, वह कितने दिन बाद की गई और स्टॉक रजिस्टर चैक करने के बाद कितने दिन बाद मालूम हुआ कि माल उस स्टोर से गया हुआ नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : यह कोटा की पुलिस ने ट्रक पकड़ा था।

श्री भैरोंसिंह : इसे माणक चौक जयपुर माना जाय, या कोटा पुलिस माना जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं डेफीनेट नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष : डिप्टी एस० पी० कोटा ने जांच की है।

श्री भैरोंसिंह : आप कह रहे हैं कि कोटा पुलिस ने पकड़ा है। पहले कह दिया कि जयपुर पुलिस ने पकड़ा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किसने पकड़ा था ?

श्री अध्यक्ष : माणक चौक पुलिस। माणक चौक पुलिस, जयपुर ने पकड़ा और फिर ट्रान्सफर कर दिया डिप्टी० एस० पी०, कोटा को।

श्री रामकिशोर व्यास : कोटा में भी है।

श्री भैरोंसिंह : यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ कि गिरफ्तारी वास्तव में माणक चौक, जयपुर पुलिस ने की है या कोटा पुलिस ने की है। माननीय मन्त्री जी इसका उत्तर खुद दें।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री पी० के० चौधरी : He has replied in affirmative to the first part of the questinn.

श्री रामकिशोर व्यास : एम्बीगुअस पोइन्ट यह है; मैंने पढ़ा है, "दिनांक १८-७-५८ को माणक चौक पुलिस द्वारा लोहे के सरियों तथा टुकड़ों का एक ट्रक दफा ५५० जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत पकड़ा गया।" प्रश्न यह आता है कि माणक चौक, जयपुर वाला है या कोटा का है। जहाँ तक मरी इन्फोर्मेशन है, कोटा में भी है। मैं डेफीनिट नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह : कोटा में कोई माणक चौक का थाना नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : वहाँ नहीं है तो यहाँ का होगा।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : नहीं होगा तो यहां का होगा, जवाब दे रहे हैं या मजाक कर रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं डेफीनिट नहीं हूँ कि किस पुलिस ने पकड़ा है। मैं जांच करके बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गंगादेवी डाटा।

श्री दयाकृष्ण विजय : एक प्रश्न और है...

Page No.20

श्री भैरोंसिंह : On a point of order Sir......

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हाँ।

(घंटी)

श्री भैरोंसिंह : On a point of order sir.........

श्री अध्यक्ष : जिन्होंने कहा है कि वे निश्चित नहीं हैं, वे जांच कर लेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है।

श्री भैरोंसिंह : वे जांच कर लेंगे, लेकिन सदन को जानकारी देंगे या नहीं?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने पूछा लिया है, जयपुर का थाना है।

श्री दयाकृष्ण विजय : आप बतायेंगे?

श्री अध्यक्ष : वह माणक चौक, जयपुर का है।

श्री मदनसिंह : यदि जयपुर का है, तो माणक चौक ने किस तारीख को चैक किया, यह सवाल है?

श्री अध्यक्ष : वे तारीख बता देंगे।

श्री मदनसिंह : माणक चौक थाने ने चैक कब किया, रजिस्टर कब चैक किया?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गंगादेवी डाटा।

एलेग्जेन्डरा होस्पिटल अलवर का 'ए' श्रेणी के अस्पताल में परिवर्तन

१६७ **श्रीमती गंगादेवी डाटा** (रामगढ़): क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अलवर नगर के एलेग्जेन्डरा होस्पिटल को ए श्रेणी के होस्पिटल में परिवर्तित करने की योजना सरकार के पास विचाराधीन है?

(ख) यदि हाँ, तो कब से और अब इस योजना के अनुसार कब कार्य प्रारम्भ होने वाला है।

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा, स्वास्थ्य मंत्री की ओर से): (क) जी हाँ।

(ख) यह योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वितीय वर्ष में विचाराधीन थी तथा नये वार्ड्स व भवन आदि के निर्माण का कार्य पिछले वर्ष से आरम्भ हो गया है।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : यह कब पूरा हो जायगा?

श्री नाथूराम मिर्धा : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर अन्दर।

प्रश्न संख्या १६८

श्री अध्यक्ष : श्री बालमुकुन्द।

(अनुपस्थित)

श्री सूरजमल।

जोधपुर से राजबाग तक बिजली की लाइन

१६६ **श्री सूरजमल** (फलोदा) : क्या मंत्री, विद्युत् विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जोधपुर से राजबाग तक बिजली की लाइन जाती है?

(२) यदि हाँ, तो वहाँ कितनी बत्तियों के पॉइन्ट दिये हुए हैं?

Page No.21

(श्री सूरजमल)

(३) क्या इस बस्ती को पिछड़ी हुई व हरिजन जाति की आबादी को ध्यान में रखते हुए सरकार वहां पर अधिक कनैक्शन देने का विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

विद्युत मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : इस प्रश्न का उत्तर दिनांक २४ मई, १६५७ को प्रश्न संख्या ३६३ (८७ एच. एम.) के उत्तर में दिया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर मिल गया था, यह प्रश्न दो-तीन बार आ चुका है।

श्री सूरजमल : नहीं हुकम, यह राजबाग का है।

(अल्प विराम के अनन्तर)

उत्तर दे तो दिया है, लेकिन उसका प्रबन्ध क्या किया है?

श्री अध्यक्ष : तब से अब तक कुछ प्रगति हुई है क्या?

(हंसी)

श्री सूरजमल : प्रश्न यह है कि आज तक कुछ किया गया है क्या?

श्री रामकिशोर व्यास : यह वही सवाल है जो पहले पूछा गया था।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : जो ५७ में स्थिति थी, वही स्थिति अब है क्या?

श्री रामकिशोर व्यास : म्युनिसिपैलिटी बिजली लगाती है, वही लगायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरण सिंह।

वेक्सिनेटर्स की नियुक्ति

२००, **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) राजस्थान में कुल कितने वेक्सिनेटर्स हैं?

(२) यह सही है कि वेक्सिनेटर्स की नियुक्ति ट्रेनिंग करने पर ही की जाती है?

(३) क्या यह भी सही है कि राजस्थान में एक जैसी क्वालिफिकेशन के वेक्सिनेटर्स की नियुक्ति एकही ग्रेड में की गई है और की जाती है?

(४) क्या यह सही है कि राजस्थान में वर्तमान में सब वेक्सिनेटर्स को एक ही ग्रेड मिलती है?

(५) यदि नहीं, तो यह फर्क क्यों रखा जाता है तथा यह फर्क कब तक समान किया जायगा?

(६) क्या यह भी सत्य है कि वेक्सिनेटर्स को १६५० में ४५-२-६५, ३-६५ की ग्रेड दी थी?

(७) यदि हाँ, तो वेक्सिनेटर्स को उपरोक्त ग्रेड कब तक मिलती रही?

(८) क्या अब इसको घटा कर ४०-२-६० कर दी गई है?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा, (स्वास्थ्य मंत्री की अनुपस्थिति में) : (१) राजस्थान में कुल ३४८ वेक्सिनेटर्स हैं।

(२) वेक्सिनेटर्स को ट्रेनिंग नियुक्ति के पश्चात् दी जाती है।

(३) जी हाँ।

Page No.22

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(४) नहीं। जिन वेक्सिनेटर्स ने भूतपूर्व रियासतों की ग्रेड अपना रखा है, उनको वही ग्रेड मिलता है, बाकी को राजस्थान का ग्रेड मिलता है।

(५) जब तक वेक्सिनेटर्स भूतपूर्व रियासतों का ग्रेड अपना रखेंगे तब तक सभी एक ग्रेड में नहीं आ सकते। सरकार की ओर से ग्रेड में कोई भेद-भाव नहीं रखा गया है।

(६) जी हाँ।

(७) ३१ दिसम्बर, सन् १९५१ तक मिलती रही।

(८) जी हाँ।

श्री रामकरणसिंह : यह १९५१ में क्यों बन्द कर दी गई?

श्री नाथूराम मिर्धा : बन्द क्यों कर दी गई, उनको यह ३१ दिसम्बर तक मिलती रही।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि वेक्सिनेटर्स को ग्रेड चूज करने के बारे में कोई ऑप्शन नहीं दिया गया?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं, ऑप्शन देने के बाद किसी ने पुरानी ग्रेड ली है, किसी ने नई ग्रेड ली है।

श्री भैरोंसिंह : ऑप्शन दिया या नहीं?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऑप्शन दिये बिना पुरानी ग्रेड में नहीं ले सकते।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : नियुक्ति के कितने दिन के बाद ट्रेनिंग दी जाती है?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे ख्याल से नियुक्ति के तुरन्त बाद ट्रेनिंग दी जाती है।

श्री भैरोंसिंह : अब भी ऐसे वेक्सिनेटर्स हैं जिन्हें कम तनख्वाह मिलती है; उन्होंने कैसे ऑप्शन करके स्टेट ग्रेड से कम तनख्वाह ली?

श्री नाथूराम मिर्धा : वे ऑप्शन रखेंगे वही ग्रेड मिलेगी, अगर नई ग्रेड रखेंगे, तो नई ग्रेड के अनुसार तनख्वाह मिलेगी और अगर पुरानी ग्रेड रखेंगे तो पुरानी ग्रेड के अनुसार तनख्वाह मिलेगी।

श्री भैरोंसिंह : मेरा कहना है कि पहले ज्यादा ग्रेड दी गई थी, १९५१ में उसे कम किया गया। जो ज्यादा ग्रेड थी उसको कम क्यों किया गया?

श्री नाथूराम मिर्धा : कम करने का सवाल नहीं है। अगर वे पुरानी ग्रेड में बैठे हैं तो पुरानी ग्रेड की तनख्वाह मिलेगी, अगर नई में बैठे हैं तो नई ग्रेड की तनख्वाह मिल रही है। ऑप्शन की तारीख के ऊपर जिन्होंने ऑप्शन कर लिया उसके मुताबिक तनख्वाह ड्रॉ कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : जो पुरानी ग्रेड ले रहे हैं, उनके और सरकार के बीच में क्या कोई ऐसा एग्रीमेंट है कि वे पुरानी ग्रेड लेते रहेंगे?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सरकार और उनके बीच एग्रीमेंट का सवाल नहीं है; जिन्होंने जो ग्रेड ऑप्ट की है, वह मिल रही है। ऑप्शन की तारीख काफी अर्से पहले निकल चुकी है और उस ऑप्शन में जो ग्रेड ऑप्ट कर ली, उस ग्रेड के मुताबिक वे सेलेरी ड्रॉ करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : ऑप्शन की बात लिखित में हुई है या जबानी जमा-खर्च है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जबानी जमा-खर्च सरकारी कामों में नहीं होता है, सब लिखित में होता है ।

श्री भैरोंसिंह : जो पुरानी ग्रेड ले रहे हैं उन्होंने स्वीकार किया है कि स्टेट की पुरानी ग्रेड दी जाय, या सरकार की इच्छा है कि यह ग्रेड लें ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आम तौर से यह होना चाहिए कि वे ऑप्ट करें। लेकिन जिन्होंने लिख कर दे दिया, उनको मिल गई और जिन्होंने नहीं दिया वे बैठे हैं ।

प्रश्न संख्या २०१

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीमानसिंह ।

जिला भरतपुर में जलाधिक्य के कारण सिंचाई बांधों का टूटना

२०२ श्री श्रीमानसिंह (बयाना): Will the Minister for Irrigation be pleased to state :

(1) How many Irrigation Bunds were breached this year from excess water in Roopbas, Bayana and Bharatpur tehsils of Bharatpur District ? And how much area and how many villages and people were affected by these floods ? What was the amount of damage done ?

(2) Were the floods caused due to breaches of the Bunds or due to the changed course of the river flowing in Bayana and Roopbas Tehsils If not, what were the other causes of floods ?

(3) Are floods in these Tehsils? recurring ? If yes, what steps does the Government intend to take to prevent their annual recurrence in Bayana and Roopbas Tehsils ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : (1) 15 Bunds breached this year in Roopbas, Bayana and Bharatpur Tehsils of Bharatpur District. The details of the area and villages affected and damages caused by these breaches are available with the Revenue Department. The damage is roughly estimated at about Rs. 85,000/-.

(2) The floods were due to abnormal rainfall.

(3) The floods occur during years of abnormal rainfall. Protective measures required to be taken are under investigation.

श्री श्रीमानसिंह : Has the Government ordered any investigation ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक्सपर्ट्स को इनको देखने के लिये भेजा है, एक्सपर्ट्स की क्या राय आती है, क्या इलाज किया जा सकता है, यह उनकी राय आने पर देखा जायगा ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या भरतपुर में अक्सर फ्लड्स आते रहते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : अक्सर तो नहीं, जब ज्यादा बारिश होती है तो फ्लड्स आते हैं ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : पिछले पांच सालों में कितने फ्लड्स भरतपुर में आये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक तो ५६ में आया था और एक इस साल आया है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : बंध न फूटें, इसके लिए सरकार ने बंध के लिये क्या इन्तजाम किया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो नेचुरल केलेमिटी है, इसके लिये क्या इन्तजाम किया जा सकता है ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या बंध की मरम्मत कराना, जिससे कि वह न फूटे, नेचुरल केलेमिटी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो आपका प्रश्न नहीं है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : बंध नहीं टूटे, इसके लिये बंध की मरम्मत कराना आवश्यक नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मरम्मत कराना जरूरी है, पर ज्यादा पानी आये तो मरम्मत कराने पर भी टूट जाते हैं ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इर्रिगेशन का कौन कौन स्टाफ भरतपुर में रहता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिये अलग सवाल पूछिये ।

श्री श्रीभानसिंह : कौन से एक्सपर्ट्स जांच के लिये भरतपुर भेजे थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : अभी जानकारी नहीं आई है ।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय अध्यक्ष, कल राजस्व मंत्री ने स्टेटमेंट दिया था, उसमें कहा था कि सेंटर के एक्सपर्ट्स आये थे ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय भी यही कह रहे हैं ।

श्री श्रीभानसिंह : राजस्थान के कौन से एक्सपर्ट्स पहुँचे जिन्होंने स्कीम के लिए फेक्ट्स तैयार किये हों ?

श्री रामकिशोर व्यास : वैसे तो एस० ई० और एग्जीक्युटिव इन्जीनियर गये; मैं भी गया पर टेक्निकल एक्सपर्ट की बात है ।

श्री श्रीभानसिंह : उन्होंने अब तक आपको क्या रिपोर्ट की कि क्या मेजर्स इसको रोकने के लिए लिये जायं ?

श्री रामकिशोर व्यास : उनकी रिपोर्ट आई नहीं है ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : जिस चीज को जो मिनिस्टर नहीं समझते, उनके पास वह पोर्टफोलियो रखना कहां तक उजित है ?

(हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास : जी, वह समझता भी है और नहीं भी समझता ।

श्री भैरोंसिंह : जो नहीं समझते, वे हिस्सा उठा कर फेंक दें ।

श्री सूबेदारसिंह (धौलपुर) : क्या धौलपुर में भी इस साल बांध टूटा है ?

श्री अध्यक्ष : श्री लालूराम ।

श्री सूबेदारसिंह (धौलपुर) : नहीं । अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब नहीं मिला, धौलपुर में भी बांध टूटा है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह खत्म हो गया है ।

अनाज की मंहगाई

२०३ **श्री लालूराम** (टौंक, सुरक्षित) : क्या मंत्री, खाद्य व रसद विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में इस वर्ष अनाज महंगा होने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि सरकार अनाज बाहर भेज रही है ? यदि हां, तो क्यों तथा कहां कहां सरकार द्वारा कौन कौन-कौन-सा अनाज बाहर भेजा जा रहा है ?

(२) सरकार के पास अब तक कितना गल्ला स्टॉक में है ?

(३) इस वर्ष कौन कौन से जिले में कितनी कितनी सस्ते अनाज की दुकानें सरकार द्वारा खोली गईं ?

(४) उक्त दुकानों में किस भाव से अनाज जनता को बेचा जा रहा है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उपमंत्री) : (१) वैसे तो समूचे देश में ही अनाज के भावों का रुख इस वर्ष तेजी की ओर है । पर जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, प्रारम्भ में, अप्रेल के मध्य में गेहूँ तृतीय क्षेत्र में (जिसमें राजस्थान भी सम्मिलित है) बृहत् बम्बई राज्य का सम्मिलित होना और उसके फलस्वरूप गेहूँ का भारी मात्रा में व्यापारियों के द्वारा बम्बई को निर्यात किया जाना है । इससे गेहूँ की कीमतें राज्य में बढ़ गईं और उसके साथ साथ मोटे अनाज के खर्चे पर दबाव बढ़ने से उसकी भी कीमतें बढ़ गईं । तदनन्तर असामयिक एवं विलम्बित और कहीं कहीं अधिक तथा कहीं कम वर्षा से खरीफ की असन्तोषजनक फसल की सम्भावना से भावों का रुख तेजी की ओर होने में मदद मिली ।

राजस्थान सरकार कोई भी अनाज राज्य के बाहर नहीं भेज रही है, अतः उसके बाहर भेजने का कारण तथा कहां कहां से सरकार द्वारा कौन कौन सा अनाज बाहर भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(२) राज्य सरकार के पास अनाज का कोई निजी संग्रह नहीं है ।

(३) राजस्थान के सभी जिलों में सस्ते अनाज की दुकानें खोल दी गई हैं जिनकी संख्या वर्तमान में ५३३ है । विवरण संलग्न तालिका में अंकित है जो सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है ।

(४) जो दुकानें रेल्वे केन्द्रों पर स्थापित की गई हैं उनसे सस्ता गेहूं अधिक से अधिक १४ रुपया ८ आना प्रति मन की दर पर परचून बेचा जा रहा है । जो दुकानें रेल्वे केन्द्रों से दूर स्थापित की गई हैं वे रेल्वे केन्द्र से उस स्थान तक अनाज के यातायात पर किये गये व्यय को अधिक से अधिक १४ रु० ८ आ० परचून दर पर जोड़ कर बेच रही हैं ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री श्रीभानसिंह : Have the cheap grain shops helped in bringing down the prices in Rajasthan ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : They have to certain extent.

श्री श्रीभानसिंह : Is the Government aware, "to certain extent" means that the price of the wheat is Rs. 26/-per Md......

श्री रिखबचन्द धारीवाल : At certain places it is Rs 26/-,at certain places they are less.

Page No.26

श्री श्रीभानसिंह : At which place the Government can say that it is less than Rs. 26/- ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: At Kotah, it is Rs. 22/- or 23/- per Md.

श्री श्रीभानसिंह : Then why it is not being brought from Kotah, and why it is being sold here at Rs. 26/-?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Even. at Jaipur, it is not Rs. 25/-. There are three classes of wheat; good, better and best, and the prices vary.

श्री पी० के० चौधरी : Was the Government a helpless witness or did it take any effective steps to stop the export of foodgrains to Bombay ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : That is a Central subject. The Rajasthan Government pressed their point but the Central Government did not agree. Rajasthan falls in the zone of Madhya Pradesh, Bombay and Rajasthan. So the movement cannot be stopped by us.

श्री श्रीभानसिंह : Did the Government represent to the centre ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसके द्वारा कलेक्टरों द्वारा गल्ला जब्त किया जा सके। ऐसे आदेश से कितना कितना गल्ला जब्त किया जाकर बाजार में उसका वितरण किया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : That is a separate questionand is not covered by this. That information I have not got at present.

श्री श्रीभानसिंह : Did the Rajasthan Government represent to the Centre that Bombay is a deficit State and Rajasthan is also a deficit State both should not be in one zone ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : It is wrong to say that Rajasthan is a deficit State, Rajasthan is a surplus State.

श्री श्रीभानसिंह : Did the Government approach to the Central Government that with the export of foodgrains from Rajasthan to Bombay, the prices were becoming higher than the prices of Bombay.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : We did, but the Central Government took a different decision.

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या सरकार ने सारे तरीके अपना लिये हैं अनाज को सस्ता करने के ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : तरीके कई अपनाये हैं, चीप ग्रेन शॉप का तरीका है, इससे ही अनाज सस्ता हो सकता है।

श्री अर्जुनदास (अजमेर नगर पश्चिम) : What steps has the Government taken to see that the fair price grain shops do not indulge in black-marketing .

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The Inspectors are being appointed by the Collector, and the Collector also makes a checking of shops.

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अगर गवर्नमेंट को अनाज सस्ता करने के तरीके बताये जायं तो क्या वे उन्हें अपनाने को तैयार है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : बड़ी खुशी होगी अगर आप और अच्छे तरीके बतायें।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : कई देशों में तरीके अपनाये गये हैं और वहां अनाज सस्ता हो गया है।

(हंसी)

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप बतायेंगे तो जरूर।

प्रश्न संख्या २०४

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।......

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न ऐसे इन्टरेस्ट का है जिस पर बहुत से सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछे गये हैं और फिर भी पूरा हल नहीं हो सका है। बहुत से लोगों ने क्लेक्टर आदि को नोटिस दिये हैं। इसलिए ऐसा हो कि गवर्नमेंट फूड पोलिसी पर एक दिन डिबेट के लिये निकाल ले तो ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य हाफ एन अवर डिस्कशन कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : हाफ एन अवर डिस्कशन से तो यह अच्छा होगा कि एक दिन इसके लिये ही एलॉट कर दिया जाए जिससे आए दिन की जो तकलीफें हैं वे बतलाई जा सकें।

श्री श्रीभानसिंह : चूंकि यह फूड का इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है (On Shri Nathu Ram Mirdha's sneezing two or three times) Against the volley of sneezes, I may submit, Sir, यहां पर आपको फूड पर सभी पार्टीज़ के व्यूज़ मिल जायेंगे, that will help the Government.

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उपमंत्री) : जहां तक फूड का प्रश्न है, सभी जगह भाव बढ़े हैं और राजस्थान में भी उसी तरह से उसका रिपर्कशन होना लाजमी हो जाता है। देश में सभी जगह इस प्रकार की स्थिति है। आप इस पर हाफ एन अवर डिस्कशन कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : सरकार सारी खाद्य स्थिति को रिव्यु करके एक स्टेटमेंट दे दे, उसके बाद कुछ डिस्कशन हो जावेगा।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Yes, Half an hour's discussion may be fixed.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

लाइव स्टॉक इन्स्पेक्टर की ग्रेड

२०५. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने कृपा करेंगे :

(१) लाइव स्टॉक इन्स्पेक्टर का ग्रेड क्या है ? क्या यह सही है कि उपरोक्त अधिकारी की नियुक्ति जन-सेवा आयोग के द्वारा न होकर विभागीय अधिकारियों द्वारा की जाती है ?

(२) क्या यह भी सही है कि पशु-चिकित्सा विभाग में अन्य पदों के लिये भी प्रचार न करके नियुक्तियां कर ली जाती हैं ?

कृषि उपमंत्री (श्री दौलतराम) : (१) लाइव स्टॉक इन्स्पेक्टर का ग्रेड निम्नलिखित है :

[redacted]

(श्री दौलतराम)

(अ) सीनियर लाइव स्टॉक इन्सपेक्टर (१) ग्रेड ११०—५—११५ ई० बी० १०—२२५.

(ब) लाइव स्टॉक इन्सपेक्टर (२) ग्रेड ८०—५—१२० ई० बी० ५—१७५. यह सही है कि उपरोक्त अधिकारियों की नियुक्तियां विभागीय अधिकारियों द्वारा आरज़ी तौर पर की जाती हैं लेकिन साथ ही साथ जन—सेवा आयोग की सहमति प्राप्त की जाती है ।

(२) अन्य नियुक्तियों का प्रचार तथा परीक्षा नियमानुसार की जाती है और आवश्यकतानुसार सहमति जन—सेवा आयोग द्वारा प्राप्त की जाती है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : ये नियुक्तियां किस प्रकार से की जाती हैं ?

श्री दौलतराम सारण : नियमानुसार ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अन्य लोगों को अवसर नहीं दिया जाता और सीनियोरिटी द्वारा ही नियुक्ति की जाती है या और कोई तरीके से ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो टेक्निकल विषय है, जितने विद्यार्थी पास होते हैं उनको लेते हैं ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : हर एक व्यक्ति को किस प्रकार यह मालूम हो सकता है कि यहां पर स्थान खाली है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सब को पता रहता है कि यहां पर स्थान खाली है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

जिला झालावाड़ के बांधों के डूब में आई हुई जमीनों का मुआवजा

२०६. **श्री भैरवलाल कालाबादल** (अकलेरा) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बोरदा तथा हींचर बांध केनाल, जिला झालावाड़ में जिन किसानों की जमीनें आ गई हैं उनको अब तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया ?

(२) क्या उक्त जमीनों का लगान भी अब तक जमीन के मालिकों से लिया गया है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) सिंचाई विभाग द्वारा मुआवजे के चुकारे के लिये मंजूरी व रकम का इन्तजाम सन् १९५७ में ही कर दिया गया था, उसका भुगतान कलेक्टर झालावाड़ द्वारा किया जा रहा है ।

(२) उनसे कोई लगान वसूल नहीं किया जा रहा है ।

श्री भैरवलाल कालाबादल : अब तक किन किनको मुआवजा नहीं दिया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी सूची कलेक्टरों के यहां से मालूम हो सकती है।

श्री भैरवलाल कालाबादल : कितना मुआवजा दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : रकम तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि अलग अलग लोगों को मुआवजा दिया गया है ।

श्री भैरवलाल कालाबादल : क्या चम्बल के बांधों के डूब में आई हुई जमीनों

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

को जो मुआवजा दिया गया, वही मुआवजा इनको भी दिया जावेगा या कम ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो मुआवजा जमीन की किस्म पर दिया जाता है।

श्री भैरवलाल कालाबादल : आपने अभी तक जमीन की जांच नहीं करवाई है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : लोकल ऑफिसरों का काम है।

एक माननीय सदस्य : महाराज को रकम.......

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री बृजेन्द्रपाल।

करौली के निकट के पांचना बांध को क्षति

२०७. **श्री बृजेन्द्रपाल (करौली)**: Will the Minister for Public Works be pleased to state :

(a) How and to what extent Panchna Bridge near Karauli has been damaged ?

(b) How long will the repair works take to restore normal traffic over this bridge ?

(c) Has the Executive Engineer inspected the site ? If so, on what date ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा)(a) Due to constant heavy rains, downstream wing wall of Karauli side collapsed in a length of 90 ft.

(b) Normal traffic opened on 11th October, 1958.

(c) Yes.

In August, 1958 and with the Suptdg. Engineer on 30.9. 58.

श्री बृजेन्द्रपाल : Is it a fact that the damage was reported to the Executive Engineer beforehand.

श्री नाथूराम मिर्धा : एग्ज़ीक्युटिव इंजीनियर की रिपोर्ट हुई तभी तो यह हुआ है। उसको ठीक भी कर दिया गया है और ट्रेफिक भी चालू है।

श्री श्रीमानसिंह : When was it brought to the knowledge of the Executive Engineer that such and such breach had occured ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किस तारीख को उसके नोटिस में लाया, यह सूचना तो नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सैशन जज, जयपुर के रेकार्ड में आग लग जाना

२०८. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) :क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि अगस्त सन् १६५८ में जयपुर के सैशन जज के रेकार्ड में आग लग गई थी ? अगर हां, तो कितना नुकसान हुआ ? कितनी फाइलें किस किस किस्म की किस किस की जल गईं ?

(ख) उक्त जगह आग लगने का क्या कारण था तथा पुलिस ने अब तक क्या तफ्तीश की ?

Page No.30

गृहमंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां, १६६ मिसलें, २२ रजिस्टर एवं फर्नीचर इत्यादि कुल १८७४) के मूल्य का सामान जल गया। जली हुई १६६ मिसलों की सूची संलग्न है।

(ख) आग जान-बूझकर किसी सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा जुडिशियल रेकॉर्ड को नष्ट करने के लिये लगाई गई। प्रकरण का अनुसंधान हो रहा है और अपराधियों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : इसमें डकैती के कितने और दूसरे कितने केसेज़ के मामलों की मिसलें जलाई गई और जो लोग जेल में हैं उनका क्या होगा? क्या वे जेल में ही सड़ते रहेंगे?

श्री रामकिशोर व्यास : उसकी कानूनी कार्यवाही हो रही है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या इसमें राजस्थान हाई कोर्ट आन्दोलन वालों का कोई हाथ था!

श्री रामकिशोर व्यास : यह कहना ठीक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या राजस्थान सरकार यह कहने की स्थिति में नहीं है कि राजस्थान हाई कोर्ट आन्दोलन वालों का हाथ नहीं है?

श्री रामकिशोर व्यास : यह नहीं कह सकते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या उस समय वहां पर पुलिस का पहरा था, जिस समय आग लगी?

श्री रामकिशोर व्यास : फौजदारी का महकमा है। वहां पहरा लगता है।

श्री भैरोंसिंह : पुलिस के पहरे में अदालत में आग लग गई?

श्री रामकिशोर व्यास : पुलिस का पहरा दूर है। आग जो लगी वह रेकॉर्ड में लगी है और वह पुलिस के पहरे से दूर है।

श्री अर्जुनदास : कितनी दूरी पर है? What is the distance?

श्री रामकिशोर व्यास : पास पास ही है।

श्री अर्जुनदास : कितनी दूरी पर है?

श्री रामकिशोर व्यास : यह मैं नहीं बता सकता।

श्री भैरोंसिंह : क्या वहां से आग का जलना दिखता है?

श्री रामकिशोर व्यास : हां, दिखता होगा। यह ठीक है।

श्री मदनसिंह : फिर पुलिस का पहरा किस मकसद का रहा?

श्री अध्यक्ष : आग लगने के बाद बताने के लिये।

नेक्स्ट, श्री मूलचन्द डागा।

पाली नगरपालिका द्वारा पानी के पाइप लगाना

२०६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पाली नगरपालिका ने किन किन स्थानों पर बिना मीटर लगाये पानी के पाइप लगा दिये हैं? सूची देने की कृपा करें।

Page No.31

(श्री मूलचन्द डागा)

(ख) क्या इनके लगाने के पहिले नगरपालिका बोर्ड की इजाजत ली गई थी? यदि हां तो कब और नहीं, तो क्यों नहीं?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री(श्री नाथूराम मिर्धा, स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से): (क) नगर के भिन्न भिन्न भागों में आम जनता की सुविधा के लिये बोर्ड की स्वीकृति से स्टैन्ड पोस्ट लगाये हुए हैं तथा इनके लिये मीटर नहीं हैं। इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय के अहाते में जिलाधीश व सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के अहाते में भी बिना मीटर के नल लगे हुए हैं।

(ख) उपरोक्त नल पाली नगर में स्केलेटन वाटर सप्लाई स्कीम चालू होते वक्त बोर्ड की स्वीकृति से लगाये गये थे।

श्री मूलचन्द डागा: यह कौन सी तारीख को कलेक्टर और सुपरिन्टेन्डेन्ट के यहां वगैर मीटर के लगाया गया?

श्री नाथूराम मिर्धा: तारीख तो मालूम नहीं है, मगर स्वीकृति बोर्ड की होने से लगाया गया था।

श्री मूलचन्द डागा: यह स्वीकृति कब हुई?

श्री नाथूराम मिर्धा: एग्जेक्ट डेट तो मेरे पास नहीं है; स्केलेटन वाटर सप्लाई स्कीम चालू हुई तब लगा।

श्री मूलचन्द डागा: उनसे चार्जेज़ क्यों नहीं लिये जाते?

श्री नाथूराम मिर्धा: वहां पर जनता जाती है और पानी पीती है।

श्री मूलचन्द डागा: क्या कलेक्टर के अहाते में लोग पानी भरते हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा: कलेक्टर के अहाते में बहुत से लोग मिलने जाते हैं।

श्री मूलचन्द डागा: न वहां पर कोई लोग जाते हैं और न वहां पर पानी भरते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा: मिलने के लिये जाते हैं तभी तो वहां पर नल लगाया गया है।

श्री भैरोंसिंह: क्या इससे यह माना जावे कि वहां से हर एक आदमी को पानी लेने का अधिकार है?

श्री नाथूराम मिर्धा: जी हां, बिल्कुल।

श्री मूलचन्द डागा: यह गलत है, किसी को लेने नहीं दिया जाता है।

श्री नाथूराम मिर्धा: आप घड़ा लेकर जाएं और फिर आपको मना करें तब कहना।

श्री मदनसिंह दांता: जहां कलेक्टर, और सुपरिन्टेन्डेंड रहें वहां पर पानी का नल वगैर मीटर के रहना आवश्यक है क्या?

श्री नाथूराम मिर्धा: पब्लिक की सहूलियत के लिये ऐसा किया गया है।

श्री मूलचन्द डागा; म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्यों पर दबाव डाल कर ऐसा किया गया है?

श्री अध्यक्ष: इससे सरकार का क्या सम्बन्ध है; ऐतराज हो तो वे कहें।

श्री मदनसिंह दांता: प्राइवेट नल लगे........

श्री नाथूराम मिर्धा: अगर आप सोचते हैं कि उन्होंने गलत किया है तो आप उनको एप्रोच करें।

Page No.32

श्री मदनसिंह : क्या हम वहां पानी पीकर बैठ सकते हैं और खाना खाकर सो सकते हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री भोलानाथ : कलेक्टर और सुपरिन्टेन्डेन्ट ये दोनों सरकारी अधिकारी हैं, वैसी हालत में क्या फ्री वाटर यूज करने का उनको अधिकार नहीं है कि वे किसी भी म्युनिसिपैलिटी से फ्री वाटर लें ?

श्रीनाथूराम मिर्धा : कलक्टर साहब ने कभी अर्जी नहीं दी कि उन्हें मुफ्त में पानी दिया जाय। म्युनिसिपल बोर्ड ने उचित समझा, इसलिये वहां नल लगा दिया गया।

श्री श्रीभानसिंह : Did the Municipaety passed a resolution in some meeting.

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने निवेदन किया कि म्युनिसिपल बोर्ड ने उचित समझा, इसलिये लगा दिया।

श्री श्रीभानसिंह : बोर्ड की स्वीकृति लेकर लगाया गया, तो या तो बोर्ड ने इसके लिये प्रस्ताव पास किया होगा या इसकी स्वीकृति बोर्ड की मीटिंग में हुई होगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास जो सूचना थी वह मैंने आपको बता दी।

श्री श्रीभानसिंह : Then will the Hon'ble Minister enquire that the Municipality did not pass a resolution and it was the Collector and the S.P. who brought a pressure to allow them a pipe line......

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बिल्कुल गलत बात है।

श्री श्रीभानसिंह : He will kindly enquire into the matter because hs is not in a position to say that the metting was called...

श्री अर्जुनदास : उनको पानी कब से फ्री दिया जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जब से नल वहां पर चालू हुए।

श्री पुरुषोत्तमलाल : क्या सरकार कलेक्टर साहब को यह आज्ञा देगी कि अब तो मीटर लगवा लें ?

श्री नाथूराम मिर्धा: सरकार ने या कलेक्टर साहब ने कभी यह नहीं कहा कि उनको पानी फ्री दिया जाय। यह तो वहां के बोर्ड के चेयरमैन और बोर्ड ने सोच कर नल लगाया है।

श्री श्रीभानसिंह : The Hon'ble Minister is not in a position to say that, वहां के बोर्ड ने कहा, यह आप कैसे कह सकते हैं जब कि आपको पता नहीं कि बोर्ड की मीटिंग कब हुई, न आप उसकी डेट बता सकते हैं। Then to say that the Municipality passed a resolution will not be true.

श्री अध्यक्ष : Whatever the legal position might be, it is not a very dignified process for the Government to allow the officers like this. I think the Government should take appropriate steps in the matter.

Questions are over.

(शेष प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

१२. १३ म० प०

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पहले मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि डॉ० चन्द्रकला ने दिनांक २८-१०-५८ से ३१-१०-५८ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने के लिए प्रार्थना की है।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उनको अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

गृह मन्त्री द्वारा जामसर की जिप्सम की खानों विषयक वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : Statement by Hon'ble the Home Minister on Gypsum Mines.

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : जामसर जिला बीकानेर में, जिप्सम की खान पर काम करने वाले मजदूरों ने दिनांक १ अक्टूबर, सन् १९५८ से अपनी मांगों की पूर्ति के लिए हड़ताल शुरू की है। उनकी मांगों में मुख्यतया यह हैं कि महंगाई का भत्ता बढ़ाया जावे, बोनस दिया जावे ग्रेच्युटी प्रदान हो तथा मजदूरों की देखभाल का डाक्टरी प्रबन्ध अच्छा हो और ठेकेदार द्वारा मजदूरों की भर्ती का तरीका बन्द किया जावे इत्यादि। जिप्सम की खान पर काम करने वाले चन्द मजदूरों ने हड़ताल में भाग नहीं लिया और काम पर चले गये। हड़तालियों ने ऐसे मजदूरों को काम पर जाने से रोका और अपनी स्त्रियों तथा बच्चों को इस प्रकार उनके सम्मुख बिखेर दिया जिससे वह काम पर न जा सकें। इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों मजदूर दलों में दिनांक ३ अक्टूबर को मुठभेड हो गई और चन्द मजदूरों को कुछ चोट पहुंची। पुलिस को मजबूरी की हालत में शांति व सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा।

मजदूरों का झगड़ा केन्द्रीय सरकार व जिप्सम खान के प्रबन्धकर्ताओं द्वारा निर्णित कराया जा रहा है परन्तु वैधानिक तथा नियमानुसार कार्यवाही करने के बजाय जिप्सम खान के मजदूरों का संघ हड़तालियों में जोश फैला कर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करने में लगा हुआ है जिससे शांति व सुरक्षा भंग हो और जो मजदूर खान पर काम करने जाना चाहते हैं वे मौके पर न पहुँच सकें। ऐसी दशा में पुलिस द्वारा हस्तक्षेप अवश्यंभावी हो जाता है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई जिसमें सदन के माननीय सदस्य श्री मुरलीधर व्यास भी शामिल हैं, जो कि जिप्सम खान मजदूर संघ के सेक्रेटरी हैं। श्री मुरलीधर व्यास दिनांक ७ अक्टूबर को जेर दफा १४७।४४७ ताजीरात हिन्द गिरफ्तार किये गए और जमानत पर रिहा कर दिये गये।

चूंकि श्री मुरलीधर व्यास जामसर खान पर काम करने वाले मजदूरों में बराबर उत्तेजना फैलाते रहे इसलिए पुलिस द्वारा दूसरे मुकदमे में तारीख ८ अक्टूबर को हिरासत में लिये गये। तदुपरान्त उनके विरुद्ध दफा १०७ व ११७ जाब्ता फौजदारी के आधीन कार्यवाही शुरू की गई और सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट बीकानेर (उत्तरीय) द्वारा जारी किये हुए वारन्ट पर श्री मुरलीधर व्यास पुनः गिरफ्तार किये गये। अदालत द्वारा उनको नेकचलनी के मुचलके दाखिल करने की आज्ञा हुई परन्तु उन्होंने उचित जमानत पेश

Page No.34

(श्री रामकिशोर व्यास)

नहीं की और अदालत की आज्ञा से जेल में सज़ा भुगत रहे हैं। पुलिस ने हड़तालियों के विरुद्ध कोई सख्ती का बर्ताव नहीं किया है और न गुण्डों द्वारा उनको आतंकित करने का ही प्रयत्न किया है। पुलिस ने तभी हस्तक्षेप किया है कि जब कि हड़तालियों ने काम पर खुशी से जाने वाले मजदूरों को रोका है और शान्ति भंग करने का प्रयत्न किया है। दिनांक १५ अक्टूबर तक ६४ गिरफ्तारियां की गई हैं।

१८ अक्टूबर के दिन खान पर काम करने वाले कुल १२०० मजदूरों में से ४५० मजदूर काम पर आ गये थे। हड़ताल बदस्तूर जारी है और बीकानेर तथा अन्य स्थानों पर सभायें की जाकर जिप्सम खान के प्रबन्धकर्ताओं तथा जिले के अधिकारियों की कार्यवाही की कटु आलोचना की जा रही है जिसके लिए कोई समुचित कारण नहीं है। पुलिस बराबर नियमानुसार कदम उठाती रही है। जिप्सम खान पर मजदूरों का झगड़ा केन्द्रीय सरकार अथवा खान के प्रबन्धकर्ताओं द्वारा इन्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल को सौंप कर अथवा आर्बिट्रेशन करवा कर सुलझाया जा सकता है। राजस्थान गवर्नमेंट का इस झगड़े से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। वहां पर पुलिस केवल शांति तथा सुरक्षा हेतु मौजूद है न कि मजदूरों की हड़ताल को दबाने के लिए।

(श्री गिरधारीलाल के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन कर दूं कि इस पर बहस नहीं होगी। कुछ तथ्य ऐसे हों जिनकी जानकारी आवश्यक हो तो उनका स्पष्टीकरण किया जा सकता है।

श्री गिरधारीलाल (नोखा): क्या मंत्री महोदय यह फरमायेंगे कि १ अक्टूबर से आज तक कितनी बार वहां पर लाठी चार्ज किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिंह : सरकार की ओर से डेफीनिट क्या स्टेप्स लिये जा रहे हैं आन्दोलन को बन्द करवाने के सम्बन्ध में ?

श्री रामकिशोर व्यास : माइन्स का जहां तक सम्बन्ध है राजस्थान सरकार से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसको सेन्ट्रल गवर्नमेंट डील विद् कर रही है और वही स्टेप ले रही है।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान सरकार द्वारा भारत सरकार को अपनी ओर से सुझाव दिये गये क्या कि यह जो मेनेजमेंट है उसमें परिवर्तन होना चाहिए ताकि आन्दोलन बन्द हो जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने निवेदन किया, इसका सम्बन्ध सीधा सेन्टर से है, हमारे सुझाव देने की इसमें कोई बात नहीं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जब राजस्थान सरकार के आधीन सुझाव देने का सवाल नहीं, तो राजस्थान सरकार हस्तक्षेप क्यों कर रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह सही है कि भारत सरकार का कान्सीलिएशन ऑफिसर आया है, उसमें राजस्थान सरकार ने योग दिया है ?

Page No.35

श्री रामकिशोर व्यास : सेन्ट्रल गवर्नमेंट जिस किसी का योग लेना चाहे, ले सकती है, लेकिन माइन्स का जो सब्जेक्ट है वह सेन्ट्रल सब्जेक्ट है न कि स्टेट सब्जेक्ट ।

श्री मूलचन्द डागा : १०७ में कार्यवाही करने के बाद भी दुर्घटना हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो इस लिए कि जो राजी खुशी से जाना चाहते थे उनको रोका जाता था ।

श्री मूलचन्द डागा : आपने १०७ में और ११७ में बाउन्ड करने के बाद जमानत जब्ती का नोटिस दिया इसलिए आपको लाठी चार्ज करना पड़ा ?

श्री रामकिशोर व्यास : गलत सवाल करें तो क्या कहूं ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : यह आन्दोलन सरकार के ध्यान में उचित है या अनुचित ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं कोई राय नहीं देता ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में सरकार के कितने प्रतिनिधि हैं इस कम्पनी के ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री भैरोंसिंह : क्या राजस्थान सरकार इस स्थिति में भी नहीं है कि वह कह सके कि यह आन्दोलन अनुचित है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं स्वयं कुछ नहीं कह सकता ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा मतलब राजस्थान से है, आपसे व्यक्तिश: नहीं । मैं राजस्थान सरकार से पूछ रहा हूँ कि क्या आप ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि आन्दोलनकारियों ने जो माँगें रक्खी हैं उनके बारे में कह सकें कि वे अनुचित हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास : आप यह प्रश्न सम्बन्धित विभाग के मन्त्री से करें तो जवाब देंगे ।

श्री भैरोंसिंह : अब तक जवाब आपने दिये हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास : जहां तक लॉ और ऑर्डर का प्रश्न था मुझसे सम्बन्धित था और उसका मैंने जवाब दिया ।

श्री गिरधारीलाल : इस कम्पनी में ६४ प्रतिशत शेयर सरकार के हैं तो क्या सरकार का कर्त्तव्य यह नहीं कि वह देखे कि यह आन्दोलन उचित है या अनुचित ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने पहले ही जो कहना था कह दिया ।

श्री गिरधारीलाल : क्या यह सही है कि हड़ताली मजदूरों पर पुलिस ने ऐसा दुर्व्यवहार किया और इस तरह से लाठी प्रहार किया कि कई अंगहीन हो गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सही नहीं है ।

श्री गिरधारीलाल : क्या यह सही है कि हड़ताली मजदूरों को पुलिस ने पकड़ कर पाकिस्तान की सीमा पर ले जाकर छोड़ा था ? यह किस कानून के तहत किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सही नहीं है ।

श्री मदनसिंह (दांता) : क्या यह सही नहीं है ?

Page No.36

श्री अध्यक्ष : जी हां, वह कह रहे हैं ।

श्री मदनसिंह (दांता) : अगर इसको प्रमाणों से साबित किया जावे तो क्या मन्त्री महोदय सम्बन्धित पुलिस कर्मचारियों को दंड देने को तैयार हैं ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : प्रश्न यह है कि जब कि खान हमारे यहां स्थित है, मजदूर हमारे यहां के हैं, कम्पनी हमारे यहां बनी है और इस कारण मजदूरों का मामला तो आज बन गया है और जो आन्दोलन चल रहा है इसमें मजदूरों के हितों के लिये लेबर डिपार्टमेंट इसे अपने हाथ में ले रहा है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो लेबर डिपार्टमेंट जो सहायता दे सकता है वह दे रहा है पर अन्तिम ऑथोरिटी सेन्ट्रल गवर्नमेंट है ।

श्री मदनसिंह (दांता): अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया कि अगर पाकिस्तान की बोर्डर पर मजदूर सत्याग्रहियों का छोड़ा जाना साबित कर दिया जावे तो क्या सरकार उन पुलिस कर्मचारियों को दंड देने को तैयार है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : अगर उनके खिलाफ इस तरह की शिकायत की जावेगी तो आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी ।

श्री अध्यक्ष : Legislative Business.

श्री ज्वालाप्रसाद : (नसीराबाद) : लेबर डिस्प्यूट एक्ट के मातहत जो सरकार को पॉवर्स हैं उनके अनुसार राजस्थान सरकार ने क्या स्टैप्स लिये ?

श्री बी० एन० जोशी : (बाँदीकुई) : The Hon'ble member should be called to sit by the Chair.

श्री अध्यक्ष : Legislative Business.

श्री मोवजी : माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूँगा कि जब सत्याग्रही और मजदूरों के बीच झगड़ा हुआ तो वह मजदूरों के द्वारा हुआ या किसके द्वारा हुआ ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : Legislative Business.

१२. २५ म. प

मोटर विहकिल्स (बम्बई संशोधन) निरसन (संशोधन) विधेयक, १९५८

(पुरः स्थापन)

श्री नाथूराम मिर्धा (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं मोटर विहिकल्स (बम्बई संशोधन) निरसन (संशोधन) विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि उक्त विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

१२. २६ म० प०

राजस्थान पशु रोग विधेयक, १९५८

(अग्रेतर खण्डशः वाद-विवाद)

श्री अध्यक्ष : Rajasthan Animal Diseases Bill, 1958. Amendment to be moved on clause 13.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : कल एक क्लॉज डेफर कर दिया गया था आज के लिये । अगर आपकी आज्ञा हो तो मन्त्री जी उसे आज ले लें पहले ।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह रीड्राफ्ट हो रहा है । इसके बाद कॉन्सीक्वेन्श्यल अमेन्डमेंट भी करने पड़ेंगे । तो इसलिये यह सारा का सारा रीड्राफ्ट होने के बाद में सर्कुलेट कर देंगे सदन को । फिर ले लेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : वह तो ठीक है । पर जो भावनाएं यहां सदन में व्यक्त की गई थीं उनको एप्रीशियेट किया गया या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किया गया तभी तो रीड्राफ्ट कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष: क्लॉज १३. Amendments.

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं निवेदन करूंगा कि मेरे जो अमेन्डमेन्टस हैं उनको मूव्ड ही समझ लिया जावे ।

श्री भैरोंसिंह : I object to it, Sir.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a point of order, Sir, Yesterday the Hon'ble Deputy Speaker has given a decision that a member who was a member of the Select Committee should not object to the recommendations of the Select Committee. The Honourable member being a chairman of the Select Committee, can he move an amendment like this now ? Yesterday a member was not allowed to express his views on a particular clause because he was a member of the Select Committee.

श्री अध्यक्ष : There is no bar to that especially for a Minister for making an amendment. His position is different and therefore, the Hon'ble Minister is allowed to move his amendment.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष, मेरा संशोधन क्लॉज १३ में है :

"Delete part (b) of sub clause (1) and (2) delete sub clause (5)"

क्लॉज १३ जो है वह यह है : "On receipt of the report of the Veterinary Surgeon under sub section (4) of Section 11 or sub section (2) of Section 12 the prescribed authority shall, after making such further enquiry as it thinks fit (a) confirm the declaration under sub-sections (1) or (4) of section 11 or sub-section (1) of section 12 either with or without modification; or"

"Shall after making much further inquiry as it thinks fit confirm the declaration under sub section (1) or (4) of Sec. 11 or sub section (1) of Section 12 either with or without modification." तो जितनी भी १३ में पॉवर्स हैं एक एरिया को डिक्लेअर करने की, सभी पॉवर्स उसमें मौजूद हैं । फिर यह सब क्लॉज (बी) के पॉवर देने की क्या आवश्यकता पड़ गई ? फिर यह सब क्लॉज (बी) क्यों रखा गया ? एक तरफ आपने यह पॉवर दी कि वह काफी रीज़नेबल एग्ज़ामिनेशन के बाद डिक्लेअर कर दे, फिर यह पॉवर्स दी कि कैंसिल कर दे । इससे या तो यह होगा कि उस समय पहले जब यह डिक्लेअर करेगा तब तक उसकी स्टडी

(श्री श्रीमानसिंह)

नहीं हुई होगी और शायद पहले जो प्रिलिमिनरी ग्राउन्ड्स पर ही डिक्लेअर कर दिया था वह गलत डिक्लेअर हो गया हो, तो फिर उसको कैंसिल करने के पॉवर्स आप दे रहे हैं इस मोटिव से। तो पहले ही वह पूरी तरह स्टडी करके फिर डिक्लेअर करें जिससे बाद में कैंसिल करने की जरूरत न पड़े। इसलिये जो पॉवर्स सब क्लॉज (५) में हैं उनको डिलीट करें। सब क्लॉज (५) को डिलीट करना लाजमी हो जाता है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज १३ के अन्दर संशोधन हैं "Delete post (b) of sub clause (i) and 'Delete Sub-clause (5) अब कैंसिलेशन के पॉवर्स उसके पास नहीं रहेंगे तो किसके पास रहेंगे। वह तो उनको ही होना चाहिये। वह पहले सेटिस्फाई हुआ तो डिक्लेअर कर दिया, पर जब वह डिज़ीज़ की स्थिति नहीं रही तो फिर उस पहले वाले ऑर्डर को कैंसिल करके नॉर्मल कन्डीशन में होने के पॉवर्स भी तो किसी के पास रहने जरूरी हैं क्योंकि इनडेफीनिट पीरियड तक तो डिक्लेअर की हुई स्थिति नहीं रहेगी, इसलिये यह तो रहना जरूरी है, नहीं तो क्या वह एरिया हमेशा के लिये 'डिक्लेअर्ड' ही रहेगा ?

श्री भैरोंसिंह : आपको जो संशोधन पेश करने हैं उनको भी पेश कर दीजिए, उनका मुझे विरोध करना है।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तो फॉर्मल नेचर के हैं, करेक्शन्स के हैं।

श्री भैरोंसिंह : करेक्शन्स के हैं तो भी मूव कर दीजिए ताकि हम भी उन पर कुछ कह सकें।

श्री नाथूराम मिर्धा : "(1) In sub-clause (3) omit 'through the State Government'.

(2) In sub clause (5) Omit 'to all persons to whom copies of such declarations were delivered or on whom notices of such declarations were served'. इस चीज को काट देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसके रीज़न्स क्या हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सुपरफ्लुअस हैं और इनकी आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आता कि अमेन्डमेन्ट्स सुपरफ्लुअस हैं या इन पर कुछ कहना सुपरफ्लुअस है या इन वर्ड्स को इस बिल में रखना ही सुपरफ्लुअस है। माननीय मन्त्रीजी ने जो दो संशोधन पेश किये हैं, उनमें से एक संशोधन को मैं मानता हूँ और उसको तो किसी को भी मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वह है, 'Though the State Government'; इन वर्ड्स को डिलीट कर दिया जाये तो अच्छा होगा और इनकी आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जो दूसरा अमेन्डमेन्ट है। सब-क्लॉज (५) में उसमें जो वर्ड्स लिखे हैं: "The inspector shall give notice accordingly to all persons to whom copies of such declaration were delivered or on whom notice of such declaration were served."

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की व्यवस्था आवश्यक रहेगी। उस आवश्यकता का कारण यह है कि हमने इस विभाग के इन्स्पेक्टर को यह अधिकार दिये हैं कि वह किसी भी स्थान

(श्री भैरोंसिंह)

के बारे में, जिसकी उसे सूचना मिली है कि उस स्थान में संक्रामक रोग के फैलने का डर है या वहां पर इस प्रकार का पशु रखा जा रहा है जिसके रखे जाने के कारण इस प्रकार की बीमारी फैलने का डर है तो वह इन्स्पेक्टर उस स्थान को इस प्रकार का एरिया घोषित करेगा। एरिया घोषित करने के बाद में जो एरिया घोषित होने की स्थिति में उस व्यक्ति के ऊपर जो जो लाइबिलिटीज़ आती हैं वे उस समय तक रहती हैं जिस समय तक उस डिक्लेरेशन को कैंन्सिल नहीं किया जाये। यह हो सकता है कि हमारी सरकार या वैटरनरी सर्जन, जो इन्सपेक्टर की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आने के बाद में उस स्थान को ऐसा नहीं समझें कि जिसे ऐसा एरिया डिक्लेयर करने की आवश्यकता हो। उस स्थिति में सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि जिस व्यक्ति को एक बार नोटिस दिया, उस व्यक्ति को यह सूचना भी देनी चाहिए कि अमुक स्थान को इन्स्पेक्टर ने जो इस तरह का एरिया डिक्लेयर किया था वह इस प्रकार का नहीं है, ताकि वह उन लाएबिलिटीज़ से बच सकें, वरना हमारी राजस्थान सरकार इस बात के लिए जरूर मशहूर है और इस प्रकार की कई चीजें हमारे सामने आती हैं कि राजस्थान सरकार ने आदेश दे दिये और वे आदेश नीचे तक नहीं पहुंचे और सरकारी अधिकारी उन पहले वाले आदेशों पर ही अमल करते रहते हैं। गिरफ्तारियों की कार्यवाहियां इस तरह की होती रहती हैं। वे आदेश सरकारी अधिकारियों तक नहीं पहुंचते हैं और अनेक प्रकार की घटनायें, जिनके लिए सरकार के स्पष्ट आदेश हो जाते हैं वे आदेश सरकारी अधिकारियों तक बहुत समय तक नहीं पहुंचते हैं और उन पहले के ही आदेशों की तामील होती रहती है। इसलिए उस व्यक्ति को यह सूचना नहीं दी गई तो वह अन्धकार में रहेगा और उसका इन्स्पेक्टर लोग फायदा उठा सकते हैं। अगर इस प्रकार की इत्तिला देने के लिए वही इन्स्पेक्टर होगा तो इन्स्पेक्टर उस ऑर्डर को रोके रख सकता है और उसके आधार पर वह उसका चाहे जिस रूप में उपयोग उठा सकता है, वह कह सकता है कि मैंने जिस एरिया को डिक्लेयर किया था उस स्थान को मैं डिक्लेरेशन से मुक्त करता हूं, तो इस प्रकार के करप्शन के चान्सेज़ कम हो जायेंगे। मैं यह जरूर समझता हूं कि इस प्रकार का नोटिस देने में सरकार को कुछ दिक्कतें हों, लेकिन सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि उसकी सूचना उस व्यक्ति को दी जाये जो उनसे प्रभावित होता है। अगर सूचना नहीं दी गई तो इसी के बेसिस को लेकर इस राजस्थान के अन्दर जहां हर महकमे में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, वह ऐसे मामलों में भी रिश्वत खाने में नहीं चूकेंगे। अगर इस प्रकार का प्रोवीज़न हम नहीं करते हैं तो हम उन लोगों के हाथ में हथियार देंगे जिसका वह दुरुपयोग करेंगे, तो इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इस तरह मैं दूसरे संशोधन का तो विरोध करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ये वर्ड्स हटाये जा रहे हैं वे नहीं हटाये जाने चाहिए, क्योंकि क्लॉज़ १२ जो है, उसमें स्पष्ट है :—

"Where the Veterinary Surgeon has reason to believe that an infective animal is or has been kept in any place which is owned by or is under the control or management of any local authority or railway administration and in which animals are kept

Page No.40

(श्री मूलचन्द डागा)

temporarily for purposes of sale or exhibition or while in transit he may by an order in writing declare such place to be an infected place."

तो उस हालत में जब क्लॉज़ १२ के अन्दर यह लिखा है कि उस प्लेस या उस आदमी को इन्स्टीच्यूट कर रहे हैं और फिर आप नोटिस शाया कर रहे हैं तो सैक्शन (४) के अन्दर यह जरूर है.........

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं अभी, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ ज्यादा क्लियर कर दूं तो आगे बहस नहीं होगी। मैं यों कह रहा था कि क्लॉज़ ११ के सब क्लॉज़ेज़ (४) और (५) को आप देखें, उसमें कुछ शब्द ऐसे थे, "any place declared by the veterinary surgeon to be infected place and not included in the infected area as defined in such notification shall cease to be an infected place and the Inspector shall give notice accordingly to the owner, occupier or person incharge of such place."

and in sub clause (5) in the 3rd line the inspecter shall give notice accordingly to all persons to whom copies of such declaration were delivered or on whom notices of such declaration were served."...after deleting these... यह इन्स्ट्रीच्यूस किया। वह शब्द वहां से हटा कर सब–क्लॉज़ (५) में इस प्रकार से दूसरी लाइन में, "the Inspector shall give notice accordingly to the owner, occupier or person-in-charge of such place."

इसको काट करके, "the inspector shall cause a notice of such cancellation to be proclaimed by the beat of drum."

यह सब्स्टीच्यूट किया उनको हटाकर। जब ये शब्द हटा दिये गये तो अब जो सब-क्लॉज़ (५) के अन्दर बाकी प्रावधान रहता है वह इस प्रकार रीड करेगा। उन शब्दों को वहां हटाया तो इनको यहां हटाया :

"Where the prescribed authority cancels any declaration referred to in sub-section (1) any place specified in such declaration shall cease to be an infected place and the Inspector shall give notice accordingly."

तो नोटिस का ये तरीका (way) क्या होगा, वह पहले डिफाइन किया जा चुका है और ऐसे शब्द हम पहले भी ओमिट कर चुके हैं। तो इन शब्दों को यहाँ से ओमिट किया जाना चाहिए। अब तो मेरे ख्याल से माननीय सदस्य संतुष्ट हो गये होंगे।

श्री मूलचन्द डागा : क्लॉज़ १२ में सब-क्लॉजेज़ (१) और (२) में देखिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : उसमें क्या है ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्लॉज़ १३ में यह है : "On receipt of the report of the Veterinary Surgeon, under sub-section (4) of Section 11 or sub section (2) of Section 12."

जो सैक्शन १३ है उसमें लिखा है :

"The prescribed authority shall, after making such further enquiry as it thinks fit."

तो सब क्लॉज़ (२) क्लॉज़१२ में मौजूद है, तो ये शब्द रहने चाहिए।

Page No.41

श्री नाथराम मिर्धा : मैं आपकी बात को नहीं समझ पाया। मैंने जो समझाया उसके मुताबिक यह होना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्लॉज़ १२में और पढ़ देता हूं :

"Where the Veterinary Surgeon has reason to believe that an infective animal is or has been kept in any place which is owned by or is under the control or management of any local authority or railway administration and in which animals are kept temporarily for purposes of sale, or exhibition or while in transit, he may by order in writing, declare such place to be an infected place.

(2) The Veterinary Surgeon shall. तो उसका जो ओनर है उसको नोटिस देना जरूरी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : उसमें सिर्फ दो ही चीजों के लिए लिखा है, या तो ऑफिस ऑफ दी लोकल ओथोरिटी या फिर रेलवे स्टेशन मास्टर को नोटिस की कॉपी देनी पड़ेगी। यह तो दो चीजों के लिए स्पेसिफिक प्रोविज़न है, वह सारी जनरल चीजों को कवर नहीं करता।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीमानसिंह, आप अपने अमेन्डमेन्ट को वापिस लेना चाहते हैं?

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री श्रीमानसिंह ने प्रस्तुत किया है उसको उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३ पर जो संशोधन श्री नाथूराम मिर्धा ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ १३ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज़ १३ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ १४, श्री श्रीमानसिंह।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष, मैंने क्लॉज़ १४ पर एमेन्डमेन्ट, जो उसमें पावर्स दिये गए हैं उनको रेस्ट्रिक्ट करने का, दिया है। इसमें इन्सपेक्टर जो कन्डीशन्स ले डाउन करे, उन्हीं कन्डीशन्स के मुताबिक जो एनीमल्स हैं; इन्फेक्टेड, डेड और एलाइव या उनका फूड और बेडिंग वगैरह है, उनको रिमूव करे। उन कन्डीशन्स को इन्सपेक्टर प्रेस्काइब करे तो इन कन्डीशन्स की सोल लाइबिलिटी उस पर, केरी आउट करने वाले पर इतनी हेवी हो सकती है कि उन कन्डीशन्स को या उस रेस्पोन्सिबिलिटी को वह एफिशियेन्टली नहीं डिस्चार्ज कर सकेगा, न उसको बर्डन कर सकेगा और

(श्री श्रीमानसिंह)

न शायद उनको बरदाश्त कर सकेगा। यह देखते हुए मेरा क्लॉज़ १४ के अन्दर यह अमेन्डमेन्ट है : "Add a proviso-Provided that the removal of the dead animal or any part of such an animal or any food, bedding or other thing used in connection with an infected animal shall be arranged free of cost by the Inspector."

तो यह जो बर्डन जो इन्सपेक्टर कराना चाहता है और जिसको स्टेट गवर्नमेंट यह चाहती है कि बर्डन उन्हीं आदमियों पर रहे। ऐसे एमरजेन्सी टाइम के अन्दर जहां पर कि इपीडेमिक हो उस रेस्पोन्सिबिलिटी को एफीशियन्टली डिस्चार्ज करे तभी एफीशियन्टली उस डिज़ीज़ को, सारी को, कन्ट्रोल किया जा सकता है, या एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जो कि अच्छी जगह है ले जाया जा सकता है। वह तभी हो सकता है जब कि स्टेट की एजेन्सी की तरफ से उसको एग्जीक्यूट कराया जाय और स्टेट ही इतनी बड़ी रिस्पोन्सिबिलिटी को फुलफिल या केरी आउट कर सकती है। तो बर्डन उन आदमियों पर नहीं रख कर रिमूव करवाने का स्टेट एजेन्सी पर रखते हैं तो जो आदमी पहले ही एपीडेमिक से सफर कर रहे हैं उन पर से बर्डन हटाने के लिए मैं यह प्रोविज़ो एड कर रहा हूँ।

डॉ॰ बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक संशोधन है, जो इस प्रकार का है कि इन्सपेक्टर को जो लाइसेन्स देने का अधिकार है तो उसके साथ ही साथ "or Veterinary Surgeon or the prescribed authority appointed by the State Government." बढ़ा दिया जाय। इसके बढ़ाने का तात्पर्य यह है कि अकेले इन्स्पेक्टर को अधिकार देने से कुछ लोग उससे नाराज हों तो उसकी अपील...

श्री नाथूराम मिर्धा : श्री बहादुरसिंहजी के अमेन्डमेन्ट्स मेरे पास में नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : वे सक्युलेट हो गये हैं।

डॉ॰ बहादुरसिंह : तो इस प्रकार से यह जिस व्यक्ति के जानवर ले जाना चाहते हैं इधर से उधर, उनको अपील करने का अधिकार होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें राज्य सरकार को कोई परेशानी नहीं है, बल्कि इससे तो और अधिकार मिलते हैं। मैं समझता हूं कि आप इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में मैं निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह इस प्रकार का प्रश्न है जिस पर कल जिस प्रकार की भावनाएं माननीय कृषि मंत्री महोदय ने व्यक्त की थीं, यदि उसी के आधार पर उदारता से इसके विषय में विचार किया जाय तो जो संशोधन पेश किया गया है उसको स्वीकार करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। कल जिस समय इसी विषय पर भाषण हो रहे थे, माननीय कृषि मंत्रीजी ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का ८००) रु० का ऊंट किसी बीमारी के कारण से मरता है और ऊंट वाले को यह इत्तिला मिल जाय कि ५) रु० के इन्जेक्शन से वह ऊंट बचाया जा सकता है तो वह ५) रु० सरकार के खजाने से नहीं लगाकर उस व्यक्ति के द्वारा खर्च कराया जाय और वह आसानी से खर्च भी कर सकता है। यह बात सही भी है और कुछ अंश में माननीय मंत्रीजी की इस दलील को स्वीकार भी किया

(श्री भैरोंसिंह)

जा सकता है। यदि इस विषय में विचार किया जाय तो एक व्यक्ति का ऊंट यदि किसी बीमारी के कारण से मर गया, उसका काफी इलाज किया, इलाज से कोई सुधार नहीं हुआ और इसके मरने पर ७००), ८००) रु० का नुकसान हुआ तो नुकसान होने के बाद में उस व्यक्ति के प्रति सरकार की ओर से या जो कोई भी हम इस सम्बन्ध में व्यवस्था बना दें उस व्यवस्था के अन्तर्गत कुछ न कुछ सहानुभूति होनी चाहिये। यह जिस तरह का प्रोविजन है यह सहानुभूति का प्रोविजन नहीं है, बल्कि एक आदमी को नुकसान हो गया, उस नुकसान के ऊपर फिर नुकसान कराने का प्रोविजन है। किसी आदमी का मवेशी मर गया तो वह मरने का नुकसान भोगे और मरने के बाद में सरकार की तरफ से उसको रिमूव करने की जो लाइबिलिटी है उसका भी नुकसान भोगे। सरकार की तरफ से ऐसे रूल्स बनाये जा सकते हैं कि मुर्दा मवेशी को इस प्रकार से ३ मील की दूरी पर गाड़ा जाय, यह समझ में आ सकता है कि मकान के बाहर या इन्फेक्टेड एरिया के बाहर निकालने का काम किसी भी तरह से मालिक का हो जाय और तीन मील के एरिया के बाहर हटा कर खास तौर से गाड़ा जाय या जलाया जाय। उस स्थिति के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, कई स्थान ऐसे देखने में आये हैं जहां राजस्थान फोरेस्ट एक्ट की वजह से. मनुष्य मरते हैं, उनको भी जलाने के लिए पूरी लकड़ी नहीं मिलती है वहां पर जानवरों को जलाने का प्रोविजन रूल्स के अन्दर अगर किया गया तो मवेशियों को जलाने के लिए राजस्थान में ईंधन उपलब्ध हो जाय, मेरी समझ में इस प्रकार की बात समझ के बाहर की बात होगी। इन्स्पेक्टर ने रूल्स प्रेस्क्राइब किये और प्रेस्क्राइब्ड रूल्स के अन्दर दूर ले जाने की बातचीत हो या और भी जो व्यवस्था हो, दौड़ने-भागने की ये सारी चीजें इस प्रकार की लाएबिलिटी हैं कि जिसे वह व्यक्ति जिसका नुकसान हुआ है पूरी नहीं कर सकेगा। ऐसी स्थिति में उस पर इसकी लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस तरह से यह प्रबन्ध होना चाहिए जिस तरह कि किसी का बैल मर गया तो सरकार तकावी देकर, सहायता देकर उसको रिएडजस्ट करने की कोशिश करती है। यहाँ पर रिएडजस्टमेंट का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ दैवी प्रकोप के कारण उसका नुकसान हुआ है और दूसरा सरकार के प्रकोप के कारण से नुकसान होने की व्यवस्था है। मैं माननीय कृषि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे उन नियमों को, जो कि आज भी गाँवों में प्रचलित हैं कि किसी भी प्रकार की बीमारी के कारण कोई जानवर मर जाय तो गाँववाले उसको गाड़ देते हैं और गाड देने के बाद उसके गड्ढे में कुछ ऐसी चीज डाल देते हैं कि जिससे उसकी हड्डियां जल्दी से गल जायं, देखें। आज का युग साइन्टीफिक युग है और उस साइन्टीफिक युग में कई बातें नई निकल आई हैं, तो नई बातों का जब समावेश होगा तो गाँववालों के लिए उससे समस्या बन सकती है। बल्कि स्थिति यह भी पैदा हो सकती है कि किसी गाँव को इन्फेक्टेड एरिया डिक्लेअर किया है क्योंकि वहां पर इन्फेक्शन के कारण जानवर मरते हैं और इन्स्पेक्टर ने जो रूल्स इसके लिए बना दिये, उनकी तामील की जाय। अगर तामील नहीं होती है तो उसको दण्ड दिया जाय। इस प्रकार की चीजें होंगी। इससे जिसका पशु मरेगा उसका और नुकसान होगा। वह किसी तरह से लिटिगेशन में पड़ेगा या उस पर

(श्री भैरोंसिंह)

सरकारी व्यवस्था की लाइबिलिटि पड़ने का चान्स ज्यादा होगा । सरकार कह सकती है कि किसी मवेशी को दूर गाड़ा या जलाया जाय, लेकिन किसी ने मवेशी को पास में गड़वा दिया है तो उससे कहा जा सकता है कि यहाँ से हटाओ और अगर नहीं हटाओगे तो सरकार उसके खर्चे पर उटाती है और यदि किसी के पास में ५०० मवेशी हैं और उसमें से ५० मवेशी मर जाते हैं तो मरने के बाद में लाइबिलिटी हो जायगी मालिक की कि उन ५० मवेशियों को सरकार द्वारा निर्धारित स्थान पर गाड़ा या जलाया जाय या जिस प्रकार की व्यवस्था हो, वह की जाय। जब रास्ते के अन्दर उसके ५० मवेशी बीमार हैं, वे मर जायं तो ५० मवेशियों को घसीट कर १ मील के बाहर, इन्फेक्टेड एरिया के बाहर ले जाकर नष्ट करने की कार्यवाही उसके लिए बहुत कष्टदायक होगी। सरकार का आदेश हो सकता है कि अमुक लोगों को इस प्रकार की बातें करनी चाहिए। सरकार ऐसी शिक्षा दे सकती है, उनको जानकारी करा सकती है लेकिन सरकार यदि उन पर कोई लाइबिलिटी थोपना चाहती हैं तो उनकी कीमत पर नहीं थोपे बल्कि अपनी व्यवस्था की कीमत पर थोपे। सरकार यदि चाहती है कि मरे हुए जानवरों को दूर जाकर डालना चाहिये तो ऐसी स्थिति में मवेशियों का मालिक तो डाल नहीं सकेगा, क्योंकि उसके पास साधन की कमी है, इसलिए वह अपने खर्चे से डाल नहीं सकेगा लेकिन यदि सरकार डलवाना चाहे तो वह अपने खर्चे से डलवा सकती है। वरना मान लीजिये ५० जानवर मर गये बीमारी से तो उनको हटवाने का खर्चा इतना पड़ेगा कि पांच-सात आदमी मर जायेंगे इस खर्चे के बोझ से। मैं समझता हूँ मंत्री महोदय, उदार दृष्टिकोण अपना कर भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है, उसे स्वीकार करेंगे। इसमें कोई विशेष खर्चा नहीं होता है और यदि खर्चा भी होता है तो जनता के हित में उसे बर्दाश्त भी करना चाहिये और इस खर्चे को उठाने में उनको संकोच नहीं करना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष, धारा १४ के सिलसिले में जो संशोधन भरतपुर से आने वाले सदस्य ने पेश किया है और उसके बारे में जो दलील उन्होंने और उनके समर्थकों ने दी हैं उनको गौर से मैंने सुना है। वे जिस उदारता की ओर इशारा कर रहे हैं, वह इस समय राज्य की हालत और राज्य के आर्थिक साधनों को देखते हुए उचित नहीं है। इन सारी जिम्मेदारियों को सरकार अपने सिर पर नहीं सम्भाल सकती और यह आसान काम नहीं है क्योंकि इस प्रकार का इन्फेक्टेड एरिया राजस्थान के किसी भी कोने में,किसी भी समय हो सकता है और उन इलाकों में जानवरों को हटाने के लिये सरकार के पास न तो इतने साधन ही उपलब्ध हैं और न ऐसा किया ही जा सकता है क्योंकि सरकारी कर्मचारी ऐसे इलाकों में एक-दो की तादाद में होंगे। जिन जगहों पर यह बीमारी है वहां से जानवरों को हटाने के लिये या डैड बौडीज को डिस्पोज ऑफ करने में या किसी तरह का कन्ट्रोल लाने में गांव में रहने वाले या उस इलाके में रहने वाले जहां पर कि यह रोग फैला हुआ है, म्युन्युअल हैल्प के कारण ज्यादा समर्थ हो सकते हैं और इसका इन्तजाम वे अच्छी तरह से कर सकते हैं। सरकार दूर दूर के कोने में ऐसा इन्तजाम नहीं कर सकती और सरकार के पास उसके लिये इतनी मशीनरी नहीं हो

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सकती। आखिर में काम करने वाले और मदद करने वाले भी गांव के लोग ही होंगे। ऐसे वक्त में गांव के लोग यदि सरकार से पैसा मांगें या पैसा डिमान्ड करें तो यह भी उनके लिये उचित नहीं होगा और सरकार भी इसकी व्यवस्था करने में अपने आपको असमर्थ पाती है, इसलिये मैं इन संशोधनों को मानने में असमर्थ हूं।

दूसरा संशोधन रखा है, "इन्स्पेक्टर" शब्द के बाद "गवर्नमेन्ट ऑथोरिटी" और बढ़ा दी जाय। इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाइसेन्स देने का काम किस तरह डिस्पोज ऑफ किया जाय, इसका प्रोविजन रखा हुआ है। "इन्स्पेक्टर" शब्द से ही मतलब हल हो जाता है इसलिये और शब्द बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिये यह संशोधन भी मानने लायक नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I want to speak on the Government amendment.

डॉ० बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन पर मन्त्रीजी का जो जवाब आया उसके बारे में मैं समझता था कि मन्त्रीजी मेरे संशोधन को एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि आखिर में इस बिल का बर्डन उन्हीं के एरिया के लोगों पर ज्यादा आने वाला है और इससे जितनी दिक्कत आने वाली है वह उन्हीं के एरिया में ज्यादा आयेगी। लेकिन फिर भी उन्होंने चार आग्युमेन्ट्स इसे एक्सेप्ट नहीं करने के बारे में दिये हैं। उनका पहला आग्युमेन्ट यह था कि गवर्नमेन्ट एजेन्सी एफीशियेन्टली इस काम को नहीं कर पायगी। मेरी समझ में यह नहीं आता कि जिस काम को गवर्नमेन्ट एजेन्सी एफीशियेन्टली नहीं कर सकती, इसको एग्जीक्यूट ठीक तरह से नहीं कर सकती उस काम को एक विलेजर जो अनपढ़ है, इल्लिटरेट है और इग्नोरेन्ट है वह इसको कैसे कर लेगा। उनकी दलील यहां ठीक नहीं बैठती। जिस काम को गवर्नमेन्ट के एक्सपर्ट्स नहीं कर सकते उसको एक प्राइवेट एजेन्सी और वह भी रूरल एरिया की एजेन्सी कभी भी नहीं कर सकती। दूसरी बात आपने यह बतलाई कि गवर्नमेन्ट के लिये फाइनेन्शियल लिमिटेशन है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि उनके जो फाइनेन्शियल लिमिटेशन्स हैं उनसे भी रूरल एरिया के जो विलेजर्स हैं, उनकी है। जिस नोमिनल कोस्ट को गवर्नमेन्ट नहीं बर्दाश्त कर सकती उसको विलेजर्स कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिये उनका दूसरा फाइनेन्शियल आस्पेक्ट का आग्युमेन्ट भी नहीं रहता।

तीसरी बात उन्होंने कही कि गांवों में म्युच्युअल हैल्प रहती है इसलिये सब मदद करके ऐसे मवेशियों को गांव के बाहर पटक देते हैं। मेरा अभी तक का जो अनुभव है वह यह है कि विलेजेज़ में एक पर्टिक्युलर कॉम्युनिटी है वही इस काम को करती है और मैं यह कहूंगा कि गांवों में जो शिड्यूल कास्ट के लोग हैं उन पर ही यह बर्डन जाता है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि आज गांवों में जो आपस में डिस्प्यूट पैदा होते हैं वे इस बात पर होते हैं कि गांवों में जो हायर स्ट्रेटा के लोग हैं या यों कहूं कि जो हवेली वाले लोग हैं,—those people who have got pacca houses in the villages. वे जो लो इन्कम ग्रुप के आदमी हैं, अनटचेबल्स हैं, शिड्यूल्ड

(श्री श्रीभानसिंह)

कास्ट के हैं या जो रिजर्व सीट के लोग हैं उनको वे हायर स्ट्रेटा के लोग प्रेस करते हैं कि मवेशियों को उठाओ। लेकिन जब वे लोग अपने राइट्स को सामने लाते हैं और कहते हैं कि हम नहीं उठावेंगे; तभी झगड़ा पैदा होता है। विलेजेज़ में हम कल्पना करते हैं कि यहां पर म्युच्युअल एड और कोओपरेशन है वह शायद रामायण युग में जरूर होगा, लेकिन २०वीं सदी में एक दूसरे के बीच में कम्पार्टमेन्ट्स इतने हो गये हैं, सोशियल, पोलिटिकल आदि स्टेट्स की वजह से या डेमोक्रेसी को लाने की वजह से हरेक अपने राइट के लिए कोशिश करता है। लेकिन विलेजर्स यह कन्सीडर करते हैं कि डेड एनीमल्स को उठाना लोएस्ट आदमी का वर्क है और इससे विलेजर्स पर केलेमिटी आयगी। जब दूसरे लोग इस काम को नहीं करना चाहेंगे तो शिड्यूल कास्ट के लोगों को प्रिपेअर रहना चाहिये इस काम को करने के लिये, क्योंकि दूसरा इस काम को कोई नहीं करेगा, इसलिये उन पर दबाव डाला जायगा। इस सब को मिटाने के लिये एक ही तरीका हो सकता है और वह यह कि डेड बोडीज को गवर्नमेन्ट एजेन्सी के जरिये उठाया जाय। उसको यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो वहां पर और जो कॉम्युनिटीज़ होंगी उनको कन्ट्रोल करना पड़ेगा। इसलिये मैंने यह सुझाव रखा था कि गवर्नमेन्ट एजेन्सी से यह काम कराया जाय। लेकिन मन्त्रीजी नहीं चाहते हैं। लेकिन उनकी दलील स्टेन्ड नहीं करती। इससे उनके एरिया पर ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और उसका जो रिजल्ट होगा, उसके फलस्वरूप इस बिल में अमेन्डमेन्ट बाद में लायेंगे। यह कह कर मैं अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १४ पर श्री श्रीभानसिंह और श्री बहादुरसिंह ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी गई।

डॉ० बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री श्रीभानसिंह(बयाना) : I withdraw my amendent.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १४ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज १४ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ १५.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

१ म० प०

श्री अध्यक्ष : Clause 16, Shri P. K. Chowdhri.

श्री पी० के० चौधरी : I move my amendment to clause 16 (2) This is, that the words and to stop and remain

Page No.47

(श्री पी० के० चौधरी)

stationary for so long as may reasonably be necessary, "be deleted."

मैं मानता हूँ कि यह फ्रेज़ सुपरफ्लुअस है। मेरे संशोधन से क्लॉज़ कम्प्लीट होता है, सफीशियेन्ट होता है। पूरा क्लॉज़ ऐसा है : "The person incharge of every such vessel or vehicle shall, when required to do so by an Inspector cause the vessel or vehicle to be taken to such place as the Inspector may direct and to stop and remain stationary for so long as may reasonably be necessary for the purpose of enabling the Inspector to inspect such vessel or vehicle. The Inspector may, after such inspection, if in his opinion the vessel or vehicle is not in a sanitary condition, require to be cleansed and disinfected in the prescribed manner."

It is even without 'stop and remain stationary for a reasonable period.' Even then this is not necessary. When the person is directed to go to inform the inspector, he will go when the inspection is over. He will simply show his face and run away. So this phrase is superfluous and may be deleted. —

श्री श्रीमानसिंह : माननीय अध्यक्ष, मेरा अमेन्डमेन्ट है : "Substitute the word 'him' in the third line by the words 'the Government Agency.'" माननीय अध्यक्ष, जो क्लॉज़ है उसमें यह है कि जो डिसइन्फेक्ट करने का बर्डन है, वह उस पर्सन पर होगा, जिसको एन्ट्रस्ट गवर्नमेंट एजेन्सी करे। मेरा जो अमेन्डमेंट है वह यह है कि that should be taken up by the Government Agency. क्योंकि अभी तक जहां तक गवर्नमेन्ट एजेन्सी जिस तरह प्राइवेट इन्डीविजुअल से डिसइन्फेक्ट कराती है, उसका नमूना मलेरिया स्क्वैड जैसा है, मलेरिया स्क्वैड जाती है, एक बिल ले जाती है पाउडर वगैरह ले जाती है, गोलियां ले जाती है और कोई प्राइवेट आदमी जो रास्ते चलते हुए मिलता है उसको दे देती है और कहती है कि ये गोलियां बांट देना, इसको, पाउडर को, घर में फैला देना। वह प्राइवेट इन्डीविजुअल आधा वहां फैला देता है और आधा घर में रखता है, लेकिन जिस काम के लिए वे चीजें दी जाती हैं उनमें वे एग्ज़ीक्यूट नहीं की जाती हैं। इससे होता यह है कि एग्रीकल्चर के डिसइन्फेक्शन के लिए उसको काम में नहीं लिया जाता और वे चीजें मार्केट में आती हैं और पब्लिकली मार्केट में सेल होती हैं। जिस पर्पज़ के लिए हम इन दवाओं को डिस्ट्रिब्यूट करते हैं, जिस पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट का खर्चा होता है और जिस पर्पज़ के लिए वे चीजें डिस्ट्रिब्यूट की जाती हैं, वह पर्पज़ वर्क आउट नहीं होता है और उस काम को एन्ट्रस्ट कर देते हैं एक प्राइवेट इन्डीविजुअल को और उसको कह देते हैं कि उनका क्या क्या करना पड़ेगा और उसको दे दिया। उसका उपयोग कुछ कर लिया, कुछ नहीं किया। पर्पज़ है कि डिसइन्फेक्शन होना चाहिए, उसके लिए प्रिवेन्टिव मेजर्स है, वे कम्प्लीट कर दिये। लेकिन इसको एफीसियेन्टली वर्क आउट करने वाली, पर्पज़ को देखते हुए, एक एजेन्सी हो सकती है और वह है गवर्नमेन्ट एजेन्सी। इसलिए मैं वर्ड "हिम" को सब्स्टीट्यूट करने के लिए बाई दि वर्ड्स "गवर्नमेंट एजेन्सी" का अमेन्डमेंट रखता हूँ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष, जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसका

(डॉ० बहादुरसिंह)

मैं समर्थन करता हूँ और समर्थन करने का एकमात्र कारण यह है कि आज व्यवस्था हमारे यहां इस प्रकार की है कि अगर किसी रोग का निरोध करने के लिए कोशिश करते हैं तो होता यह है कि जैसे मलेरिया फैल रहा है, तो जैसा कि बताया गया कि मलेरिया की गोलियां देहात में दे दी जाती हैं, जबकि वे लोग यह नहीं जानते हैं कि प्लैरोडिन की गोलियां किस प्रकार दी जाती हैं। उनको पाउडर भी दे देते हैं, जिसे अगर कब्ज की स्थिति में दे दें तो पेशाब में खून आने लगेगा। इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। मान लीजिये कि जो बीमारी का निराकरण करती है, जो ऐसी औषधि है, वह पोइजन है, अगर वे किसी व्यक्ति को दी जाय, और कोई उसे खा जाय, तो हानि होने का भय रहता है। ग्रामीण लोगों को शिक्षित न होने के कारण ज्ञान नहीं रहता है कि क्या नुकसान करने वाली चीज है। इसलिए गलत प्रयोग होता है। इसके लिए राज्य सरकार को व्यवस्था रखनी चाहिए और शिक्षित व्यक्तियों द्वारा यह काम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति दिख गया उसके द्वारा काम करा दिया। इसलिए माननीय श्री श्रीमानसिंहजी ने जो संशोधन रखा है, वह गम्भीरता के साथ सोचने के लायक है। क्योंकि यह जो मामला है, इसमें भूल होने की, नुकसान होने की आशंका है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि माननीय मन्त्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय अध्यक्ष, क्लॉज १६ में जो अमेंडमेंट है, मेरे ख्याल से इसको अगर मानेंगे तो सब-क्लॉज (२) की जरूरत नहीं रहती है, सब क्लॉज (२) खत्म हो जाता है और उसकी जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि सब क्लॉज में शब्द "हिम" की जगह अगर 'गवर्नमेंट एजेन्सी' शब्द स्वीकार कर लेते हैं तो सब क्लॉज (२) की जरूरत नहीं रहती :

'Every vessel or vehicles used by a common carrier for the transport of animals shall be cleansed and disinfected by a Government agency at such periods and in such manner as may be prescribed.'

इस क्लॉज की बिल्कुल जरूरत मिट जाती है। इस क्लॉज के आधार पर जितना काम होता है, वह गवर्नमेंट के द्वारा हो, क्योंकि अगर किसी संक्रामक रोग को खत्म करना है, तो साधारण व्यक्ति के पास वे साधन उपलब्ध नहीं होते जो साधन गवर्नमेंट मशीनरी के पास उपलब्ध होते हैं। साधारण व्यक्ति इन साधनों का उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता है। ऐसी हालत में क्लॉज १६ में जो सब क्लॉज (२) है, उसमें आपने लिखा है कि आना पड़ेगा, आने के बाद ये दिक्कतें उठानी पड़ेंगी और इन्स्पेक्टर आयेगा और उसकी इच्छा से काम करना पड़ेगा। इस क्लॉज की जरूरत नहीं रहेगी, इसलिए इसे हटा देना चाहिए। सब क्लॉज (१) क्लॉज १६ में शब्द 'हिम' की जगह शब्द 'गवर्नमेंट एजेन्सी' हो जाय तो जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, उसी में ही काम निकल जायगा। इसलिए इसको गवर्नमेंट अपने चार्ज में ले ले।

(श्री रामचन्द्र और श्री नाथूराम मिर्धा, दोनों के बोलने को खड़े होने एवं श्री नाथूराम मिर्धा द्वारा श्री रामचन्द्र को बैठ जाने को संकेत करने पर)

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : यह इनका राइट है; माननीय मंत्री कह रहे हैं, बैठ जाओ।

Page No.49

श्री नाथूराम मिर्धा : खास बात निवेदन करने की नहीं है। अगर माननीय सदस्य बोलने के लिए उत्सुक हैं, तो बोल लें। मुझे एतराज नहीं है।

श्री रामचन्द्र (डग) : अध्यक्ष महोदय, जो पशु रोग निवारक बिल पेश हुआ है, उसके कुछ क्लॉजेज़ का सम्बन्ध मरे हुए पशुओं से है। यदि कोई जानवर मर जाय, तो उसको हटाने सम्बन्धी कार्य और उसे डिस-इन्फेक्ट करने की सारी जिम्मेदारी उस व्यक्ति विशेष पर रखी गई है, जिसका वह जानवर है। अध्यक्ष महोदय, समय की परिस्थितियों को देखते हुए और आज के वातावरण पर विचार करते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज राजस्थान में मरे हुए पशुओं की लाशों को उठाने के विरुद्ध एक जबर्दस्त आन्दोलन चल रहा है। सवर्ण यह धारणा रखते हैं कि मरे हुए पशुओं को उठाने का काम एकमात्र हरिजनों का ही है, यह उनकी नितान्त भूल है। यह काम हरिजनों का नहीं है, यह तो गरीबी की वजह से उन लोगों के ऊपर लादा गया है और यह जो भावना बनी हुई है, मैं इस भावना को ठीक नहीं समझता। अगर मरे हुए पशुओं के उठाने की जिम्मेदारी मालिक पशु के ऊपर रखी जायगी, तो फिर उन्हें इस काम के लिए हरिजनों का ही मुँह देखना पड़ेगा और हरिजन उन्हें उठाने से इन्कार करेंगे, नतीजा वह होगा कि सवर्ण और हरिजनों में संघर्ष होगा। इस संघर्ष को दूर करने के वास्ते मैं तो यह निवेदन करूंगा कि यह सारी जिम्मेदारी मरे हुए जानवरों को उठाने की और डिसइन्फेक्ट करने की, गवर्नमेंट अपने ऊपर ले ले। गवर्नमेंट के हाथ प्रबल होते हैं, वह चाहे जैसा इन्तजाम कर सकती है। लेकिन व्यक्ति विशेष वैसा इन्तजाम नहीं कर सकेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि शब्द 'हिम' के बजाय 'बाइ गवर्नमेंट एजेन्सी' रख दिया जाय तो बहुत अच्छा होगा।

दूसरी बात जो हमें यहां विचारनी है कि संक्रामक रोगों को दूर करना। तो हमारा एक लक्ष्य है और वह लक्ष्य यह है कि यदि कोई पशु किसी छूतदार बीमारी से मर जाय, तो उन जानवरों को हमें इस तरह डिस्पोज ऑफ करना चाहिए कि वह बीमारी दूसरों को न लगे और उससे सम्बन्धित जितना सामान है, उसको भी डिसइन्फेक्ट कर दिया जाय।

तो यह काम सरकारी एजेंसी ही ठीक तरह से कर सकती है। यदि यह जिम्मेदारी किसी व्यक्ति पर डाली जायगी तो न तो वह उस काम को फायदे से कर सकेगा और न वह अपनी जिम्मेदारी ही समझेगा।

इन दोनों बातों की ओर ध्यान दिलाते हुए मैं तो यही कहूँगा कि सरकार इन बातों को अपने हाथ में ले ले।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष, जो संशोधन माननीय सदस्य ने इस क्लॉज के सम्बन्ध में रखा है कि एक तो इसमें से 'हिम' के स्थान पर 'गवर्नमेंट एजेंसी' लगा दिया जाय, दूसरा संशोधन रखा है कि To stope and remain stationary for so long as may reasonably be necessary" इनको हटा दिया जाय। मैं दोनों ही संशोधनों को मानने में असमर्थ हूँ, कारण यह है कि उन्होंने कहा है 'हिम' के स्थान पर 'गवर्नमेंट एजेंसी कर दी जाय और इसके साथ हरिजनों की समस्या को जोड़ा। इस धारा को पढ़ें तो मालूम होगा :

(श्री नाथूराम मिर्धा)

"Every vessel or vehicle used by a common carrier for the transport of anima's shall be cleansed and disinfected by him at such periods and in such manner as may be prescribed."

जो गाड़ी और सामान इस प्रकार के डिसइन्फेक्शयस एनिमल्स को ले जाने के काम में आये उनको किस तरह साफ किया जायगा। इन्स्पेक्टर जो वहां पर मौजूद होगा वह गांववालों को साफ करने का तरीका बतायेगा। डिसइन्फेक्शन को साफ करने का जो तरीका है वह गरम पानी से साफ करने का है, गरम पानी से साफ कर लिया जाता है, अब इसमें सरकार क्या इन्तजाम करेगी? हां, सरकार दवाई दे देगी और क्या इन्तजाम करेगी?

इन शब्दों को रखना जरूरी है। दवाई से रोकने की, धूप से रोकने की, आवश्यकता होती है, ये जो शब्द हैं उनके मीनिंग हैं, इसलिये इनको रखना पड़ता है। सारे काम सरकार कर ले यह मान्यता लेकर सदन के माननीय सदस्य चलते हैं, यह सम्भव नहीं है। मैं यह महसूस करता हूँ कि इस प्रकार के सुझावों को अभी मानने की सरकार की शक्ति नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्रीजी, जो मैं यह कहूँ कि, कुछ ऐसे आर्यन फ्रेम वर्क में बंधे हुए हैं उससे वे बिल्कुल डेवियेट नहीं होना चाहते तो एग्जाज़रेशन नहीं होगा। हमारे समाने प्रेक्टिकल एक्सपीरियेन्सेज़ हैं, उनको काम में नहीं लेना चाहते। आज कहा जाता है कि जिस इन्डिविजुअल को मुक़र्रर करेंगे, वही सामान साफ करेगा। पर हमारा प्रेक्टिकल एक्सपीरियेन्स हमें कुछ और बताता है। जो माननीय सदस्य अभी हरिजनों की तरफ से बोले उन्होंने कहा वह ठीक ही कहा था। आप प्रगतिशील सरकार हैं, हरिजनों के राइट्स को सेफगार्ड करना चाहते हैं और उन्ही पर बर्डन रखते हैं। मेरे जैसे आदमी गांवों में रहते हैं, वे तो डायरेक्ट करने वाले हो जाते हैं और देखा जाय तो सारा काम श्मशान में हरिजन ही कर रहे हैं, ये प्रेक्टिकल एक्सपीरियेन्सेज़ हैं। तो ऐसी सूरत में 'हिम' की जगह सब्स्टीट्यूट सीधा कर दें 'शिडयूल्ड कास्ट्स एन्ड शिडयूल्ड ट्राइब्स'; तो भी शिडयूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स पर ही बोझा आयेगा और 'हिम' करते है तो भी उन्हीं पर आयेगा।

अगर नहीं चाहते हैं तो, if you dont' want to gain by this, then I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री नाथूराम मिर्धा : जहां विहिकिल्स एण्ड वेसल्स का सवाल है, वह है वहां हरिजन कहां से आ गये?

श्री श्रीभानसिंह : हरिजन ही तो उनको चलायेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : किसान खुद अपनी गाड़ियों से ले जाते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : I will d rect them to your Bungalow in the Civil Lines......

श्री नाथूराम मिर्धा : किसान ले जाते हैं अपनी गाड़ियों में।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी और श्री श्रीभानसिंह

(श्री अध्यक्ष)

ने क्लॉज १६ में रखे है, उन्हें वापिस लेने की आज्ञा दी जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री पी० के० चौधरी : I may be permitted to withdraw my amendment.

श्री श्रीमानसिंह : I withdraw my amendment.

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amenement.

श्री अध्यक्ष : क्लाजेज १६ व १७

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज १६ और १७ स्वीकार किये जायं ।

(स्वीकृत)

क्लॉज १६ और १७ विधेयक के अंग बने ।

(विराम)

क्लाज १८; श्री श्रीमानसिंह,

श्री श्रीमानसिंह : माननीय अध्यक्ष, मेरा अमेंडमेंट है :

"Delete the words subject to such rules as may be prescribed."

अभी तो मैं मन्त्री महोदय के कहने के माफिक हरिजन्स के सेन्टीमेंट्स को एक्स्प्लोइट कर रहा था, अब डेमोक्रेसी के सेन्टीमेंट्स को एक्स्प्लोइट करूंगा । इधर एक सिम्पल पॉवर है :

"The Veterinary surgeon may make or cause to be made, a post-mortem examination of any animal which at the time of its death was infective or is suspected to have been infective and for this purpose he may cause the carcass of such animal to be exhumed." यह है तब इसमें "Subject to such rules as may by prescribed."

यह रूल्स के प्रेस्क्राइब्ड से क्या मतलब हो सकता है । जब कि वेटरनरी इन्स्पेक्टर को स्पोट पर बुला सकते हैं कि एपिडेमिक को कन्ट्रोल करें और बहुत से जानवरों की डैथ हो जाती है, बिसाइडस एव्री सोर्ट ऑफ प्रिकाशन्स के लेने के, सर्जन की समझ में नहीं आता कि क्यों डैथ हो गई, सब तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स के लेने के बावजूद भी तो इमिजियेटली पोस्टमॉर्टम करके एनेलिसिस करें और डैथ के कॉज़ को मालूम करे, इसमें भी हम सस्पेक्ट करते हैं, बिना लॉ डिपार्टमेंट की राय लिए नहीं करें, तो क्या प्रेस्क्राइब करना चाहते हैं ? "Subject to the prescribed rules" even then you say the animal is without infective disease.

मगर रखते क्या हैं ? There should be rules. इमिजियेट ऑफिसर्स रहते हैं, उनको रेस्पोन्सिबिलिटी देना चाहते हैं कि जल्दी से एपिडेमिक का कन्ट्रोल करें इसको तो इतने पावर्स देने के बाद में पोस्टमार्टम का पॉवर देना भी चाहते हैं और नहीं भी देना चाहते हैं :

If I am an expert of the subject, I can come to a certain conclusion as to why this is within my powers and it should be within my powers. Even to a certain extent, we have given them powers to destroy. We want to

Page No.52

(श्री श्रीभानसिंह)

do a cartain thing और कि जिन केसेज को सस्पीशियस देखें, Let them do. What thing, what conditions, what circumstances, what is there for the Government to do, The facts are facts.

यह मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता और मैं फिर कहता हूं कि यह संशोधन ऐसा है कि मन्त्री महोदय को स्वीकार कर लेना चाहिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है कि "Subject to the rules prescribed." यह शब्द हटा दिये जायं। मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां पर रूल्स कानून में बन जाते हैं वहां पर एक प्रकार की युनिफॉर्मिटी हो जाती है, जब ऑफिसर्स के लिए वे रूल्स बना देते है तो इस प्रकार की युनिफार्मिटी सब आफीसर्स के लिए, सब डाक्टर्स के लिए, सब सर्जन्स के लिए गाइडेन्स के तौर पर काम करती है और काम ज्यादा अच्छी तरह से हो सकता है। इस क्लॉज के नीचे रूल्स बनाने का प्रोविजन रखा है कि किन किन केसेज़ में किन किन तरीकों को ध्यान में रख कर पोस्टमॉर्टम किया जाना चाहिये। इसलिए सब लोगों में समान युनिफॉर्मिटी रखने के लिए यह तरीका रखा है और यह रखा जाना अनिवार्य है। इसलिए मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापिस ले लें।

श्री श्रीभानसिंह : मैं अपने संशोधन को तो वापिस ले लूंगा लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आया कि आप टेक्निकल मामलों में क्या युनिफॉर्मिटी लगावें।

श्री नाथूराम मिर्धा : जब होगी उस समय आप देख सकते हैं।

श्री श्रीभानसिंह ; मैं आपको टेक्निकल चीज है वह समझा रहा हूँ। टेक्निकल मामलों में रूल्स आप बना नहीं सकते। इस मामले में तो सर्जन्स या एक्सपर्ट्स ही रूल्स बना सकते हैं और यह जान सकते हैं कि किस तरह की डिज़ीज़ है और इसके लिए क्या प्रोटेक्शन होना चाहिए। इसलिए आप उन रूल्स में युनिफॉर्मिटी प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा मैं समझता हूं कि आप यह कर सकते है कि किसी पर्टीक्युलर डिज़ीज़ में पोस्टमार्टम करा सकते हैं। लेकिन मैं उन रेस्ट ऑफ दी डिज़ीज़ेज़ के बारे में निवेदन करूंगा कि जिसमें आप पोस्टमार्टम नहीं करा सकते। मैं अगर पोस्टमार्टम कराना चाहता हूँ और सर्टेन डिज़ीज़ में प्रीकोशन लेना चाहता हूँ तो उसमें आप मुझे क्यों प्रीवेन्ट करना चाहते हैं। यह बात इसमें बिल्कुल क्लीअर नहीं है। यहां पर कह दिया है कि युनिफॉर्मिटी ला रहे हैं रूल्स में, मगर क्या युनिफॉर्मिटी ला रहे हैं यह पता नहीं है और इस क्लॉज में क्या है। माननीय मन्त्री महोदय ने देखा होगा और वे जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। मगर हाउस को अवगत नहीं कराया गया। उन्होंने यही बताया कि इससे फायदा होने वाला है। But the future will speak about this and, therefore, I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री अर्जुनदास : I want to know one qnestion. Does the Hon'ble Minister mean to suggest that by the rules which shall be prescribed, they will prescribe the procedural rules to be abided by the Veterinary Surgeons? I believe the rules should be for the

Page No.53

(श्री अर्जनदास)

procedural law and not on the powers. You will kindly make it a bit clear on this point.

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी रूल्स बने नहीं हैं। किस दफा के नीचे क्या रूल्स बनते हैं ? टेक्निकल दिमाग वाले क्या बनावेंगे, वह आप जिस समय बनेंगे, देख लेना।

श्री अर्जनदास: When you suggest process like this, what do you mean by this ? What powers you really want ? Rules for the procedure or the rules for powers ?

श्री अध्यक्ष : These rules will also come before the House.

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय इस बिल को पायोलेट कर रहे हैं, क्या रूल्स होंगे यह बता सकते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके लिए किस प्रकार के रूल्स बनेंगे, यह मैं याद करके थोड़े ही आया हूँ या मेरे दिमाग में झांक कर थोड़े ही आया हूँ।

श्री अर्जनदास : The Hon'ble Minister is bound to point out.

श्री नाथूराम मिर्धा : They have not been framed so for, I cannot say.

श्री पी० के० चौधरी : The Hon'ble Minister has not given any rules on the subject.

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी तक तो कोई क्लॉज़ ही पास नहीं हुआ है कि किस क्लॉज़ के नीचे पोस्टमॉर्टम किस प्रकार से होगा......

श्री पी० के० चौधरी : The Hon'ble Minister must be in a position to say when he lays down a law on the point. He must say.

श्री अर्जनदास : If you permit me I may give you a verbal amendment, if the Hon'ble Minister has no objection to accept it.

श्री नाथूराम मिर्धा : I think such thing should not be allowed.

श्री अध्यक्ष : It is simply a suggetion for you. If it suits, you adhere.

श्री अर्जनदास : I suggest this that at the end of the clause these words may be in confirmity Rules that may be prescribed.

श्री अध्यक्ष : What addition there is ?

श्री अर्जनदास : The Rules will be about the procedural law.

श्री अध्यक्ष : That might contain something more.

श्री अर्जनदास : But I wanted to be more clear on the point.

श्री अध्यक्ष : Rules may contain something more than this......

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १८ में श्री श्रीभानसिंह ने रखा है, उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री श्रीभानसिंह : I withdraw my amendment.

Page No.54

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ १८ से २३ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ १८, १६, २०, २१, २२ और २३ स्वीकार किये जावें ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ १८, १६, २०, २१ २२ और २३ विधेयक के अंग बने ।

(विराम)

क्लॉज़ २४, श्री श्रीभानसिंह ।

श्री श्रीभानसिंह : I don't want to move my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २४ को स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २४ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ २५, श्री कृषि मंत्री ।

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : माननीय अध्यक्ष, इस पर मेरा छोटा सा संशोधन है कि in sub clause (3) में से 'imposed by a court' शब्द डिलीट कर दिये जावें ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : This amendment is defective, Sir. This amendment proposes that it is to be removed from one place and it should be dropped. These are at two places- fine imposed by the court, is there. He has only said that it will be removed from one place, but he has not said from which place? Therefore he should not be allowed to move it.

श्री अध्यक्ष : (मंत्री महोदय को संबोधित करते हुए) आप दोनों जगहों से ये शब्द रिमूव करना चाहते हैं या एक ही जगह से ।

श्री श्रीभानसिंह : The amendment is not clear.

श्री अध्यक्ष : That is I am asking.

श्री नाथूराम मिर्धा : सब क्लॉज़ (३) इस प्रकार है :

The cost of any measures taken or thing done under sub section 2 shall be recoverable from the person concerned in the manner provided by the Code of Criminal Procedure 1898 (Central Act V of 1898) for the recovery of fines imposed by a court as if such costs were a fine imposed by a court..'

श्री पी० के० चौधरी : Mr. Speaker, sir, I object to the dictation by the Secretariat.

श्री अध्यक्ष : We should go only in the real intentions of the proceeding. So it is in the last line.

श्री पी० के० चौधरी : In the amendment which was proposed it is not given......

श्री अध्यक्ष : We should always be co-operative.

श्री तनसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीभानसिंह, आपका अमेन्डमेंट है ।

Page No.55

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें पहले बर्डस हैं, ये हटाने के हैं।

एक माननीय सदस्य : 'For the of recoveryfines imposed by a cort. पीछे वाले रहेंगे, और बीच वाले हटेंगे।

(हंसी)

श्री पी० के० चौधरी : आखिर रहा क्या ?

श्री श्रीभानसिंह : (श्रीअध्यक्ष से) क्या आप श्योर हो गये हैं ?

श्री अध्यक्ष : Yes, he is sure

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेन्ट क्लॉज़ २५ में यह है :

"Subtitute sub clause (3) by the following :

The recoverable cost of any measure taken or thing done under sub section (2) shall in no case exceed 1/8 part of the net income of the person concerned, and the rest shall be borne by the State Government; and shall be recoverable from the person concerned in the manner provided by the code of Crimibal procedure, 1898 (Central Act (V) of 1898) for the recovery of fines imposed by a court, as if such costs were a fine imposed by a court"

इस जगह मैंने यह लिखा है कि रिकवरेबल कॉस्ट का जो बर्डन रखा है दैट कॉस्ट इज बियोन्ड दी मीन्स हो सकता है, इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जितना भी बीमारी पर खर्च हो उसमें १।८ उसके मालिक से वसूल किया जाय और बाकी का गवर्नमेंट को बिअर करना चाहिये। यह हो सकता है कि एक ऊंट को एपिडेमिक से बचाने के लिये ५) रुपये का इन्जेक्शन भी काफी हो सकता है और कभी यह भी हो सकता है कि ८००) रुपये का ऊंट बचाने के लिये चार सौ, पांच सौ रुपये भी खर्च हो सकते हैं, इस प्रकार कॉस्ट इतनी एक्सैस है कि वह उसको बिअर नहीं कर सकता, इसकी भी लिमिट होनी चाहिये। लिमिट में हम इन्कम केल्कुलेट नहीं कर सकते, मगर सर्टेन पोर्शन की लिमिट तो बांध देनी चाहिये। इसलिये मैंने कहा है कि १।८ ऑफ दी नेट कॉस्ट उससे रिकवर कर लिया जाय व रेस्ट स्टेट गवर्नमेंट बिअर करे। जब कि हम स्टेट में समाजवादी ढांचा कायम करने जा रहे हैं, कल्याणकारी राज्य कायम करने जा रहे हैं वैसी हालत में मेजोरिटी ऑफ रेस्पोन्सिबिलिटीज़ सोशियली, एज्युकेशनली, मेडिकल और हेल्थ की कम से कम ८० प्रतिशत गवर्नमेंट को बिअर करनी चाहिये, लेकिन आज स्थिति यह है कि २० पर्सेन्ट भी बिअर करने को सरकार तैयार नहीं है। अगर सोशियली रेस्पोन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते आप तो यह आपका कल्याणकारी राज्य नहीं कहला सकता। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि लेजिटिमेटली जितना बिअर कर सकता है उतना तो यह बिअर करे और जो १।८ का पर्सेन्ट रखा है वह तो ओनर ऑफ दी एनीमल से वसूल कर लिया जाय और बाकी का स्टेट गवर्नमेन्ट को बिअर करना चाहिये। अच्छी अच्छी दवाइयों को आप बाहर से मंगायेंगे, उनको काम में लिया जायगा; हो सकता है उसमें कॉस्ट बढ़ जाय, अगर आप कोस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसी हालत में जैसे कि आप लोकस्ट के लिये प्लान्स आप मंगाते हैं तो उनका खर्चा विलेजर्स से लेते नहीं, उसमें कितना ही खर्चा हो स्टेट बिअर करती है। उसी प्रकार कुछ रेस्पोन्सिबिलिटी सरकार स्वयं फील करे, इसलिये मैंने रखा है

(श्री श्रीमानसिंह)

१।८ तो उससे लिया जाय, इसलिये मैंने नेट इन्कम का पर्सेन्टेज रख दिया है। मैं नहीं समझ सकता कि कल्याणकारी राज्य में, डेमोक्रेसी की स्थापना में, इसमें कौन सी चीज बाधा डाल सकती है ! इसलिये मेरा यह निवेदन है कि उससे फुलेस्ट इन्कम तक बिअर किया जाय, १।८ पर्सेन्ट मैंने रखा है, रेस्ट ऑफ दी पोर्शन मस्ट बी बोर्न बाइ दी स्टेट गवर्नमेंट । यह मेरा अमेन्डमेन्ट है ।

श्री रामचन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो क्लॉज़ २५ है, जिसमें भरतपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेंट रखा है, उसका मैं विरोध करता हूँ । इस बिल में यह बतलाया गया है कि इस विधेयक के क्लॉज़ को अमल में लाने के लिये मालिक जानवर से इस क्लॉज़ के अनुसार कौन कौन उपचार अमल में लाने के लिये कहा जाय और अगर वह उनको अमल में नहीं लावे तो लाजमी तौर से सरकार पर जिम्मेवरी हो जाती है कि पब्लिक की सुरक्षा के वास्ते उसका उपचार खुद करे, और उस उपचार में जितना खर्चा लगे वह मालिक पशु से लिया जावे। यह इस क्लॉज़ की मन्शा है। इसमें देखने की बात है कि सरकार की मन्शा क्या है ? सरकार की मन्शा इसमें यह है कि जो बीमारी पशु के लगी है वह बीमारी और न फैले । सरकार की यह मन्शा शुद्ध है । इस शुद्ध मंशा को अमल में लाने के लिये सरकार को मदद देनी चाहिये । उस पशु के मालिक ने पहला कुसूर तो यह किया कि उसने सरकारी आदेश की अवहेलना की । अब उस काम को सरकार कर देती है तो उसमें जो खर्चा सरकार को करना पड़े और वह उस मालिक से सरकार वसूल करे तो मेरे ख्याल से इसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिये । वह खर्चा पशु के मालिक से ही लिया जाना चाहिये ।

श्री बहादुरसिंह (धौलपुर) : जो संशोधन श्री श्रीमानसिंहजी ने रक्खा है उसका मैं समर्थन करता हूँ । किसान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सारा खर्चा उससे लेना अनुचित होगा, १।८ के हिसाब से लिया जाना उचित होगा ।

यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह पशु और मनुष्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रक्खे । सरकार चिकित्सा और शिक्षा फ्री देना चाहती है, ऐसी स्थिति में पशुओं की चिकित्सा का पैसा मालिक से लेना उचित नहीं हो सकता । यह संशोधन उपयुक्त है । हो सकता है, सरकार के पास पैसा न हो तो इसके लिये वह और टैक्स लगा सकती है पर चिकित्सा के नाम से खर्चा लिया जाना उचित नहीं । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये ।

१० ४३ म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय चेयरमेंन महोदय, जो संशोधन भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रक्खा, उस पर उनकी बहस को सुनने के बाद खुशी है कि वे आज कल काफी तेजी से समाजवाद की तरफ बढ़ना चाहते हैं। परन्तु सरकार की......

श्री श्रीमानसिंह : माननीय मन्त्री महोदय नहीं बढ़ना चाहते हैं क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आज-कल तेज गति हो गई है उनकी, पर राज्य सरकार

Page No.57

(श्री नाथूराम मिर्धा)

आर्थिक साधनों की कमी की वजह से उस तेजी के साथ नहीं चल पाती है जितनी तेजी से वे आगे जाना चाहते हैं। इसलिए मैं उनके संशोधन को मानने में असमर्थ हूँ और उनसे विद्ड्रॉ करने के लिये निवेदन करता हूँ।

श्री श्रीभानसिंह : कोई आग्युमेन्ट तो दिया नहीं। वह तो थोड़ी कम प्रगति के साथ बढ़ना चाहते हैं और मैं तेजी के साथ और अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो कम दौड़ना चाहते हैं वे आगे आ जावें जो आगे दौड़ना चाहते हैं वे पीछे चले जावें। वैसे वे नहीं मानना चाहते हैं तो मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ। आप आज्ञा दें।

श्री भैरोंसिंह : आप मजबूर क्यों होते हैं वापिस लेने के लिए ?

(हंसी)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री श्रीभानसिंहजी ने रक्खा है उसे वापिस लेने की उनको अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री श्रीभानसिंह : I Withdraw my amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २५ में माननीय मन्त्री महोदय ने रक्खा है वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ २५, स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २५, एज अमेन्डेड, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ २६।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय चेयरमैन महोदय ये जो मेरे पांचवीं लिस्ट के संशोधन के प्रस्ताव सर्कुलेट किये गये हैं माननीय सदस्यों के सामने वे संशोधन जो क्लॉज ६ के अन्दर जो संशोधित क्लॉज रखना चाहते हैं उनमें शब्द 'डेस्ट्राय' को हटाने के बाद में उसके कॉन्सीक्वेन्शल अमेंडमेन्ट जो करने पड़ेंगे, उन सब को अमेंड करने के लिये हैं। उसके मुताबिक क्लॉज़ २६ में मेरा यह प्रस्ताव है कि ये शब्द इसमें से निकाल दिये जावें।

"After the word 'infective animal' insert or is affected with a schedule disease."

श्री पी० के० चौधरी : On a point of order Sir, this list proposes a number of amendments in the clauses and those which we have already passed. e. g. Clause 9 etc; how whether such amendments are allowed at this stage unless a fresh motion for the amendment be moved before the House ?

श्री भैरोंसिंह : अभी जो लिस्ट आई है उसमें ६ के कॉन्सीक्वेन्श्यल अमेंडमेंट्स हैं, तो अगर उसको सदन ने पास भी कर दिया तो कॉन्सीक्वेन्श्यल अमेंडमेंट आज भी आ सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं।

Page No.58

श्री नाथूराम मिर्धा : इसलिए मेरे वे अमेन्डमेन्ट्स क्लॉज़ २६ पर हैं, उनको मूव्ड समझ कर मान लिया जावे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २६ में रक्खा गया है उसको स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २६, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधित २६ क्लॉज़ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

Clause 27. Amenadment by Shri P. K. Chowdhari.

श्री पी० के० चौधरी : I move only one amendment in clause 27 that part (viii) be deleted. The words are—"fails to report that an animal is infective as required by Section 19." Section 19 reads as "Every owner or person in charge of and every Veterinary Practitioner, who has been called to treat an animal, which he has reason to believe to be affected with a scheduled disease shall forthwith Report the fact to the (Inspector) Veterinary Officer having jurisdiction in the area Under Clause 19 it has also been made incumbant on the owner of the animal to inform the Veterinary Officer. If he fails to report he will be fined.

इसलिये मेरा यह अमेंडमेंट है। जो केटल का ओनर या इन्चार्ज है वह अगर इत्तिला न भी कर सके तो फाइन नहीं होना चाहिये। सिर्फ जो वेटरनरी सर्जन है या डॉक्टर है, जिसने उसको इन्फेक्शस डिजीज़ या शिड्यूल्ड डिजीज़ माना है उन पर यह इम्पोज़ीशन होना चाहिये। ओनर पर करने से हार्डशिप बढ़ेगी, जगह जगह डिज़ीज़ होगी, टाइम पर जाकर इत्तिला नहीं दे पावेंगे इससे एक तो उसका मवेशी मरेगा और इत्तिला नहीं देने पर जुर्माना और होगा, तो यह जो क्लॉज़ है, यह गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के ऊपर रखना चाहिए, या तो पटवारी हो या ऐसा आदमी या जो डॉक्टर हो उसके ऊपर रेस्पोन्सिबिलिटी होनी चाहिये, न कि ओनर के ऊपर, लेकिन ओनर के ऊपर भी आप रेस्पोन्सिबिलिटी रखते हैं तो उसके साथ पीनल क्लॉज़ नहीं होना चाहिये; अगर वह इत्तिला नहीं दे पाये तो पेनाल्टी इम्पोज़ करेंगे और अगर पेनाल्टी इम्पोज़ ही करनी है तो गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के ऊपर करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इसको एक्सेप्ट करेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय चेयरमैन महोदय, मेरा भी इसके ऊपर एक कॉन्सीक्वेन्श्यल अमेंडमेंट है, मैं पहले उसको मूव कर देता हूँ। वह इस प्रकार है :-

"In part (xi) omit the words 'or was destroyed on account of its being infective or suspective to be infective'".

यह तो बिल्कुल वाजिब है क्योंकि 'डेस्ट्रॉय' का सारा हिस्सा ही निकल रहा है तो यह क्लॉज़ में से निकल जाना चाहिए।

उसके बाद में जो संशोधित फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है इसमें

(श्री नाथूराम मिर्धा)

से क्लॉज़ (८) को हटा देना चाहिए और वह आदमी जिसका कि जानवर इन्फेक्टिव है अगर वह इत्तिला नहीं देता है तो उसके ऊपर कोई सजा नहीं होनी चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपके जरिये उनसे निवेदन कर देना चाहता हूँ कि एक आदमी जो कि 'बैस्ट नो' किसी चीज को कर सकता है और जिसकी खुद की भलाई के लिए हम यह करना चाहते हैं वह जानबूझ कर इत्तिला नहीं दे और फिर उसके बाद में पेनल क्लॉज़ नहीं रखा जाये और उसके लिए दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाये और स्वयं उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाये तो समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य समझदार होते हुए इस प्रकार के अमेंडमेंट्स मूव करते हैं तो मैं उचित नहीं समझता कि इसको हटाया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से इसको रखा जाना चाहिए।

श्री पी० के० चौधरी : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी की समझदारी की बात तो उनके भाषण से मालूम होती है, लेकिन जो रेस्पोन्सिबिलिटी है वह इसके लिए है कि शिड्यूल डिसीज़ है या नहीं वह भी तो किसी मवेशी के इन्चार्ज को नहीं मालूम हो सकती।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह आपको पता नहीं होगा। सब को पता है।

श्री पी० के० चौधरी : इस हालत में मैं तो मानता हूँ कि जो सर्जन है उसके ऊपर रेस्पोन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो आपका आॅन दी स्पाट आॅफिसर है उसके ऊपर रेस्पान्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप तो आॅनर के ऊपर रख देते हैं या जो पशुओं का इन्चार्ज है उसके ऊपर रख देते हैं। मुझे तो आपके रीज़न्स कन्विन्सिंग नहीं मालूम होते हैं। यह तो आप क्लोज़ माइन्ड लेकर चलते हैं। इसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो I may be permitted to withdraw it.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २७ के अन्दर जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw it.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री नाथूराम मिर्धा ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २७, एज़ अमेंडेड, स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २७, संशोधित रूप में, स्वीकार किया गया।

श्री पी० के० चौधरी : I move an amendment in clause 28 that the words an with imprisonment for a term which may extend to six months or "and also the words" or with both" be deleted where they occur in the clause. This clause refers to the penalty, for placing penalty, etc तो इसके अन्दर जो पेनाल्टी का प्रोपोज़ल रखा

(श्री पी० के० चौधरी)

है वह फर्स्ट ऑफेन्स में १०० रुपये रखा है और सेकिन्ड ऑफेन्स में ५०० रुपये रखा है और छः महीने की सजा रखी है। मैं समझता हूं कि जो पेनाल्टी है It is sufficiently deterrent. इसके ऊपर इम्प्रिज़नमेन्ट का रखा है, इसकी मैं जरूरत नहीं समझता। वह तो अननेसेसरी है । आप एक सोशल लेजिस्लेशन बना रहे हैं। आप कोई पेनल लेजिस्लेशन नहीं बना रहे हैं जिससे कि ऐसी सख्ती रखनी पड़े। आप लोगों के वेलफेयर के लिए यह कानून बना रहे हैं तो वेलफेयर लेजिस्लेशन में इस प्रकार की सज़ा का प्रोविज़न नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरा अमेन्डमेन्ट है कि इसमें सिर्फ फाइन का ही प्रोविज़न रखा जाये और जो इम्प्रिज़नमेन्ट का प्रोविजन है छः महीने का, उसे डिलीट कर दिया जाये ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय चेयरमैन, माननीय फुलेरा से आने वाले सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ माननीय चेयरमैन, अव्वल तो यह जो कानून है यह इसलिए बनाया जा रहा है कि पशुओं की नस्ल सुधारी जाये। जानवरों को डिज़ीजेज़ कोई आज नहीं होने लगी हैं, डिज़ीज़ेज़ हमेशा से ही होती आई हैं। अभी आदमियों को मालूम नहीं है कि उनके ऊपर इतना प्रतिबंध लगा दिया जायेगा जिसकी वजह से इतनी इतनी सजा कि छः छः महीने की कैद और पाँच-पाँच सौ रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा, मैं आपसे कहता हूँ कि इसका गांवों में बुरा और उल्टा असर पड़ेगा। जो लोग मवेशी ज्यादा से ज्यादा रखना चाहते हैं अब वे कम रखेंगे। किसी के घर में दो आदमी है और उसके लाव-चड़स जुत रही हैं और खेत को जोत रहे हैं और उनको इत्तिला करने में देरी हो जायेगी तो उनको सजा मिलेगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर इस कानून को अच्छी तरह से प्रचलित करना है और बीमारियों को कन्ट्रोल करना है तो अभी से इतनी सजा तजवीज़ न करें। धीरे धीरे सज़ा बढ़ा सकते हैं। इसका इफेक्ट देखकर फिर आप इसको पास करें। ऐसा है कि इस समय तो राज्य है, मन में आया जब ही अमेन्डमेन्ट ले आये, यहां रोकने वाला कौन है ?

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय चेयरमैन महोदय, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ क्योंकि डिटरेन्ट पनिशमेन्ट तब रखे जाते हैं जब कि नेचर ऑफ पनिशमेन्ट को देख लिया जाता है। क्लॉज २७ के अन्दर जो भी मामले हैं, जो भी ऑफेन्सेज़ हैं, जिनको मवेशियों का मालिक करता है उनको दूसरी जगह रख देता है और इत्तिला नहीं देता है, वह ऑफेन्स जो कि कॉमनली होते हैं उनके लिए सिलेक्ट कमेटी ने पनिशमेन्ट काफी कम कर दिया है। क्लॉज़ २८ के अन्दर जो जुर्म है वह काफी गंभीर है क्योंकि नदी के अन्दर या नाले के अन्दर बीमार पशु को कोई रख देता है वह बहुत ही खतरनाक चीज हो सकती है अगर ऐसा कोई करेगा तो उसको रोकने के लिए जो पनिशमेन्ट रखा हैं यह काफी ठीक है और यह रहना चाहिए।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय चेयरमैन महोदय, क्लॉज़ २८ के अन्दर मेरा भी एक कॉन्सीक्वेन्शयल अमेन्डमेन्ट है, वह मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ :

(श्री नाथूराम मिर्धा)

"Omit the words or which was destroyed on account of its being infective or suspective to be infective."

यह तो मेरा संशोधन इस बारे में है और जो फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है उसके लिए वे कहते हैं कि छः महीने तक की सजा को हटा दिया जाना चाहिए। एक माननीय सदस्य जो अभी अभी इसके समर्थन में बोले हैं उनकी बातें न तो कानून से सम्बन्धित हैं और न इस क्लॉज से। उनका तो जानवरों और किसानों के बारे में कुछ कहना था सो उन्होंने कहा। पर जो माननीय सदस्य ने कहा कि हैवी पेनाल्टी नहीं रहनी चाहिए तो इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूँगा। दूसरी ओर एक माननीय सदस्य ने, जिन्होंने, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य के द्वारा जो संशोधन रखा गया है और जिसका उन्होंने विरोध किया है, उन्होंने काफी क्लियर कर दिया है कि छः महीने की सजा और जुर्माने का प्रोविज़न जो है वह ठीक है। इसमें ऐसा है कि अगर आप पहली बार गुनाह करते हैं तो १००) रुपया और दूसरी बार ऑफेन्स करते हैं तो पांच सौ रुपया जुर्माना होगा, ऑफेन्स इस तरह का है कि बीमार जानवर की लाश को पानी के जरिये नदी या नाले के जरिये बहाकर उस पानी को जहां पानी पीने के लिए दूसरे जानवर आते हैं और ऐसा कोई जानबूझकर करे तो उसको और भी काफी सजा दी जानी चाहिए। अब किस हद तक उस पर जुर्माना करना है, यह तो कोर्ट के ऊपर डिपेन्ड करता है कि वह किसी को छः महीने की सजा दे दे या दो महीने की दे या एक महीने की या सिर्फ जुर्माना ही कर दे, या कुछ भी कर दे वह तो कोर्ट के डिस्क्रिशन पर है। अगर दुबारा कोई जुर्म करता है तो छः महीने की सजा और पांच सौ रुपयों तक का जुर्माना किया जा सकता है। अगर आप इस क्लॉज़ की इन्टेन्शन को समझें तो मैं निवेदन करूंगा कि यह वाजिब है। अगर कोई इस प्रकार का जुर्म करता है तो यह सीरियस टाइप का है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि वे अपना संशोधन वापिस ले लें और इस दृष्टिकोण से जो अभी मैंने सामने रखा है उस पर विचार करें।

श्री पी० के० चौधरी : सभापति महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने क्लॉज़ २८ में रखा है उसको वापिस लेने की उनको अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २८ पर मंत्री महोदय ने जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २८, एज़अमेन्डेड स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज २८, एजअमेन्डेड, विधेयक का अंग बना।

Page No.62

(श्री सभापति)

(विराम)

क्लॉज़ २६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २६ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २६ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ ३०;अमेन्डमेन्ट बाई श्री बहादुरसिंह । संशोधन इस प्रकार है :

Add 'and Police, after the word veteri nary Surgeon.

डॉ॰ बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय सभापति महोदय, इस क्लॉज में मेरे दो संशोधन हैं और वे संशोधन इस प्रकार से हैं कि जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है वह विलेज पंचायत, तहसील पंचायत या पुलिस डिपार्टमेंट तक बढ़ा दिया जाय । बात यह है कि मैं समझता हूँ कि जिस जगह से यह क्लॉज़ कोट किया गया है वहां या तो विलेज पंचायतें या तहसील पंचायतें नहीं है, लेकिन हमारे यहां तो गांव-गांव में विलेज पंचायतें हैं और पुलिस विभाग के अधिकारी हैं । पुलिस विभाग का सिपाही सब गांवों में जाता है इन्फॉर्मेशन के जितने सोर्सेज़ अधिक से अधिक हों उतने ही सोर्सेज़ को बाउन्ड करना चाहिए । इसलिए मैं समझता हूँ कि संशोधन उपयोगी है कि ग्राम पंचायतों और तहसील पंचायतों को बाउन्ड कर दें कि सूचना दें कि अगर उनके क्षेत्र में कोई शिड्यूल्ड डिज़ीज़ फैल रही है तो पुलिस को इत्तिला कर दें । पुलिस को जिस वक्त इन्फॉर्मेशन मिले वह इन्फॉर्म करे एकदम वेटर्नरी सर्जन को । यह बहुत उपयोगी संशोधन है और मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इसको स्वीकार कर लें ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : माननीय चेयरमैन, इस बारे में जो संशोधन माननीय सदस्य ने रखा है मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ को यदि देखें तो—

"All village officers and all officers of the State revenue, agriculture, development and veterinary departments shall be bound—

(a) to give immediate information to the veterinary surgeon and Inspector having jurisdiction in the area regarding the prevalence of a scheduled disease among animals in the area,

(b) to take all necessary measures to prevent the spread of such disease, and

(c) to assist the Veterinary Surgeon & Inspector to carry out the provisions of this Act." गांव वाले लोग जैसे पंचायतों के पंच और तहसील के पंच और सरपंचों को इसके साथ में जोड़ दिया जाय और पुलिस के लोगों को भी इसमें जोड़ दिया जाय । पुलिस के लोगों को तो इसमें जान-बूझ कर जोड़ा नहीं है, क्योंकि कई दफा कहा गया है कि पुलिस की दस्तन्दाजी करना ठीक नहीं है । यह एक दूसरे प्रकार का कानून है । हमारे ऑफिसर्स जो आम तौर से गांवों में जाते हैं, गाँवों के लोगों के सम्पर्क में आते हैं, उनको बाउन्ड किया गया है । इनफॉर्मेशन देने वाली एजेन्सी के रूप में इसके साथ नहीं जोड़ा है इसलिए कि अपनी तरफ से जब कि उनके स्वयं के गाँव में बीमारी है तो वे स्वयं इस बात में इन्ट्रेस्टेड हैं और अपनी तरफ से दिलचस्पी लेकर इत्तिला

Page No.63

(श्री नाथूराम मिर्धा)

देंगे। उनका उपचार किया जा सकता है, उनकी मदद की जा सकती है। यह मानकर चलते हैं कि पंचायत या तहसील पंचायत के सरपंच के नोटिस में आयेगा तो वे जरूर इत्तिला करेंगे, उनको पाबन्द करने की जरूरत नहीं है। यहां तो केवल उन ऑफिसर्स को पाबन्द किया है कि वे इसके जरिये काम करें। सरपंच लोग तो स्वयं इसमें इन्ट्रेस्टेड होंगे क्योंकि यह उनके हित की बात है कि उनके इलाके में बीमारी है तो वे अपनी तरफ से जरूर दौड़-भाग कर सकते हैं। यह मानकर चलते हैं कि वे करेंगे। इसलिए इस अमेन्ड-मेन्ट को उनके साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि वे इसको विद्ड्रॉ कर लेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह : चेयरमेन महोदय, मुझे मेरा संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३० पर जो संशोधन श्री बहादुरसिंह ने रखा है उसको वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं संशोधन का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३० स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३० विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉजेज़ ३१, ३२ व ३३।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ३१, ३२ व ३३ स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ३१, ३२ व ३३ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

Clause 34, Amendment by Shri Nathu Ram Mirdha.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : माननीय चैयरमेन महोदय, मेरा क्लॉज़ ३४ पर जो अमेन्डमेन्ट है वह क्लॉज़ ६ के सिल-सिले में जो संशोधन करना चाहते हैं उसका कॉन्सीक्वेन्शल एमेन्डमेन्ट है :

"Omit—

(i) except as provided for in Section 10, and

(ii) 'animal or'."

because section 10 will go.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ३४ पर माननीय मन्त्री महोदय ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३४, एज़ अमेन्डेड, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

क्लॉज़ ३४ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ ३५

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३५ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३५ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ ३६

श्री नाथूराम मिर्धा : एक अमेन्डमेन्ट मेरा है, माननीय चैयरमैन महोदय, क्लॉज़ ३६ पर ।

"After 'in good faith' insert' under this Act or the rules made thereunder'."

यह बिल्कुल मामूली सा अमेन्डमेन्ट है ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ३६ पर रखा गया है उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३६, एज़ अमेन्डेड, स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ ३७, अमेन्डमेन्ट बाई श्री श्रीभानसिंह ।

श्री श्रीभानसिंह : I think, Mr. Chairman, if the Hon'ble Minister moves his amendment it is better because he has incorporated my amendment in this list which he has circulated just now. If he moved, I have no ybjection to move my amendment.

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं मेरा अमेन्डमेन्ट मूव करता हूँ ।

श्री श्रीभानसिंह : It is the first time that he has cooperated.

श्री नाथूराम मिर्धा : धारा ३७ में, माननीय चैयरमेन महोदय, मेरा जो संशोधन है वह इस प्रकार है :

"In sub clause (2)—

(a) Omit part (iii) and

(b) Omit part (x)."

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन मन्त्री महोदय ने क्लॉज़ ३७ में रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३७ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३७ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

श्री मिर्धा ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : माननीय चेअरमैन, मैं क्लॉज़ ३७ के बाद में ३७ ए नया क्लॉज़ जोड़ने के बारे में प्रस्ताव करता हूँ और वह क्लॉज इस प्रकार है :

(श्री नाथूराम मिर्धा)

'37-A. Procedure to be observed in making rules All rules under Section 37 shall be subject to the condition of their being made after previous publication, shall, when so made, be laid before the House of the State legislature at the session thereof next following and shall be liable to be rescinded or modified by a resolution of that House, and the rescission or modification shall, after publication by notification in the Official Gazette, be deemed to have come into force.'

श्री सभापति : प्रश्न यह है क्लॉज ३७—ए विधेयक में जोड़ने का जो प्रस्ताव मंत्री महोदय ने किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३७—ए विधेयक का अंग बना।

श्री नाथूराम मिर्धा : चेयरमैन महोदय, अब क्लॉज ६ को ले लें।

श्री सभापति : Yes.

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय चेयरमैन, कल क्लॉज ६ के सिलसिले में जो बहस हुई थी और उसके फलस्वरूप जो कॉन्सीक्वेन्शयल अमेन्डमेंट्स करने थे वे अभी जो क्लॉजेज कन्सीडर हो रहे थे, सदन में, उनमें कर दिये हैं। अब क्लॉज ६ और उससे पहले जो दूसरे क्लॉजेज़ स्वीकार कर चुके हैं उनमें अमेन्डमेन्ट करने की आवश्यकता होगी। जो शब्द 'डेस्ट्राय' क्लॉज ६ में रखा था उसको हटा दिया गया है। इसलिये अब क्लॉज ६ इस प्रकार हो गया है :

"(1) In sub clause (2)-

(a) omit part (b), and

(b) in part (c) substitute "or is affected with a scheduled disease" for "though not diseased."

(2) Omit sub-clause (3).

These also be taken as moved. They have been circulated to the members of the House and they all approve of them.

श्री सभापति : What about the amendments that have been moved by Hon. Members Shri Sribhan Singh and Shri Tan Singh?

श्री श्रीभानसिंह : I beg leave of the House to withdraw my amendments.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ६ में श्री श्रीभानसिंह ने रखा था उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री श्रीभानसिंह : I withdraw my amendments.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री तनसिंह ने क्लॉज ६ में रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ६ में मंत्रीजी ने रखे हैं, वे स्वीकार किये जायें।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह हैं कि संशोधित क्लॉज ६ को स्वीकार किया गया।

(स्वीकृत)

क्लॉज ६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

श्री नाथूराम मिर्धा : चेयरमैन महोदय, इसके बाद में क्लॉज १० के अंदर होल क्लॉज को ओमिट करने का संशोधन रखा है इसे स्वीकार कर लेवें। कॉन्सीक्वेन्शियल चेन्जेज़ और करने पड़े हैं : Now the whole has to be omitted. In clauses 22 and 23, which we have already passed, also we have to omit certain words.. क्लॉज २६ के बाद में इसके मुताबिक चेन्जेज़ करके उन्हें एडोप्ट कर दिया है, इसलिये क्लॉज १० को ओमिट कर दिया जाय और क्लॉजेज़ २२ और २३ को संशोधति रूप में स्वीकार किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १० को विधेयक में से पृथक करने का संशोधन स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया; परिणाम स्वरूप क्लॉज १० विधेयक में से पृथक किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज २२ व २३ के संशोधन स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज २२ और २३ स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज २२ और २३ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज ३८ से ४० व क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ३८, ३६, ४०, शिड्यूल, क्लॉज़ १, प्रिएम्बल वगैरह को स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ ३८ से ४०, शिड्यूल, क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बने।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : माननीय चेयरमैन, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय चेयरमैन, क्योंकि इस बिल में कई संशोधन स्वीकार किये गये हैं और आज ही ऐसे संशोधन स्वीकार किये गये हैं, जिनके कारण कई कॉन्सीक्वेन्शयल अमेन्डमेन्ट्स हमें स्वीकार करने पड़े हैं। मंत्रीजी की तरफ से कई संशोधन मूव हुए हैं और उनकी भावना के कारण कई सदस्यों ने अपने संशोधन वापिस लिये हैं। व सारे कानून में काफी संशोधन हुए हैं। ऐसी सूरत में इस बिल को आज पारित न करके और कभी पारित किया जाय, ताकि जो अमेन्डमेन्ट्स किये हैं उनको देखकर यदि कॉन्सीक्वेशयल संशोधनों की और आवश्यकता रहती है तो

(श्री भैरोंसिंह)

उनको भी पारित किया जा सके और रूल्स में भी ऐसा प्रोविजन है कि जिस दिन किसी बिल को पास किया जाय उसके सेकन्ड रीडिंग की स्टेज पर अगर कई अमेन्डमेन्ट हुए हों तो उस बिल को उसी समय पास न करके कुछ समय बाद में पास किया जाय। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको आज पास न करके कुछ दिन बाद में पास किया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा : चेयरमैन महोदय, कॉन्सीक्वेंशयल अमेन्डमेन्ट्स या क्लॉजेज़ में चेन्जेज़ हुए हैं, यह बात सही है। जो अमेन्डमेन्ट्स हुए हैं, वे कर दिये जायेंगे। इस बिल को दुबारा प्रिन्ट कराने में टाइम लगेगा, उसके बाद में ही प्रूफ आ सकता है। हमें उसे देखने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी फंडामेन्टल डिफरेन्सेज नहीं रह गये हैं। अब तो करेक्ट प्रिन्ट होने की ही बात है जो ऑफिस का काम है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसे पारित किया जाय।

श्री सभापति : इसमें कोई विशेष आपत्ति की बात नहीं है। काफी अमेन्डमेन्ट्स आये हैं और सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद में भी आये हैं, इसलिये इसे कल के लिये या फिर कभी के लिये रख लें।

श्री नाथूराम मिर्धा : अमेन्डमेन्ट्स प्रोसीडिंग्ज़ के नोट हो गये हैं। उनका फिर चेकिंग कर लिया जायगा, इसलिये इसे पारित करना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अगर इस पर विचार करना चाहेंगे तो आगे के लिये रखा जा सकता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : डिस्प्यूट किसी प्रिन्सिपल या मुद्दे की क्लॉज पर नहीं हुआ है। यह तो देखने की बात है कि यह सही छपा है या गलत छपा है। यह तो माननीय सदस्यों के देखने की बात नहीं है। यह ऑफिस के देखने की बात है।

श्री भैरोंसिंह : जो असेम्बली में हुआ है वह सही ही छपेगा। प्रोसीडिंग्ज़ में तो जो कुछ हम बोल रहे हैं वही लिखा जायगा और जो क्लॉजेज़ मंजूर हुए हैं वे ही संशोधित रूप में आयेंगी। लेकिन हमने इम्पोर्टेन्ट अमेन्डमेन्ट्स स्वीकार किये हैं, उनके एक्शन्स और रिएक्शन्स क्या हैं और उनको स्वीकार करने के बाद और अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है या नहीं, यह देखने की बात है। रूल्स में भी इसके लिए प्रोविज़न है। इस बारे में विचार करना चाहिए। इस दृष्टि में रख कर कि रूल्स ऑफ बिज़नेस में यह प्रोविज़न रखा गया है कि जिस दिन इस तरह के अमेंडमेंट्स मन्जूर हुए हो, उस दिन थर्ड रीडिंग नहीं की जानी चाहिए और उस दिन बिल को पास न किया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय चेयरमैन, रूल १३२ का रेफरेन्स देकर माननीय सदस्य कहते हैं कि इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आये हैं, इसलिए उस दिन इसे पास करने का मोशन मूव नहीं करना चाहिए। अगर मोशन मूव करने के बाद अध्यक्ष महोदय सोचते हैं कि इस बिल को पारित करने में कोई एतराज की बात है या नहीं है, तो यह आपके देखने की बात है, मेरे ख्याल में इसे रोकने से कोई फायदा नहीं है। माननीय सदस्य भी विचार करें कि इसको रोकने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। वैसे जहां तक मुद्दों का सवाल है, कोई डिफरेन्स नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपके काम में मुद्दे तो धीरे धीरे निकलते हैं इसलिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा।

श्री सभापति : I think as I allowed the indulgence to the Hon. Minister to move amendments to this Bill, inspite of the fact that he himself was the Chairman of the Select Committee; similarly we should be accommodating to allow the Hon. Member's point that the Bill be passed not today but tomorrow.

श्री नाथूराम मिर्धा : अच्छी बात है।

२. २३ म० प०

राजस्थान वन संशोधन, विधेयक १६५८
(विचार-विमर्श)

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Sir, there was a point of order.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय चेयरमैन, जो पाइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ हुआ था, उनका डिसीज़न आ गया है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि उसका फैसला आ गया है, उस फैसले को आप सुना दें और उसके बाद हाउस की कार्यवाही हो।

श्री सभापति ; Was it reserved for any decision ?

श्री श्रीमानसिंह : Yes, whether it comes within the definition of Money Bill or not? It was referred to the Chair.

श्री सभापति : What is the position now, whether any sanction or recommendation has been received ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो पोइन्ट गवर्नमेंट को रेफर किया गया था उसका फैसला आ चुका है, उसमें उन्होंने कहा है कि यह मनी बिल नहीं है, इसलिए कार्यवाही जारी रखी जाय।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह है, चेयरमैन महोदय, कि गवर्नर महोदय की तरफ से डिसीज़न आ चुका है, यह सही है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सही है कि वह आ गया है।

श्री सभापति : I have received a letter which I shall place before the House. This is from Secy. to the Govt. of Rajasthan, Law & Judicial Department, addressed to the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly. It reads.-

"Sub: Rajasthan Forest (Amendment) Bill, 1958.

Sir,

I am directed to refer to D. O. letter No. 21349/LA/58 dated the 27 th October, 1958, from the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly and to say that the Governor has been pleased to decide that the Rajasthan Forest (Amendment) Bill, 1958, is not a Money Bill within the meaning of Article 199 of the Constitution and, therefore, recommendation of the Governor under Article 207 is not necessary.

Yours faithfully,

Sd./ P. D. Loiwal."

श्री पी० के० चौधरी : I rise on a point of order. This letter is not from

(श्री पी० के० चौधरी)

the Governor but from the Judicial Department. The decision should have come to us from the Governor and not from the Judicial Department. So I rise on a point of order whether the House can accept it as a decision of the Governor or not.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : सभापति महोदय, जो पोइन्ट फुलेरा से आने वाले सदस्य ने रेज़ किया है, वह बिल्कुल सही है। अभी जो लैटर पढ़ कर सुनाया गया यह सरकार के लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से आया है। रूल्स में ऐसा प्रोविज़न है कि किसी बिल के साथ इस प्रकार का मेमोरेन्डम या सर्टीफिकेट आना चाहिए जिसके अन्दर यह कहा जा सकता है कि इस बिल में राजप्रमुख की या राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता है या नहीं ? अभी ओरिजिनल फोरेस्ट बिल पेश हुआ है, उसके साथ किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं है और केवल यह लैटर आया है। यह लैटर रूल्स ऑफ बिजनेस के प्रोविजन्स के अन्तर्गत नहीं आया है, जिसे न मेमोरेन्डम के रूप में माना जा सकता है और न सर्टीफिकेट के रूप में माना जा सकता है। यह डिस्प्यूट है कि यह बिल मनी बिल है या नहीं, इस डिस्प्यूट के बारे में गवर्नर महोदय का निर्णय माना जा सकता है। गवर्नर महोदय के स्थान पर राजस्थान के लॉ डिपार्टमेंट यह पत्र लिख दे कि लेजिस्लेटिव असेम्बली में जो विवाद खड़ा हुआ है कि यह मनी बिल है या नहीं, तो यह मनी बिल नहीं है, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। असेम्बली का प्रश्न जहां तक आता है, लॉ डिपार्टमेंट असेम्बली को गाइडेन्स दे, सलाह दे, निर्णय दे, यह लॉ डिपार्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है। असेम्बली की विशेज़ के ऊपर अगर किसी प्रकार का निर्णय लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से आता है और उस प्रकार के निर्णय को मानते हैं तो असेम्बली के अधिकारों पर लाँछन सा होगा। ऐसी स्थिति में गवर्नर महोदय के ऑफिस से लैटर न आकर, जो लैटर आया है, उसको गवर्नर महोदय का लैटर नहीं मानते हैं। अगर गवर्नर महोदय का लैटर आता जिसके द्वारा जानकारी मिलती कि यह मनी बिल नहीं है, उस सूरत में यह सदन स्वीकार करता कि यह मनी बिल नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : चेयरमैन महोदय, यह जो लैटर अभी पढ़ कर सुनाया, इससे एक आपत्ति तो जरूर पैदा हो गई है और वह डिफिकल्टी यह है कि लैटर होना चाहिए था गवर्नर का और शायद यह लैटर जो लिखा है, वह लॉ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने लिखा है, डिप्टी स्पीकर साहब ने रूलिंग रिज़र्व रखी है, उसको गाइड करने के लिए। ये वार्डिंग्स हैं जो आपने पढ़ कर सुनाये :

"that the Governor has been pleased,"

whether the Governor has actually been pleased or only the Secretary of the Law Department has been pleased to decide that the Bill is not a money Bill This matter may be clarified because it appears, it has not been sent by the Secretary to the Governor, but by the Secretary of the Law Department and he has assumed powers of the Governor and I think it is a fabrication to say that the Governor has been pleased. It is a serious matter.

श्री सभापति : Under the executive powers, the Secretaries are authorised to authenticate letters.

Page No.70

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : चेयरमैन महोदय, जो रूल है उसमें स्पष्ट है कि जो डिसीज़न देंगे वह गवर्नर देंगे। उस रूल के मातहत डिसीज़न गवर्नर को देना चाहिए। जो लैटर आपने पढ़ा है उसमें सेक्रेटरी ने अपना डिसीज़न नहीं दिया है, गर्वनर ने डिसीज़न दिया है, जिसको सेक्रेटरी को कॉम्युनिकेट किया है, और सेक्रेटरी ने असेम्बली को कॉम्युनिकेट किया है। इस डिसीज़न को गवर्नर ने दिया है। यह मसला रह जाता है कि गवर्नर महोदय का लैटर होना चाहिए था वह नहीं है, उनके डिसीज़न को सेक्रेटरी ने कॉम्युनिकेट किया है। गवर्नर महोदय के ऑर्डर से स्पष्ट है कि उन्होंने राय दे दी है। अगर ओरीजिनल लैटर मंगाना चाहेंगे तो वह आ सकता है।

श्री पी० के० चौधरी : I think the Hon. Member......

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, रूल ६३ के सब रूल (४) में साफ है :

If any question arises whether a Bill is or is not a Bill which requires such sanction or recommendation, the question shall be referred to the Rajyapal, whose decision on the question shall be final.

आपके पास जो लैटर है और जिस लैटर को पढ़ दिया है उससे यह मालूम होता है कि डिसीज़न राजप्रमुख ने लिया है।

श्री सभापति : Not Rajpamukh, Rajyapal.

श्री मूलचन्द डागा : राज्यपाल।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, अभी ६३ (४) के अन्दर है, उसको पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, "If any question arises whether a Bill is or is not a Bill which requires sanction or recommendation, the question shall be referred to the Rajyapal whose decision on the question shall be final."

इन सारी दलीलों के बाद यह प्रश्न पैदा होता है कि राजस्थान की विधान सभा का यह रेफरेंस राज्यपाल महोदय को लॉ सेक्रेटरी के थ्रू किया गया है या डाइरेक्ट किया गया है। अगर डाइरेक्ट ही राज्यपाल महोदय को इस बारे में रेफरेंस हुआ है, जिस प्रकार के विधान सभा और राज्यपाल के सम्बन्ध हैं, यह रेफरेंस उस बेसिस पर किया गया है या लॉ डिपार्टमेंट, जो एक एक्जीक्युटिव पॉवर है, उसके द्वारा यह लैटर लिखा गया है तो यह लैटर उस मन्शा को पूरा नही करेगा, जिसका रूल में प्रोविज़न है। अगर लॉ डिपार्टमेंट को लैटर दिया है और लॉ डिपार्टमेंट के थ्रू निर्णय मांगा गया है तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का उत्तर आ सकता है। जहाँ तक मेरी जानकारी का सम्बन्ध है, लॉ डिपार्टमेंट को लैटर एड्रेस न करके गवर्नर महोदय को एड्रेस किया गया है और जिनको एड्रेस किया गया है, उनका जवाब आना चाहिये। गवर्नर को एड्रेस होता है तो लॉ डिपार्टमेन्ट जवाब नहीं दे सकता। जो लैटर गवर्नर महोदय के पास से आयेगा, वह इस कानून के अन्तर्गत पर्याप्त समझा जाता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्यों को मैं सूचित कर दूं कि जो पत्र-व्यवहार इस सम्बन्ध में हुआ है, जो पत्र लिखा गया है वह इन सेक्रेटरी महोदय को लिखा गया है,

(श्री सभापति)

श्री पी० डी० लोईवाल । It is for you to decide whether it is right or wrong. लेकिन पत्र उनको लिखा गया है ।

श्री श्रीभानसिंह : It is even upto the Chair to decide.

श्री सभापति : I shall give my ruling later on.

श्री पी० के० चौधरी : The point is that the Governor has two capacities the executive and legislative. His dealings with this House are not in executive capacity but in his legislative capacity and any communication on legislative basis should come to this House from the Governor himself or through his personal secretary and not through the Executive Branch. This decision should come straight from the Governor and not channeled through the executive department.

श्री भोलानाथ (लक्ष्मणगढ़, अलवर) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, जिस रोज इस पर विवाद चल रहा था तो स्पीकर ने रूलिंग रिजर्व रखी थी, क्या वह फैसला हो गया है, मनी बिल है कि नहीं ? फिर उन्होंने कहा कि गवर्नर को लिखा है, तो गवर्नर को लिखा कि नहीं, लिखा है तो गवर्नर साहब का जवाब आया है कि नहीं ?

श्री भैरोंसिंह : रूलिंग के लिये रिज़र्व रखा गया है तो........

श्री सभापति : नहीं, नहीं रखा गया है ।

श्री श्रीभानसिंह : चेअरमैन महोदय, अव्वल तो कोई लेटर इस असेम्बली को लॉ सेक्रेटरी को लिखना नहीं चाहिये और अगर लिखा गया था तो उस लेटर में रेफ्रेन्स होता,........that the Governor has been pleased vide his letter dated such and such. Without any such reference in the Secretary's letter it cannot be said that the Governor actually gave his decision or not. Basically, the approach of our Secretariat was also wrong. The Secretariat should have contacted the Secretary to the Governor direct and not the Law Secretary.

I have no hesitation in saying that these are not the views, this is not the decision of the Governor, but of the Law Secretary, and this House is not bound by the views or dicision of the Law Secretary. So, if it was a decision by the Governor there should have been a reference in the Law Secretary's letter about some communication from the Governor.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : मेरे ख्याल से इस कन्ट्रोवर्सी को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिये, अगर जरूरी समझते हैं कि गवर्नर के पास जाना चाहिये तो let it be sent to the Governor and......

श्री श्रीभानसिंह : समझने का सवाल नहीं है । It is not a question of 'Samajhna'. Where there is procedure, it should be followed. This is the point.

श्री सभापति : आपके क्या विचार हैं, कहें ?

Page No.72

श्री दामोदरलाल व्यास : बिल कल ले लिया जाय, साहब। To close the controversy, let us take the Bill tomorrow.

श्री भैरोंसिंह : Postpone it.

श्री सभापति : My observations are that it is the Governor himself who can exercise his mind regarding the decision of a Bill being a money Bill or not, and that decision should be conveyed to this House direct by the Governor and not through any via-media like Law Secretary. As such, the letter which has been received communicating the Governor's decision, is not sufficient and I do not take it to be a decision under Rule 93 (4). So a reference shall be made to the Governor for a decision on this Bill whether it is a money Bill or not.

(करतल-ध्वनि)

श्री श्रीभानसिंह : There is another point to which I draw your attention, Sir. Another letter should also go from our Secretariat to the Governor to know whether he communicated his decision to the Law Secretary at all, and the reply should come before the House. It must be ascertained whether at any stage he did give his opinion to the Law Department at all.

श्री पी० के० चौधरी : The point is about his decision, not the views. The decision of the Governor should come to the House.

श्री सभापति : So we postpone it, next.

श्री श्रीभानसिंह : My point has not been decided.

श्री सभापति : I think we should not doubt the bonafides of the executive. As far as the procedure is concerned, I have made myself quite clear that the sanction or decision should be of the Governor and the letter should be addressed to the Governor in future and the decision should also be conveyed directly to the Speaker by the Governor and not through the Secretary of the Law Department.

Making any enquiries about whether he sent his decision to the Law Secretary or not, that question should not arise.

२.३७ म० प०

राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्पादन विधेयक, १९५८
(विचारार्थ)

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान जमींदारी एन्ड बिस्वेदारी एबोलिशन बिल, १९५८ को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। प्रवर समिति के सदस्यों के नाम प्रकार से होंगे :

श्री श्रीभानसिंह : नाम फिर पढ़ देना, अभी तो प्रस्ताव रहने दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो अपना प्रतिवेदन १५ दिन के अन्दर अन्दर इस सदन में पेश करेगी।

(अनेक सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंह ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय राजस्व मन्त्रीजी की तरफ से प्रस्ताव पेश किया गया है जमींदारी और बिस्वेदारी एबोलिशन बिल को एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने का, मैं इसका विरोध करता हूं। सभापति महोदय, १६५२ में जिस समय आम चुनाव होने वाले थे, उस समय की सरकार ने इस बात का तकाजा किया कि राजस्थान में जागीरदारों के, जमींदारों के और काश्तकारों के सम्बन्ध इतने खराब हो गये हैं कि जिसके कारण से हमें जल्दी से जल्दी जागीरदारी और जमींदारी खत्म करनी चाहिये। सन् १६५२ में विधान सभा के चुनाव हुए, उससे पहले ही जागीरदारी एबोलिशन का कानून लागू कर दिया। जिस समय जागीरदारी एबोलिशन बिल पर चर्चा हुई, इस सभा के माननीय सदस्यों ने मांग की कि जागीरदारी को खत्म किया जाता है तो जमींदारी और बिस्वेदारी को भी खत्म किया जाना चाहिये, क्योंकि जागीरदारी की तरह इनमें भी किसानों और सरकार के बीच में जो लोग माध्यम के रूप में हैं, उनके द्वारा किसानों का शोषण किया जाता है।

माननीय चेयरमैन महोदय, जब तक मन्त्री महोदय नहीं आ जाते हैं, मैं बैठता हूं।

(श्री भैरोंसिंह का स्थान ग्रहण करना व लगभग आधे मिनट तक विराम)

श्री सभापति : एक ही मन्त्री बचते हैं और वे भी चले गये।

श्री दामोदरलाल व्यास : I am in the House.

श्री सभापति : You should be in chair.

श्री श्रीभानसिंह : क्या माननीय चेयरमैन महोदय ने यह कहा कि एक ही मन्त्री जंचते हैं?

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह (जारी) : मैं यह अर्ज कर रहा था कि सन् १६५२ के बाद जितनी भी विधान सभा की बैठकें हुईं उन सब में विधान सभा के विरोधी दल के सदस्यों द्वारा विधान सभा के सरकारी पक्ष से इस बात की मांग की जाती रही कि जमींदारी को खत्म करके काश्तकारों के राइट्स का संरक्षण किया जाए और काश्तकार जितनी प्रोड्यूस करता है उसका लाभ अच्छी तरह से उठा सके। यह व्यवस्था उन क्षेत्रों में भी की जानी चाहिये जहां जमींदारी और बिस्वेदारी की प्रथा जारी है। मैं समझता हूँ कि विधान सभा की प्रोसीडिंग्ज इस बात की साक्षी हैं और साक्षी दे सकती हैं कि किसी भी अधिवेशन में सरकार की ओर से इन्कार नहीं किया गया होगा कि सरकार इसको खत्म नहीं करना चाहती, बल्कि हर समय यही कहा गया कि सरकार इसको जल्दी से जल्दी खत्म करने जा रही है। आम चुनावों से पहले वैंकटाचार्य कमेटी मुकर्रर की गई थी और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के द्वारा यह सुझाव दिया कि जागीरदारी और जमींदारी को तुरन्त समाप्त किया जावे। मगर उन्होंने जो सुझाव दिये थे वे केवल जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने पर ही लागू हुए, जमींदारी पर नहीं हुए। इस सम्बन्ध में विधान सभा में मांग चलती रही और सरकार की तरफ से आश्वासन मिलता रहा, मगर आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उसके बाद जब बार बार मांग होती रही तो उसका नतीजा यह हुआ कि हमारी सरकार ने इसके लिये एक कमेटी मुकर्रर की, जिसमें राजस्व मन्त्री अध्यक्ष

(श्री भैरोंसिंह)

बने और कुछ प्राइवेट सदस्य और कुछ ऑफिशियल मेम्बर भी थे और उस कमेटी ने इस वर्ष में रिपोर्ट पेश की। यदि उस समय तक के प्रोसीडिंग्ज को देखा जावे तो आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से इसके लिये मांग, विरोधी दल द्वारा, की जाती रही है। वैंकटाचार्य ने अपनी रिपोर्ट दी उस समय से लेकर १६५७ तक पूरे ६ वर्षों तक इस प्रकार का कानून पास नहीं किया गया और सरकार के पास ऐसा कोई कारण नहीं जिसके आधार पर वह यह कह सके कि सरकार को मजबूर होकर इस कानून को पास नहीं करना पड़ा। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि ६ वर्षों तक इस कानून को क्यों नहीं पास किया गया और इतना समय क्यों व्यर्थ निकाला गया। इन ६ वर्षों को निकालने के क्या कारण हो सकते हैं, यह तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक राजनैतिक कारण स्पष्ट हो सकता है, क्योंकि किसी अमुक गिरोह को हमारी सरकार राजनैतिक संरक्षण देना चाहती है। जागीरदारी रिजम्प्शन एक्ट पास करके छोटी से छोटी जागीर को समाप्त कर दिया गया और एक रुपये तक की जागीर नहीं रखी गई। जागीरदारी को समाप्त करके सरकार ने सीधा काश्तकार और सरकार का संपर्क कायम किया। सरकार की यही नीति है कि सरकार और काश्तकार के बीच में कोई इन्टरमीडीअरी नहीं रहना चाहिये, काश्तकार और सरकार का सीधा सम्पर्क होना चाहिये। मैं समझता हूँ कि सरकार का यह सिद्धान्त और मूलभूत सिद्धान्त जमींदारी पर भी लागू होना चाहिये था।

सैकिन्ड फाइव ईयर प्लान बनी, उसमें प्लॉनिंग कमिश्नर ने सारी स्थिति बताई है और उसमें लैंड रिफोर्म का चैप्टर भी है, उसमें जो लिखा है उसके आधार पर मैं समझता हूँ कि सरकार की इस सम्बन्ध में डिलेइंग टैक्टिक्स के अलावा कोई दूसरी बात नहीं थी। मैं इस बात को मानता हूँ कि सरकार ने सन् १६५२ के बाद जहां कहीं जागीरदारी का प्रश्न आया बहुत ही प्रोग्रेसिव व्यूज आपने बताए। लेकिन आज के इस बिल से यह मालूम होता है कि जिसको वे रिएक्शनरीज़ कहते थे वे उनके साथ हैं, न कि किसी दूसरे के साथ। सरकार के पास कोई कारण नहीं था कि इस जमींदारी को खत्म करने के लिये शीघ्र बिल लाती। इसके लिये सन् १६५६ में सरकार ने एक कमेटी बनाई और सन् १६५७ तक उसने रिपोर्ट इस बिना पर नहीं दी कि उसमें कोई व्यक्तिगत सदस्य नहीं आये। इसलिये देरी हुई। मगर राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा था कि इसी वर्ष जमींदारी को खत्म करेंगे, मगर अभी तक नहीं हो पाई। राज्यपाल महोदय महोदय को आपने ही एडवाइज़ किया होगा और जिस समय सरकार से इस सम्बन्ध में मांग की गई, सरकार ने बराबर आश्वासन दिया। काश्तकारों की यह मांग है और काश्तकार यह कहते हैं कि जहां बिस्वेदारी नहीं है वहां काश्तकारों को जो लगान देना पड़ता है उससे ज्यादा लगान बिस्वेदारी एरिया में देना पड़ता है। आज यह स्थिति है और हमारे राजस्व मंत्री दुनियां में यह कहते हैं कि हम प्रोग्रेसिव हैं। अगर इसी प्रकार की बातों को इतिहास में प्रोग्रेसिव कहेंगे तो मैं समझता हूँ कि प्रोग्रेसिव शब्द अपना अर्थ खो देगा। यह तो एक फेवरिटिज्म है। बहुत सी चीजें एक साथ पास नहीं होती, और जिस समय कोई बिल आता है तो कुछ बातें उनमें से रिजर्व रखली जाती है। इसके अलावा मैं एक

(श्री भैरोंसिंह)

बात अवश्य कहूँगा कि अलवर, भरतपुर. सांभर शामलात के गांव और गंगानगर में जमींदारी प्रथा है। मैं यह कहूँगा कि आज राजस्थान सरकार के पक्ष के लोग बाकी के लोगों पर यह इलजाम लगाने में नहीं चूकते कि बाकी जितनी संस्थाएं हैं वे सामन्ती प्रभाव से प्रभावित हैं। मैं समझता हूँ कि राजस्थान की सरकार राजनैतिक तौर पर सामन्ती प्रथा का विरोध करती है मगर वास्तव में देखा जाए तो आज सारे के सारे सामन्ती तत्व जितने कांग्रेस में हैं दूसरे दलों में नहीं हैं। क्या इससे मैं यह समझूं कि उनमें भी सामन्ती प्रभाव आ गया है जिससे यह जमींदारी प्रथा समाप्त नहीं की जा रही है। मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई व्यक्ति इस प्रजातन्त्र के युग में इस पक्ष में होगा कि जमींदारी समाप्त नहीं की जावे। मगर समझ में नहीं आता कि राजस्व मंत्री पर उस ग्रुप का इतना प्रभाव रहा है कि जिसके कारण कभी वे इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने की बातें करते हैं, कभी कमेटी बनाते हैं और कभी कभी यह भी कहते हैं कि इससे सरकार पर लाइबिलिटीज़ आवेगी। मैं मानता हूँ कि इससे लाइबिलिटीज़ आती हैं, आवेंगी और हो सकता है कि सरकार को उसका मुआवजा भी देना पड़ेगा। उन्होंने उसको स्टडी किया है। लेकिन एक सिद्धान्त का सवाल यह है कि सरकार और काश्तकार के बीच में मध्य मार्ग नहीं रहना चाहिए। सीधा संपर्क सरकार और काश्तकार का रहना चाहिये। अगर वही सिद्धान्त है जो जागीर एबोलिशन में था तो इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने आदि की बातें करना या किसी दूसरी कमेटी को सौंपना, ये सारी डिलेइंग टैक्टिक्स की बातें हैं। यदि इस प्रकार की डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाई जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहां जमींदारी से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों ने आज की सत्ता पर अपना प्रभाव बना रखा है।

जमींदारी एरिया, खास तौर से गंगानगर, भरतपुर और अलवर इन तीनों स्थानों पर सब से ज्यादा है, और अच्छे अच्छे राजनैतिक कार्यकर्ता भी इन्हीं स्थानों के सत्तारूढ़ दल में काम करते हैं और जिनके प्रभाव से हमारी सरकार इसको करने से मजबूर है। आप गंगानगर से भी डरते हैं और दूसरों से भी डरते हैं। यदि आपको उनके विरोध का डर लगता है तो हम आपकी मदद करेंगे। यदि किसी प्रकार के डर की बात हो तो सरकार स्पष्ट रूप से कहे, हम सरकार का समर्थन करेंगे। यदि इस तरह से काश्तकारों को सहूलियतें देने से आपके साथ के दूसरे कार्यकर्ता नाराज होते हैं और रुष्ट होते हैं और रुष्ट होकर सरकार उलट देते हैं या आपको सपोर्ट न करते हों या नोन कॉन्फीडेन्स के चक्कर में फसाना चाहते हैं तो ऐसा कहिये।। लेकिन हमारा दृष्टिकोण है काश्तकारों के हित में कानून बनाना, उसको मत भूलिये। यदि ऐसा ही रहा तो मैं समझता हूँ. कि कौनसा कानून उनके हित में बनाने वाले हैं। अगर सिद्धान्त की बात अपनाई जाय तो अलवर, भरतपुर और गंगानगर में जमींदारी समाप्त की जा सकती है। लेकिन यहां तो सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रश्न पैदा होता है और यह प्रस्ताव राजस्व मंत्री ने पेश किया है और अपनी रिपोर्ट के आधार पर पेश किया है, जिस सिलेक्ट कमेटी के आप चेयरमैन थे। इस रिपोर्ट के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह रिपोर्ट जो चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने प्रस्तुत की है उसमें जिस दृष्टिकोण का समावेश किया गया है उसमें काश्तकारों के हित का दृष्टिकोण न रखकर

(श्री भैरोंसिंह)

रिएक्शनरी एलीमेन्ट्स को बचाने के रूप में उन्होंने कार्य किया है। जब आपने एक बार यह सिद्धान्त स्वीकार किया कि काश्तकार जो जमीन बोता है वह १० वर्ष तक जमींदार को लगान देता जायगा; इसका मतलब यह हुआ कि जमींदारी यदि खत्म हो जाती है तो भी जो लगान आज तक काश्तकार से जमींदार वसूल करता था वह १० साल तक और उनको ही देता रहे। अगर जमींदारी खत्म हो जाती है तो इस प्रकार १० वर्ष तक लगान वे ले नहीं सकते। जो राजस्व मंत्री अपने आपको बहुत प्रोग्रेसिव मानते हैं मैं उनसे इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूँ कि आपने एक सिद्धान्त स्वीकार कर लिया कि काश्तकार से १० वर्ष तक जमींदार इस प्रकार से लगान ले सकता है तो आपकी जमींदारी खत्म कहां हुई ? आज आप यह प्रस्ताव कर रहे हैं कि इस बिल को फिर सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय और वह अपनी रिपोर्ट फरवरी में पेश करे। फरवरी में आप सैशन बुलायें या नहीं बुलायें, यह कोई आपके लिए जरूरी नहीं। यहां यह होता है कि राजस्थान विधान सभा का अधिवेशन ठीक छः महीने बाद ही बुलाया जाता है, यह भी इसलिए कि संविधान में इस प्रकार की धारा है। अगर संविधान में इस प्रकार का प्रोविजन नहीं होता तो हमारी राजस्थान सरकार बुलाने का भी नाम नहीं लेती। इस बार का सैशन भी ठीक ५ महीने २६ दिन बाद बुलाया गया था, जो कि उनको बुलाना था, उनकी मजबूरी थी, जिसके कारण उन्हें सैशन बुलाना पड़ा। राजस्व मन्त्री यह कह सकते हैं कि इसी सत्र में रिपोर्ट पेश करने का कहा जा सकता है। लेकिन मैंने यह अच्छी तरह से देखा है कि इस तरह से सिलेक्ट कमेटी के जो प्रस्ताव आते हैं, उनमें आगे चलकर एक दिक्कत पैदा हो जाती है। विधान सभा के सदस्य विधान सभा के कार्य को करते हुए उसमें कम भाग लेते हैं, इसलिये फिर होता क्या है कि कभी कोरम पूरा नहीं होता, कभी सदस्य उपस्थित नहीं होते; वैसी सूरत में फिर राजस्व मन्त्री का सुझाव आ जायगा कि सिलेक्ट कमेटी इस सत्र में विचार नहीं कर सकी, अतः उसको रिपोर्ट पेश करने की अनुमति अगले सत्र तक के लिये दी जाय। बहुमत के नाते वे चाहे जिस प्रकार की अनुमति हासिल कर सकते हैं। इस बिल में जहां १० वर्ष तक काश्तकारों से लगान लेने की व्यवस्था कर रखी है उसको आप मिटाने के लिए तैयार नहीं। राजस्व मन्त्री छोटी छोटी बातों को लेकर सुधार करने में बड़ी स्फूर्ति दिखाते हैं। अगर उनको पता लग जाय कि कुछ व्यक्तियों को जागीर रिजम्प्शन एक्ट से नुकसान हो रहा है तो उसके लिये धड़ाधड़ ऑर्डिनेन्स निकलवा लेते हैं। हम देख रहे हैं इसी एक सैशन में लैंड रेवेन्यु एक्ट के धड़ाधड़ ऑर्डिनेन्स आ रहे हैं, टिनेन्सी एक्ट चतुर्थ से लेकर ६ वाँ अमेन्डमेंट तक हम पेश करने जा रहे हैं, लैन्ड रेवेन्यु का दूसरा, तीसरा और चौथा अमेन्डमेन्ट पेश करने जा रहे हैं, जिससे जनता को यह मालूम होता रहे कि राजस्व मन्त्री धड़ाधड़ कानून पास करवाते जा रहे हैं। हो सकता है उनका जागीरदारी एबोलिशन और लैन्ड रेवेन्यु एक्ट में संशोधन करवाने में किसानों का हित करवाने का दृष्टिकोण हो, लेकिन उसी दृष्टिकोण का आधार आप इसमें क्यों नहीं देखते? आपने इसके लिये ऑर्डिनेन्स क्यों नहीं निकलवाया। जितनी स्फूर्ति आपने जागीरदारी एबोलिशन बिल और लैन्ड रेवेन्यु एक्ट में ऑर्डिनेन्स इश्यू करने में बताई वही स्फूर्ति आपने इसमें क्यों नहीं बताई, जब एक दफा

(श्री भैरोंसिंह)

आप स्वीकार कर चुके कि राजस्थान से जमींदारी प्रथा का नाश किया जाय तो वैसी हालत के आपको विधान सभा के सत्र की इन्तजार करने की क्या आवश्यकता थी? आप राज्यपाल महोदय को इसके लिये भी ऑर्डिनेन्स इश्यू करने का निवेदन कर सकते थे, जिस प्रकार अन्य ऑर्डिनेन्सेज़ किये। जागीरदारी एबोलिशन का कानून बनाया जा सकता है, उसके लिये अमेन्डमेन्ट भी रखा जा सकता है। ये सारी बातें वन साइडेड हो सकती हैं, लेकिन जब जमींदारी प्रथा के अन्त का सवाल आता है तो उसमें पोलिटिकल फेवरिटिज्म की बात आ जाती है। हमारे राजस्व मन्त्री को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा कानून मैं पेश कर दूं तो कहीं मेरी कुर्सी न खिसक जाय। उनको डर है पोलिटिकल कनफ्लिक्ट्स का। मैं राजस्व मन्त्री से निवेदन कर देना चाहता हूँ कि वे मजबूत हाथों से पेश कर दें। हो सकता है, जिस प्रकार एक मुख्य मन्त्री को जागीरदारी एबोलिशन के कारण जाना पड़ा, हो सकता है उनको भी इस प्रकार के कानून के लिये बलिहो जाना पड़े, तो हो जाय; लेकिन वे इसके लिये तैयार नहीं हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी कुर्सी इतनी जल्दी उनसे छीन ली जाय। इस प्रकार कुर्सी का मोह एक सिद्धान्त के सामने बहुत तुच्छ है। हमें अपना दृष्टिकोण सामने रखना चाहिये और वह दृष्टिकोण है काश्तकारों की भलाई का। मन्त्री महोदय यह कह सकते हैं कि सिलेक्ट कमेटी में हमने इसलिये रखा कि विधान सभा के समय सभी सदस्य मिल कर इस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन मेरा उनसे निवेदन है कि राजस्थान जमींदारी एबोलिशन के सम्बन्ध में एक कमेटी नियुक्त की गई थी उसी की रिपोर्ट के आधार पर बिल बना है जिसमें श्री शोभाराम एम० पी० थे और सदन के एक माननीय सदस्य श्री रामचन्द्रजी भी उसमें थे, घासीलालजी यादव भी उसमें थे। उस पर भी विधान सभा की सिलेक्ट कमेटी बनाने के बाद भी तो सदन में क्लॉज बाई क्लॉज डिस्कशन होगा, वैसी हालत में जब राजस्व मन्त्री उस कमेटी के चेयरमैन थे, अब भी वे ही रहेंगे, वैसी हालत में जो कानून बना हुआ है उसको पास करने में डिले करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है, राजस्व मन्त्री को यह डर हो, उन्हें इसमें लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा, उनको चाहिये कि दूसरे लोगों के समर्थन की आशा छोड़ दें, हम उनका समर्थन करेंगे। इसलिये कानून को जल्दी से जल्दी पेश किया जाना चाहिये। अगर आप इसे रोकते हैं तो अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहूंगा कि ये आपके डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। भरतपुर, अलवर व गंगानगर के काश्तकारों से आज जिस प्रकार से लगान वसूल किया जा रहा है, वह दुगुना ही नहीं, तिगुना और चार गुना तक वसूल किया जाता है। मैं आपको बाढ़ग्रस्त इलाके की बात बताऊं, वहां के लिये कहा यह जाता है कि लगान माफ कर दिया गया, लेकिन वहां के काश्तकारों से दुगुना तक नहीं, चार चार गुना तक लगान जमींदारों द्वारा लिया जा रहा है। हो सकता है, मन्त्री महोदय यह कहें कि शिकायत क्यों नहीं करते? मेरा यह अनुभव है कि सरकार के पास शिकायतें करने से कोई लाभ नहीं। शिकायतों की सुनावाई उस समय होती है जब कि पंचायतों के या म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव हों, या कहीं बाई इलेक्शन होता है। लेकिन हर क्षेत्र में तो बाई इलेक्शन नहीं होते और पंचायतों के विषय में भी हमारी सरकार

(श्री भैरोंसिंह)

इतनी एक्सपर्ट हो गयी है कि आश्वासन दे देते हैं, उन आश्वासनों के कारण आज ऐसी स्थिति बन रही है कि काश्तकारों के हृदय में सरकार के प्रति जो भावना बनानी चाहिये वह नहीं बन पाती। सरकारी अधिकारियों को शिकायत करते हैं तो यह कहा जाता है कि जो लोग ज्यादा लगान वसूल करते हैं वह वसूल नहीं किया जायगा। ऐसी स्थिति के अन्दर राजस्व मन्त्री महोदय की इच्छा है कि जल्दी से जल्दी यह कानून विधान सभा के समक्ष आये तो उसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने का आग्रह न करके कानून को जल्दी से जल्दी पास करवाने की कोशिश करनी चाहिये। यह व्यवस्था तभी हो सकती है जब कि इस कानून को विचारार्थ लिया जाय।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय चेयरमैन महोदय, आज सन् १९५८ में हिन्दुस्तान को आजाद हुए ११ साल हो गये। इस ११ साल के बाद जब हम प्रगतिशील सरकार की यह घोषणा सुनते हैं कि जमींदारी और बिस्वेदारी सम्बन्धी जो बिल है, उसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, यह बड़े आश्चर्य की बात है। मुझे यह बात मालूम होती है जैसा कि मेरे पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने बतलाया कि यहां की कुछ नीति ऐसी है कि राजनैतिक अखाड़ों में खेलने वाले जो पहलवान हैं उनके हाथों में ऐसी करामात है कि वे चाहे जिधर सरकार को घुमा फिरा सकते हैं। मैं इस बात के लिये सहमत नहीं। अगर मैं यह मानूं कि ऐसा प्रगतिशील कानून बनाया जाय, जिसकी कि आप भी दुहाई देते हैं, तो जिस प्रकार आपने राजस्थान रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट बनाया, प्रोटेक्शन ऑफ टिनेन्ट्स ऑर्डिनेन्स लागू किया, उसी प्रकार से और भी कानून बनायें, इसके अलावा और भी छोटे-मोटे भूमि-सुधार सम्बन्धी कानून बनाये। आपने कोशिश की कि जमींदार और जागीरदार लोग काश्तकारों को किसी प्रकार की तकलीफ और यातना नहीं पहुँचावें। धन्यवाद है आपको इसके लिये। आपने यह भी बताने की कोशिश की कि राजस्थान सरकार पिछले १० सालों से बराबर जागरूक है कि वह भूमि के मामले में सुधार करे। जब जब मौका आया, आपका यह वाक्य तकियाकलाम सरीखा रहा कि काश्तकार और सरकार के बीच किसी को मध्यस्थ रखना चाहते नहीं। यह बात इस बिल में भी लिखी है। आप चाहते हैं, जमीन का मालिक जमीन को जोतने वाला किसान हो। आप इस सिद्धान्त को मान चुके हैं, क्योंकि आज विनोबा भावे भी इस सिद्धान्त को लेकर फिरते हैं। पर करनी और कथनी में अन्तर है। इसका उत्तर तो अब आप ही दे सकते हैं। आपने जगह जगह चेयरमैन की हैसियत से कहा है कि इस बिल में और एक शब्द यूज किया है, फोर्थ विथ कि हम इस बिल को जल्दी से जल्दी लाना चाहते हैं। फिर चाहे यह गंगानगर में असर करे, भरतपुर का जमींदार चाहे टूटता हो, अलवर का बिस्वेदार चाहे अपनी अकड़ बताता हो।

पर आज आप स्वयं इसको सिलेकट कमेटी में भेजकर इसको पास करने में रोड़े अटकाना चाहते हैं, इसको लागू करने में देर करना चाहते हैं। यह क्यों? एक तरफ तो आप जागीरदार शब्द नहीं रखना चाहते और ५२ में ही इसके लिए एक्ट बनाते हैं, बाद में अमेन्डमेन्ट लाते हैं और ५८ में इस बिस्वेदारी और जमींदारी बिल के लिये कहते हैं कि इसे सिलेकट कमेटी में

(श्री मूलचन्द डागा)

भेजो ताकि यह चार-छः महीने, साल भर और लेट हो जाय। सिलेक्ट कमेटी में आखिर क्या होगा ? कुछ कहेंगे एक्स्पर्ट की राय जानना चाहते हैं, कुछ कहेंगे हम गंगानगर का इलाका देखना चाहते हैं, उसके मुरब्बे की कीमत कितनी है, यह देखना चाहते हैं, हम भरतपुर और अलवर जाना चाहते हैं। हम सांभर शामलात जाना चाहते हैं और वहां की हालत अपनी आंखों देखना चाहते हैं और फिर निर्णय करना चाहते हैं। और इस काम को करने के लिये सिलेक्ट कमेटी एक साल आसानी से निकाल सकती है। फिर इस बिल को तैयार करने में भी तो आपके पास आपके डिपार्टमेन्ट के अनुभवी आदमी थे और स्वयं राजस्व-मन्त्री इसके चेयरमैन इसमें थे। आपने अपना पुराना सिद्धान्त फिर दोहराया है और इस बिल में साफ लिखा है कि :

It is the declared policy of the State Government to abolish all intermediaries between the tiller of the soil and the State."

आप अपनी इस नीति की घोषणा दो साल पहले कर चुके हैं। आपने एम० एल० एज० को और एम० पीज० को जो लेटर्स इस सम्बन्ध में एड्रेस किये हैं कि हिन्दुस्तान का प्लॉनिंग कमीशन यह चाहता है कि इस समस्या को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाय। यह लेटर लिखा है ५६ में और मीटिंग्ज़ होती रही हैं ५२ से। तब से जाकर तो आपने एक बिल तैयार किया और अब जब कि वह पास होने के नजदीक आ रहा है तब आप कहते हैं कि उसे सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। अब इसके लिये मेरे पूर्व वक्ता ने यह कहा है कि राजनैतिक अखाड़ों में खेलने वालों की करामात है। यह कहां तक तथ्य है, यह तो राजस्व-मन्त्री स्वयं ही बतावेंगे, पर मैं कहता हूं कि अगर इस तरह की देरी न होती और यह सवाल सिलेक्ट कमेटी में भेजने का अगर नहीं उठाया जाता, तो यह सवाल पैदा नहीं होता। आपने कहा कि कुछ सिद्धान्त और नियम होते हैं जिनके लिये सिलेक्ट कमेटी में भेजना होता है। पर आपने इससे पहले जागीरदारी एबोलिशन बिल बनाये, टीनेन्सी एक्ट बनाया, रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट बनाया और उनके कई संशोधन पिछले सालों में पेश करते आये हैं आपने उन कानूनों को पूरी तरह से देखा है और उन्हीं में की कई बातें इस बिल में आपको लेनी हैं। तो अब आप किस नई बात के लिये सिलेक्ट कमेटी में इसे भेजना चाहते हैं; यह मेरी समझ में नहीं आया, सिवाय इसके कि ऐसा लगता है कि आप इसमें जान-बूझ कर देर करना चाहते हैं। आपको क्यों इसकी जरूरत पड़ी सिलेक्ट कमेटी में भेजने की, इसके रीजन्स नहीं दिये।

मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं आपने जो पहले कानून बनाये उनकी तरफ। राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफ टीनेन्सी ऑर्डिनेन्स आपने इश्यू किया। क्या हुआ ? आप यह चाहते हैं कि कानून देर से बनाया जावे और जमींदार लोग होशियार बनते जावें। वे लोग खुदकाश्त नहीं करते पर मुनाफावृत्ति से लाभ उठा रहे हैं और खुदकाश्त में रद्दोबदल करके काश्तकार को बेदखल करते रहें ? इसके लिये आप देरी करना चाहते हैं अब। आप कह सकते हैं कानून बन जावेगा तब राहत मिल जावेगी। कानून पैसे वालों का है। गरीब लोग कानून का इस्तेमाल नहीं कर

(श्री मूलचन्द डागा)

सकते क्योंकि कानून सस्ता नहीं है। न्याय महंगा है और इस हालत में जमींदार को मौका मिल जावेगा कि जो करना हो अभी कर लो। जमींदार जानता है कि देर अबेर हमारा जमाना, हमारी यह आज की इतनी जमीन, जावेगी। इस हालत में वह इस बीच में उसे और तरह से वितरण करके कानून से बचने की कोशिश करेगा। अपने रिश्तेदारों में, अपने भाई बन्धुओं में दोस्तों में बांट सकता है और यह करके वह आपके ऑब्जेक्ट को ही परास्त कर सकता है। आप कहते हैं कि खातेदारी राइट तो टीनेन्सी एक्ट की धारा १५ और १६ में मिल गये। पर यह तो जो जमींदार काश्तकार थे उनको मिल चुके। मैं कहता हूं, आप कानून को लाते क्यों नहीं। इसमें भी आपके विरोधी बयानात हैं, आपकी परस्पर विरोधी बातें सामने आती हैं। एक तरफ आप जल्दी करने की कहते हैं दूसरी तरफ कहते हैं जमींदार जो हैं उनमें जो काश्तकार हैं उनको टीनेन्सी एक्ट के नीचे माफीदारों को खातेदारी के हक मिल चुके हैं और सैक्शन १८६।७ की तरफ इशारा करते हैं। मैं पूछता हूँ कि अगर ये राइट मिल चुके खातेदारी के तो फिर इस बिल को लाने की बात क्यों करते हैं? एक तरफ आप यह बताना चाहते हैं रिपोर्ट के अन्दर, कि जमीन पर, जो जमीन जोतता है, उसको ही रखना चाहते हैं और जमींदार और बिस्वेदार को नहीं रखना चाहते। और दूसरी ओर आप वकालत करते हैं उनकी, जमींदारों की और बिस्वेदारों की एक बात है। जब आप जानते हैं कि न सूत है, न कपास है, फिर जुलाहों, में लट्ठमलट्ठा क्यों? फिर खामख्वाह में सरकार झगड़ा क्यों मोल ले रही है। लेकिन आपने अपनी रिकमन्डेशन्स दी हैं और हमें यह बताने की कोशिश की है कि Zamindari system should be abolished by the legislature. आपने तो लिखा है कि this compensation will have to be paid to Zamindars on the abolition of the Zamindari.

यह पेज १६ पर आपने सिफारिश की है, और आज ११ साल के बाद कह रहे हैं कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाये। अब सिलेक्ट कमेटी में क्यों भेज दिया जाये; उसकी कोई दलील नहीं हैं, कोई रीज़न्स नहीं हैं, कोई ग्राउन्ड्स नहीं हैं। उस हालत में अगर आप इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहते हैं।......

श्री भैरोंसिंह : Grounds were visible on 23rd.

श्री मूलचन्द डागा : तो यह जो शुरू शुरू में ही फरवरी, १९५६ में कमेटी मुकर्रर हुई थी और जिसने जमींदारी एबोलिशन की रिपोर्ट पेश की, उसके आधार पर यह मालूम होता था कि जो जमींदारी और बिस्वेदारी आप खत्म करने जा रहे हैं, बहुत ही जल्द खत्म करने जा रहे हैं। लेकिन ज्योंही आपने प्रोग्राम निकाला तो मैंने समझा कि इसके आधार पर यह नहीं होगा, लेकिन आपने खुद ने यह बतलाने की कोशिश की कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाये। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप जमींदारी बिल को किस प्रकार का चाहते हैं। जमींदारी क्यों कायम रहे? आपने जो चार-पाँच एक्ट बताये हैं और जिनको आदर्श बताया है राजस्थान लैन्ड कन्ट्रोल एक्ट, राजस्थान लैण्ड प्रोक्स्यसिंग एक्ट......

श्री दामोदरलाल व्यास : They are all repealed Acts to which the Hon. member is referring.

Page No.81

श्री मूलचन्द डागा : मैं मानता हूँ। लेकिन आपने उनको इन्कोर्पोरेट किया है टीनेन्सी एक्ट में। आप उन चीजों का हवाला दे रहे हैं जो कि रिपील हो चुकी हैं;तो आपको उनकी जरूरत भी नहीं मालूम होती, क्योंकि आप कहते हैं कि काश्तकारों को खातेदारी के अधिकार मिल चुके हैं, कानून चाहे कितना भी सुस्त हो, एक भावना काम कर रही है। आप समझते हैं कि एक जमींदारी प्रथा नाम में क्या भावना है। इससे मालूम होता है कि जमींदारी प्रथा अभी तक कायम है। हमारे रेवेन्यु मिनिस्टर प्रगतिशील कानून लाने वाले व्यक्ति भी यह चाहें कि बिस्वेदारी और जमींदारी अभी तक कायम रहे और सिलेक्ट कमेटी में आपने बिल को भेजा तो ये दो चीजें एक दूसरे के बिलकुल विपरीत हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा जाये। अगर भेजा जाय तो दस-पन्द्रह दिन में इसी सैशन में इसे ले लिया जाये। जब आप देखते हैं कि इसमें मुआवजे का सवाल नहीं है। आप कहते हैं कि इसमें मुआवजा बहुत कम देना है और मुआवजा देने के बारे में तो तब मालूम होगा जब कि बिल हमारे सामने आयेगा कि क्या मुआवजा देना होगा। जो आपने इस बात का ऐलान किया कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाये तो मैं अपील करता हूं कि इसको किसी भी रूप में सिलेक्ट कमेटी को नहीं भेजा जाये और अगर आप इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने पर ही तुलें हुए हैं तो फिर इसी सैशन में पन्द्रह-बीस दिन में ही इसको विचारार्थ ले लिया जाये।

श्री दामोदरलाल व्यास : The motion is only that this report should be submitted before the 15th of November.

(अनेक सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री नरेन्द्रसिंहजी।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू): सभापति महोदय, अभी यह प्रश्न सामने आया और इस पर श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य और पाली से आने वाले माननीय सदस्य, दोनों ने इस विषय में अपनी विचार धारा व्यक्त की; इसके बारे में मैं भी यह उचित समझता हूँ कि अपने विचारों को आपके समक्ष रखूं। वैसे दोनों ने ही मामला क्लीयर कर दिया। मेरे निवेदन करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन साथ ही जैसे बड़ी नदी के दो ट्रिब्युटरी होते हैं, ब्रह्मपुत्र और जमुना गंगा की ट्रिब्युटरी हैं वैसे ही यह जागीरदारी का सवाल और जमींदारी का सवाल है। ये भी दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिये। इन दोनों को आज तक एक प्रकार का बर्ताव करना नहीं समझा गया और दोनों में आज तक भेद रहा। जो पाँच हजार से नीचे वाले जितने भी जगीरदार थे, इनमें दस-पन्द्रह प्रतिशत ही राजपूत होंगे। मैंने जिस हालत में इस विधान सभा में "ओथ ऑफ एलीजेन्स" ली है उससे मेरा यह कर्त्तव्य है कि किसी एक पार्टी या जाति विशेष तक अपने विचारों को सीमित न रखूं। मेरा निवेदन तो यह था कि जो पाँच हजार से नीचे वाले जागीरदार थे, जिनमें ब्राह्मणों, चारणों व मन्दिरों तक की उदक भी आ गई, यहां तक एक एक बीघा वाले भौमिये मन्दिरों, ब्राह्मणों वगैरह की सब जायदाद इस आहुति में खत्म हो गई। जितने भी राजपूत जागीरदार थे उन सब ने इस स्वतंत्रता के संग्राम में बराबर कंधे से कंधा अड़ाकर भाग लिया है। उनके त्याग की भावना का भी ख्याल होना चाहिये इस पर गवर्नमेंट की ओर से यह चेष्टा की गई कि जो भी ऑर्डिनेन्स आयें, इन

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

पर ही आयें इनकी त्याग भावना की कद्र ने करके बदनाम किया गया। इतिहास कहता है कि दस शताब्दियों में १० दफा भारत के स्वतन्त्र होने के मौके आये, लेकिन रईसों व जागीरदारों ने जो किसी भी जाति के हों उन्होंने देश की स्वतन्त्रता का कोई मौका नहीं आने दिया, तो इस लांछन के विरुद्ध इसके लिए उन्होंने त्याग किया और आज भी करने के लिए तैयार हैं। डर कर सौंपने का 'स्लोगन' बेकदर दानी व किसी और का यह प्रश्न कायरता का प्रतीक है।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य का ध्यान रूल ६६ की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं विषय के ऊपर ही आ रहा हूँ। मेरे विचार करने का मतलब यही था कि मैंने अभी तक भूमिका दी थी। मैं तो यहाँ तक निवेदन करता हूँ कि.........

श्री सभापति : यह भूमिका का ही सवाल है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं तो यहां तक निवेदन करता हूँ कि जो छोटे-छोटे भौमिये हैं, जो काश्तकारी और खेती करके अपना निर्वाह करते हैं, उन लोगों ने यहां तक अपने विचार प्रकट किये हैं कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अगर समय आये...

श्री मदनसिंह दांता : भारत तो स्वतंत्र हो चुका है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : वे अपनी विचारधाराओं को आगे बढ़ाकर के और सोशलिज्म कॉम्युनिज्म तक जाने के लिए भी तैयार हैं। वही आदमी त्याग कर सकता है कि जिसके कंधे में और जिसके बैकबोन में बल है और वही त्याग भी कर सकता है। एक कहावत भी है कि "वो तिफ्ल क्या लड़ेंगे जो घुटनों के बल चले"। तो इसके लिए इसी जमींदारी के लिए पोलिसी ऑफ इक्वीलीब्रियम, जो बेलेन्स ऑफ पावर है, इसको सामने रखने के लिए आप यह सवाल रखते हैं कि दो चीजों को लड़ाकर राज्य किया जाये। मैं यह निवेदन करूंगा कि जाटों और राजपूतों के बीच लड़ाई करा रहे हैं, और यह इसलिए कि अपने खुद के नफे के वास्ते सुभीता रहे। जमींदारी इसलिए नहीं तोड़ी जा रही हैं कि एक एक को निगलने में गवर्नमेंट को सुभीता रहे। यह भी एक पॉलिसी है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेन्ट ने जाते समय एक थाती के तौर पर आज जो गवर्नमेंट है, उसको सौंप गये। दोनों को लड़ाकर अपना फायदा उठना, वही का वही भाव है। मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग यह समझेंगे कि मैं जरूरत से ज्यादा कड़ा बोलता हूँ, लेकिन इस कड़ेपन में आप लोगों का व देश का लाभ भी गुम्फित है, आप लोगों की विचारधाराओं पर सोचने का सवाल है। यह जो कहा गया है, यह बिल्कुल सही सही है कि ब्रह्मपुत्रा को शिलांग में रोका जा रहा है, जमुना को वहां गंगा के अन्दर डालकर ले जा रहे हैं। ये दोनों बातें, दुरंगे भाव हैं, ये कदापि चलेंगे नहीं, और यह खुद कितना नुकसान कर रहे हैं इसके लिए चेतावनी देता हूँ कि जागीरदारों के वास्ते जिस त्याग की आवश्यकता हो वे तत्पर हैं। राजस्थान में ७५ प्रतिशत जमीन जागीरदारों के नीचे थी और २५ पर्सेन्ट खालसे के अन्दर थी, जागीरदारों की भूमि की रेट गिराकर खालसे की जमीन से कम आमद

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

इसलिए रक्खी गई कि मुआवजा विशेष देना न पड़े। पर यह नहीं देखा गया कि गवर्नमेंट की आमद पर कितना भारी असर इस चाल से पड़ा है, और जाट और जमींदारों, जाटों से सवाल जाट कौम से नहीं है, बल्कि जिसमें बाहुल्य के साथ दूसरी कौमें भी हैं, तो उनको लड़ाने के वास्ते इस पार्टी द्वारा क्या चेष्टाएं नहीं की गई हैं?

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

तो मैं निवेदन करूंगा कि इस बात के लिए ५ मिनिट का समय और मांगता हूँ। पहले बोलने वाले जो सदस्य हैं उनसे मैं तो अधिक ही टाइम के पहले खत्म कर रहा हूँ।

श्री सभापति : आप विषयान्तर नहीं हों, विषय तक ही सीमित रहें। ज्यादा आजादी का इतिहास न बतलायें।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यह कैसे नहीं हो, महाराज। इस बारे में मेरा यह निवेदन है कि जाटों और राजपूतों को लड़ाने, जमींदारों को लड़ाने, भौमियों को लड़ाने की चेष्टाएं काफी रही हैं। लेकिन अन्त में मैं एक शेर कह कर ही अपनी विचारधारा को खत्म करता हूँ :

'जाट औ भौमिये गल जूंट गमन करते हैं
खुश रहो अहले वतन हम सफर करते हैं।'

हम इस पाप राज्य में नहीं रहेंगे, अगर जमींदारों और भोमियों में फर्क रहेगा तो।

श्री मदनसिंह दाता: समय कम हुआ, खत्म कर दिया जल्दी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन विधेयक के सम्बन्ध में, अभी तक माननीय सदस्यों ने अपने जो विचार प्रकट किये हैं, मैं समझता हूँ कि उनके सम्बन्ध, उन क्षेत्रों के उन किसानों से नहीं हैं, जिनके ऊपर कि इसका असर पड़ने वाला है लेकिन यह उन माननीय सदस्यों की सहानुभूति समझी जानी चाहिए। अपने दूसरी तरफ के रहने वाले किसानों के प्रति जमींदारों का उतना ही बुरा असर पड़ रहा है जितना कि कभी उनके क्षेत्र में जागीरी जनता पर पड़ रहा था।

बहुत दिनों के बाद जब इस सत्र के आरम्भ में मेरे सामने विधेयकों की सूची पहुंची और जिस समय यह विधेयक मेरी नजर से गुजरा तो मैंने यह समझा कि बहुत दिनों के बाद ही सही, राजस्थान के एक क्षेत्र के किसानों की जो सच्ची कष्टगाथा थी, उसकी तरफ राजस्थान सरकार का ध्यान गया और उन वायदों की, उन प्रतिज्ञाओं की पूर्ति की जा रही है, जिनको स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमारी राजस्थान सरकार ने अमल में लाने की सूचना दी थी।

सभापतिजी, यह एक बड़ा तथ्य है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पहले ही कम से कम कांग्रेस के मंच से, स्थान स्थान पर यह घोषणा की गई थी कि स्वतन्त्रता–प्राप्ति के बाद बहुत बड़े और बहुत छोटे के अन्तर को समाप्त कर दिया जायगा। राजा–महाराजा भी नहीं होंगे, जमींदार भी नहीं होंगे, जागीरदार भी नहीं होंगे, बड़े बड़े सेठ साहूकार और उद्योगपति भी नहीं होंगे और साथ ही साथ बहुत गरीब भी इस देश में नहीं होंगे, बल्कि सब को एक समान स्तर पर लाया जायगा। उस ओर कुछ कदम बढ़ाये भी गये हैं, हम यह नहीं कह सकते कि वह खाली झूठे

Page No.84

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

वायदे ही थे, उसके लिए कदम बढ़ाये भी गये और खास तौर से हमारे राजस्थान में। इस बात की हमें प्रशंसा करनी चाहिए कि राजस्थान सरकार ने जागीरदारी उन्मूलन करने में एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया था देश के सामने, लेकिन उसके साथ साथ लगभग ५–६ वर्षों के अन्दर जब कि इस राजस्थान के एक बहुत बड़े भाग में उस तबके को जो कि वहां के किसानों का शोषण कर रहा था, समाप्त किया जा रहा है। हमारे राजस्थान में एक ऐसा इलाका भी मौजूद है जहां जिस तरह लोग चाहते हैं वे उतनी बड़ी आमदनी नहीं पाते हैं। जैसी जोधपुर, जयपुर या दूसरी जगह के लोग हैं। उतने बड़े बड़े जागीरदार नहीं हैं, १ हजार बीघा, २ हजार बीघा या १ या २ गांव के छोटे छोटे जागीरदार हैं, लेकिन किसानों की हालत करीब करीब ऐसी ही है जैसी कि वहां पर जागीरदारों के वक्त रहती थी। लेकिन एक तरफ जब हम राजस्थान गजट को देखते हैं, वहां की पत्र–पत्रिकाओं को देखते हैं और हम लोग जब जाते हैं तो हम लोगों से जो बातचीत होती है उसको सुनते हैं कि राजस्थान में जागीरदारी खत्म हो रही है, किसानों को भूमि के अधिकार मिल रहे हैं, तो वे यह पूछते हैं कुतूहल के साथ कि भरतपुर के अन्दर ये जमींदार और बिस्वेदार लोग हमारी जमीनों की मिहनत का पूरे का पूरा फायदा उठा रहे हैं। हम पूरी मिहनत कर रहे हैं लेकिन हमको ज्यादा लगान देना पड़ता है। वह कब ठीक होगा। सभापति महोदय, हमारे सदन के सदस्यों को शायद यह पता होगा कि लगान के रूप में १॥) या २) रुपया बीघा आम तौर पर हुआ करता है, लेकिन जमींदार लोग ५०) और ६०) रुपया फी बीघा लेते रहे हैं। इस तरह से जमींदारों का बोझा कम नहीं था। बेदखली या सारी चीजें उसी नृशंसता के साथ होती रही हैं जमींदारों के इलाकों में। लेकिन जब कि एक समय आया है, देश के प्रत्येक राज्य में से हम जमींदारी, जागीरदारी या और किसी किस्म के मध्यस्थ को दूर करते जा रहे हैं तो केवल वह इलाका बीच का ऐसा बच जाता है जिसके एक तरफ उत्तर प्रदेश है जहां जमींदारी प्रथा को बहुत समय पहले ही खत्म कर दिया गया है। सन् १६३७ में जब कि प्रान्तीय स्वायत्त शासन स्थापित हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार ने घोषणा की थी और काफी आगे भी बढ़ गये थे। इधर राजस्थान बनने के बाद जागीरदारी जल्दी जल्दी समाप्त होती जा रही है. लेकिन उस इलाके में जब कि हम उत्तर प्रदेश की तरफ जाते हैं तो वहां जब स्वतन्त्रता आई थी तो जल्दी ही जमींदारी खत्म हुई और उनको मुआवजा देकर भूमिदार बना दिया गया। इधर जाते हैं तो जयपुर से से जो इलाका शुरू होता है और जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर तक चला गया है वह इलाका एक ही श्रेणी का है। यहां जागीरदारी खत्म होकर वहां के लोगों को भी जमीनें मिल रही हैं। पर हमारे इलाके का किसान यह सोच रहा है कि वह सुन्दर दिन कब आयगा जब जमींदारी प्रथा का खात्मा होगा। अभी जब मैंने पढ़ा, कि बिस्वेदारी बिल आया है तब मैं सोच रहा था कि दीवाली के अवकाश के दिनों में जब मुझे उधर जाने का मौका मिलेगा तब मैं वहां के किसानों को यह शुभ सन्देश सुना सकूंगा कि लो अब तो राजस्थान सरकार ने जमींदारी भी खत्म कर दी। लेकिन अभी मालूम हुआ कि सम्बन्धित मन्त्री महोदय न मालूम किस कारण से अभी कुछ दिन और देरी से इसे

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

लाने के हक में हैं, इसका कारण समझ में नहीं आता। इसके लिए एक कमेटी बनी थी और उससे उस इलाके के भी एक सज्जन मेम्बर के रूप में सम्बन्धित थे। उस कमेटी ने सोच-समझ कर रिपोर्ट दी। उसी के आधार पर यह विधेयक बन कर तैयार हुआ। अब फिर कौन सी कमी रह गई है, जिससे इस बात की आवश्यकता हुई कि इसे फिर से प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। कभी कभी ख्याल होता है कि रिपोर्ट निकलने के समय से अब तक के बीच के समय में लोगों ने काफी फायदा उठा लिया है। भरतपुर के इलाके में इन ६ महीनों में काफी जमीन बेची गई है। जिनके पास ५० या १०० बीघा जमीन है, उनकी बात अलग है लेकिन जिनके पास ५०० बीघा या १००० बीघा जमीन है, उन्होंने उसमें से काफी जमीन बेची है और कम भाव से ही नहीं बेची बल्कि ५० से लेकर २०० रुपया बीघा तक में जमीन बेची है। मैंने सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट में पढ़ा था कि राजस्थान सरकार एक कानून बना रही है जिसके अन्तर्गत वे लोग जमीन नहीं खरीद सकेंगे जिनके पास जमीन पहले से ही मौजूद है। मैंने इस बात की जानकारी की कि कहीं उन्होंने ऐसे आदमियों को तो जमीन नहीं बेच दी जिनके पहले से ही जमीन मौजूद है। अगर ऐसा है तो अच्छा है, जमीन फिर से उनके पास से वापिस आ जायगी। लेकिन वे लोग भी पूरे वाकिफकार थे। उन लोगों ने जवाब दिया कि हमने ऐसे लोगों को बेची है जिनके पास जमीन पहले थी ही नहीं। इस तरह से उन्होंने पैसा काफी पैदा किया है। यह सोच कर कि बिस्वेदारी खत्म होने वाली है और सरकार उसके लिये कानून बनाने वाली है, काफी लोगों ने अपनी जमीनें बेच दी हैं। एक सज्जन ने तो ८०० या १००० बीघा जमीन १५०) से २००) रु० प्रति बीघा के भाव से जमीन बेच कर काफी फायदा उठाया है। अब भी उन लोगों को यदि मौका मिलेगा तो वे और जमीन निकाल देंगे। जब तक कानून पास होगा तब तक शायद जमींदार भी भरतपुर में नहीं रहेंगे। वैसे तो ये लोग काफी समय से फायदा उठा रहे हैं। जैसे ही कमेटी बनी और उसने रिपोर्ट दी उससे पहले ही उन्होंने इन्तजाम कर लिया। उनके बाप-दादों को जमीन मिली थी या उनके द्वारा खरीदी गई थी और वर्षों तक वे उसका उपयोग करते रहे, किसानों की गाढ़ी कमाई का पैसा वे घर बैठे मुफ्त में प्राप्त करते रहे। अब वे सोचते हैं कि यह पैसा आगे मिलने वाला नहीं है और खैंच तान करेंगे तो दो तीन महीने और निकाल लेंगे, लेकिन आज जो समाज की स्थिति है और जो समाजवाद का ढांचा बनने जा रहा है उसमें महीने दो महीने का और मौका देकर ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाया जा सकता है।

राज्य सरकार की नीति के अनुसार उस जमीन का सब से पहला लाभ उस गांव के किसानों को मिलना चाहिये, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि वह जमीन जो बेची गई है, उससे पूरा लाभ उसी गांव के किसानों को मिला है अथवा नहीं। हो सकता है कि गांव के ही किसानों को बेची गई हो और यह भी हो सकता है कि दूसरे गांव के लोगों ने भी आकर लेली हो। फिर एक ऐसी समस्या सामने आयगी कि जमीन के टुकड़े टुकड़े हो जायेंगे; जब कि आप दूसरी तरफ कंसोलिडेशन करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि इतने उपयोगी, लाभदायक और प्रगतिशील कानून को यह कह कर कि इसमें कुछ खामी है, सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जा रहा है, यह उचित

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

नहीं है। कम से कम जिस इलाके से इसका सम्बन्ध है उस इलाके के प्रतिनिधि की हैसियत से दूसरे साथी भी मेरा अनुमोदन करेंगे तो इसको किसी दूसरी जगह भेजने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भोलानाथ (लक्ष्मणगढ़) : अवश्य समर्थन करेंगे।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (जारी) : इसको आज ही हाउस में लिया जाय और पारित किया जाय। मैं समझता हूँ कि राजस्व मन्त्री जी भी इसे उसी भावना से ग्रहण करेंगे जिस भावना से प्रेरित होकर यह बिल यहां पर लाया गया है।

श्री बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय सभापति महोदय, यह जो प्रवर समिति का प्रस्ताव माननीय मन्त्रीजी ने रखा है उसका मैं विरोध करता हूं। इसका कारण यह है कि जमींदारी प्रथा के कारण कम से कम मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सभी जगह जमींदारी प्रथा है, वहां जब मैं पिछली बार गया था तब वहां के कई लोगों ने पूछा था कि दो साल हो गये, लेकिन जमींदारी प्रथा को समाप्त नहीं कर पाये, आपकी सरकार क्या करने का सोच रही है? सवाल यह है कि जमींदारी प्रथा से लोग कितने परेशान हो रहे है। मेरे ही क्षेत्र में नहीं, बल्कि धौलपुर के सब-डिवीजन में बुरी तरह से लोग इससे पीड़ित हैं। वहां पर बंजर भूमि और चरागाहों के झगड़े हैं, इस प्रकार से पंचायतों में बहुत सी जगह झगड़े चल रहे हैं। पंचायतें कहती हैं कि यह जगह हमारी है और जमींदार कहते हैं कि यह हमारी जगह है। ऐसे कई तरह के झगड़े खड़े हो गये हैं। राज्य सरकार ने ६ महीने पहले इसे इन्ट्रोड्यूस किया था। यदि विधान सभा में इसे पास नहीं कराना था तो प्रवर समिति को पहले ही सुपुर्द किया जा सकता था, इसके लिये ऑर्डिनेन्स जारी कर सकते थे। हमें अफसोस है कि यह प्रथा जिस समय जागीरदारी समाप्त हुई, उसी समय क्यों नहीं समाप्त की गई? जागीरदारी और जमींदारी एबोलिशन बिल को साथ ही साथ पास करना चाहिये था। मैं आशा करता हूं कि आप इसमें रुकावट न पैदा करके शीघ्र ही इसे पास कराने की ओर कदम उठावेंगे। अगर इसमें कोई खामी रह जाय तो बाद में भी संशोधन कर सकते हैं। यदि राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता है तब तो जल्दी ही स्वीकृति मिल ही जायगी और यदि राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता है तो उसके लिये भी शीघ्र ही व्यवस्था कर देनी चाहिये, ताकि इसमें विलम्ब न हो। आज इस प्रथा के कारण जो लोग जमींदार हैं वे यह कर रहे हैं कि उनके पास जो जमीन पड़ी थी उस पर ट्रेक्टर चला दिये गये हैं, रास्ते खत्म हो गये हैं। कलेक्टर या तहसीलदार रहते हैं तो वे कहते हैं कि ऐसा करना हमारा राइट है। मैं जिस वक्त गांवों में गया उस वक्त वहां पर चलने का रास्ता नहीं था, दूसरों के खेतों में होकर निकलना पड़ता है, इस तरह की परेशानियां हो रही हैं। जब हम यह देखते हैं इसको अभी और आगे सरकाया जा रहा है और प्रवर समिति के सुपुर्द किया जा रहा है तो दुःख होता है। प्रवर समिति में भी इस हाउस के ही सदस्य बैठते हैं और हाउस में सभी सदस्य बैठते हैं। यदि अमेन्डमेन्ट्स लाने हैं तो यहां पर भी लाये जा सकते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको पास करने में ढिले न करें और पारित करके राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये विशेष मेसेन्जर भेजकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर

Page No.87

(श्री बहादुरसिंह)

करवा लिये जावें और यदि राज्यपाल के हस्ताक्षर करवा ने हों तो उसमें भी विलम्ब नहीं किया जावे ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : चेयरमैन महोदय, जो प्रस्ताव रखा गया है मन्त्रीजी की तरफ से, मैं उसका विरोध करता हुआ निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक जितने भी पूर्व वक्ता बोले हैं, मुझे प्रसन्नता है कि उनमें से एकने भी मन्त्रीजी का समर्थन नहीं किया है । मुझे लगता है कि शायद समर्थन करने वाला कोई नहीं मिला है, इसलिये उन्होंने स्वयं ने यह प्रस्ताव रखा है । जब वे यह समझते हैं कि सदन में कोई समर्थन करने वाला नहीं है तो वे अपने प्रस्ताव को वापिस ले लें और यहाँ पर इस बिल को पारित करवा लें ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब हमने जमींदारी उन्मूलन बिल को यहां से आने वाले कागजों के साथ देखा तो उससे बड़ी प्रसन्नता हुई । मेरे निर्वाचन क्षेत्र मे किशनगंज में २०.३५ जमींदार हैं और उनके अन्तर्गत काफी जमीन दबी हुई है । छोटे काश्तकार उनके मजदूर हैं और दिन-रात काफी परिश्रम करते हैं और संघर्ष सहते हैं ।

जब से देश आजाद हुआ है, उन गरीब, दबे हुए तबकों के अन्दर चेतना जाग्रत हुई है, तब से उन्होंने संघर्ष लेना प्रारम्भ किया है । मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा माननीय राजस्व मन्त्रीजी को बताना चाहता हूँ कि किशनगंज तहसील का एक गांव है, वहां के किसानों ने संघर्ष किया,उनकी जमींदारके साथ खुल कर लड़ाई हुई, दोनों तरफ से लाठियां चलीं और परिणाम यह हुआ कि बारां के एस० डी० ओ० ने यह कहा कि मुआवजा जमींदार को न दो, तहसील में जमा करा दो । लेकिन आज दो साल बाद कहते हैं कि मुआवजा जमींदार कोदीजिये । मेरे सामने यह समस्या आई और सारे गांव के किसान मेरे साथ तहसीलदार के पास गये । मैंने कहा कि मुआवजा यहां पर जमा कराइये । उन्होंने कहा कि पहले न जाने किस कानून के अनुसार यहां जमा कराया जाता था, अब नहीं हो सकता । हमारे गांव के काश्तकारों की जिद है कि मुआवजा वे जमींदार को नहीं देंगे और दूसरी ओर तहसीलदार का यह कहना है कि मुआवजा वे जमींदार को दें । इस प्रकार की परिस्थिति काश्तकार और जमींदार के बीच चल रही है । माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैंने उन काश्तकारों को बताया कि इस बार के कार्यक्रम में यह बिल आ गया है और बहुत जल्दी ही जमींदारी उन्मूलन बिल पेश हो जायगा और जिस प्रकार और काश्तकार करते हैं उसी प्रकार उन्हें भी मुआवजा तहसील में जमा कराना पड़ेगा । यह बिल इस सैशन में, जो अक्टूबर के महीने से चलने वाला है,उसमें नवम्बर तक पास हो जायगा । अब अगर हमारे सामने यह समस्या खड़ी होती है तो हम उनको क्या मुंह दिखायें, अगर इस प्रकार इसे पास करने मे डिले की जाती है और इसको केवल प्रवर समिति में भेजने का बहाना बना कर इसे डिले करने की कोशिश की जाती है और जो लोग आज दबाये हुए हैं, उन्हें फिर से संघर्ष करने के लिए राय दी जाती है । तो मैं माननीय मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य इसके लिए तैयार नहीं है और मैं यह भी कहना चाहता

(श्री दयाकृष्ण विजय)

हूँ कि प्रवर समिति को इस बिल को भेजने का अर्थ यह है कि इस काम में रुकावट डाली जाय। आज यह समय नहीं है, क्योंकि आज़ादी को मिले ११ वर्ष बीत गये और उस समय हमने कहा था कि जमींदारी, जागीरदारी और जितने भी माफीदार आदि हैं, उनको हम समाप्त करेंगे, काश्तकार और सरकार के बीच में जितने भी मध्यस्थ हैं उनको समाप्त करके जमीन पर भूमिहीन काश्तकारों को बैठायेंगे। लेकिन आज जब जमींदारी उन्मूलन का प्रश्न उपस्थित होता है तो जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि जागीरदारी को समाप्त करने के लिए प्रोग्रेसिव कदम उठाया, लेकिन जब जमींदारी उन्मूलन का प्रश्न आता है तो उसमें माननीय मंत्री जी हिचक जाते हैं और उसको बार बार टालने की कोशिश करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इसका क्या कारण है, क्या विचार धारा, क्या राजनैतिक कारण काम कर रहे हैं कि वे इस प्रकार का प्रस्ताव उपस्थित करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्रीजी जनता की विचारधारा, माननीय सदस्यों की विचार–धारा पर विचार करेंगे और अपने प्रस्ताव को वापिस लेंगे। इस सम्बन्ध में अधिक कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिल छोटा है, जिसके अन्दर केवल ३४ धारायें हैं, जिनको पढ़ने के बाद मालूम होता है कि एक-दो धारायें जो प्रारम्भ की हैं, उनमें संशोधन किये जा सकते हैं। उनके अतिरिक्त बिल को पूरा देख लिया जाय, ऐसी कोई बात नहीं है कि उनमें अमेंडमेंट की जरूरत पड़े, और जो अमेंडमेंट्स आते हैं उन पर विचार कर लेंगे। अगर इस बिल को प्रवर समिति में भेजा तो उसका यह अर्थ होगा कि अगले आने वाले सेशन में इसे रख सकेंगे और काफी खर्चा उठाना पड़ेगा। आज हम देखते हैं कि इस बिल के महत्व को देखते हुए इस बिल को जल्दी लिया जाय। अगर मंत्री महोदय इसमें रुकावट डाल कर डिले करना चाहते हैं तो यह न्यायसंगत बात नहीं कही जा सकती। मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहूँगा माननीय सदस्यों से कि वे इसका पुरजोर समर्थन करें और जो प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध करें।

श्री भोलानाथ (लक्ष्मणगढ़) : चेयरमैन महोदय, यह जो प्रस्ताव मिनिस्टर साहब की तरफ से आया है, उसके सम्बन्ध में भावनात्मक भाषण हुए, उनसे साफ जाहिर है कि हाउस इस राय का है कि इस बिल को अभी लिया जाना चाहिए। मैं भी इस राय का हूँ क्योंकि कई कारण ऐसे उपस्थित हो गये हैं जिनसे इस बिल को अभी लिया जाना चाहिए। अगर हम पहले इतिहास को देखें लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, तो जो आवश्यक बिल थे, जिनसे जनता को सुविधा मिलती है और किसानों को राहत मिलती है, उनके आर्डिनेंस निकाल कर, उन्हें कानून की शक्ल देकर पास किया गया। हम देखते हैं कि जब इस प्रकार के प्रोग्रेसिव बिल को पोस्टपोन किया जाता है तो स्वाभाविक तौर पर नाराजगी पैदा होती है। ठीक था कि यह बिल पिछले सेशन में आया, लेकिन जब हाउस ६ महीने के लिए एडजोर्न हुआ था, उस दरम्यान में इसे ऑर्डिनेंस की शक्ल देकर पेश कर देते और अब बिल के रूप में ले लेते, जैसे कि जागीरदारों के सम्बन्ध में किया। पिछले आम चुनाव हुए तो हमने आवश्यक समझा कि जब तक जागीरदारों का अबोलिशन नहीं कर दिया जायगा तब तक वास्तविक स्वरूप जो जन राज्य का है, उसमें कमी

(श्री भोलानाथ)

आयेगी। जैसा कि आपको मालूम है कि पहले इसे आॅर्डीनेंस की शक्ल में पेश किया गया और बाद में जो उसमें खामियां हुईं, उनको जागीर रिजम्पशन एण्ड लैंड रिफाॅर्म्स (अमेंडमेंट) बिल्स के रूप में लाकर, सलाह समझौते से तय किया। यही प्रोसीजर जमींदारी अबोलिशन बिल के सम्बन्ध में काम में लेना चाहिए था। जैसा कि पहले वक्ताओं ने बताया कि जमींदारी एबोलिशन और जागीरदारी एबोलिशन के लिए कमेटी बैठी थी, जिसके चेयरमैन वेंकटाचार्य थे, यह कमेटी १९४९ में बैठी और तब से लेकर नौ-दस वर्ष तक उसका एक हिस्सा अमल में लाया गया और दूसरा नहीं। दूसरा हिस्सा अमल में नहीं आता है तो वास्तविक तौर से नाराज़गी होती है। मैं तो इसको इस दृष्टि से देखना चाहता हूँ कि आपने जमींदारी एबोलिशन बिल को रोक कर तकलीफें पैदा कर दी हैं। जैसा श्री बहादुरसिंह जी ने अभी बतलाया, जो कानून जनता को आगे बढ़ाने में सहायक हुए हैं, उनमें एक टीनेन्सी एक्ट है, और दूसरा पंचायत कानून। आपने उनके क्लाॅज़ेज़ को पढ़ने की कोशिश नहीं की, उन विधेयकों पर सोचने का कष्ट नहीं किया, वरना यह बिल और जल्दी आना चाहिए था। जिस इलाके से मैं आता हूँ वहां टीनेन्सी एक्ट अमल में नहीं आ पाता है, वहां जमींदारी का तरीका यह है कि मुकम्मिल गांव जमींदारों में और बिस्वेदारों में बंटा होता है और जमींदारों में बंटा होने की वजह से वहां मकान नहीं बना सकते, वहां रास्ता नहीं रख सकते, वहां चरागाह के लिए जमीन नहीं छोड़ी जा सकती और इसके अलावा बहुत सी तकलीफें होती हैं। जितनी सहूलियतें इन दोनों कानूनों में दी गई हैं, वे सहूलियतों वाली धारायें वहां नल एण्ड वॉइड हो जाती हैं, जब तक आप जमींदारी एबोलिशन कानून नहीं बनाते हैं क्योंकि जो पंचायत कानून बनाया, उसमें मन्शा यह थी कि जो सरकार के राइट्स हैं, वे पंचायत को चले जावें, जिस तरह म्युनिसिपैलिटियों में किया। अलवर में और भरतपुर में कुछ नज़ूल की जमीनें थीं, सरकार शहर की नज़ूल जमीन की मालिक थी, उसके बाद धीरे-धीरे कानून बनाये और जो सरकार की जमीन थी, वह म्युनिसिपैलिटी के पास चली गई। इसी तरह जो जागीरदारों की भूमि थी, वह जगीरदारी रिजम्पशन के बाद गवर्नमेंट की हुई और जो जमीन आबादी के लिए ठीक थी, वह पंचायतों को चली गई। जहां जमींदार है, वहां जो जमीन सरकार के कब्जे में सार्वजनिक उपयोग के लिए होनी चाहिए, वह बिस्वेदारों के पास है। इसलिए पंचायतें वहां फंक्शन नहीं कर सकतीं। मैं समझता हूं कि रेवेन्यु मिनिस्टर और गवर्नमेंट के पास कई प्रकार की शिकायतें आई होंगी। जहां जमीन छोड़ने का सवाल आता है अलवर और भरतपुर इलाके में, क्योंकि वहां पंचायतों को हक दे दिया टीनेन्सी एक्ट के मुताबिक, उसमें तादाद के मुताबिक यह जमीन पंचायतों को मिलनी चाहिए......

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां एजेन्सी कलेक्टर है, कलेक्टर के पास पावर्स हैं कि जो जमीन जागीरदारी और जमींदारी एरिया में है, उसको छीन सकता है।

श्री भोलानाथ : उसके लिए रिजम्पशन की कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : उसके बिना भी कर सकता है।

श्री भोलानाथ : किस तरह से ?

(घंटी)

Page No.90

(श्री भोलानाथ)

कलेक्टर महोदय भी कानून को समझते हैं, और रेवेन्यु मिनिस्टर भी कानून के पंडित हैं, यह मैं जानता हूँ, लेकिन उसके लिऐ प्रोसीडिंग्ज करनी पड़ेंगी और जब तक लैंड रिकॉर्ड्स के मुताबिक कार्यवाही न हो,जब तक प्रोपर्टी लेने का कानून नहीं बने, तब तक उसकी प्रोपर्टी ले नहीं सकते। इस चीज को कलेक्टर ने भी अपोज किया है, जिसके सामने ये बातें पेश की हैं। जब से यह सवाल पेश हुआ है, बीड़ तोडे जा रहे हैं, चरागाह तोडे जा रहे हैं. लोग परेशान हैं। चतुर्वेदीजी भरतपुर से आये हैं। इसके लिये सबसे बड़ा सवाल दूसरा है, वह मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जमींदार जमीन बेच रहे हैं और वहां आप कानून को अमल में नहीं ला रहे हैं। इससे उल्टी तकलीफ बढ़ा दी है, इसलिए इस प्रोग्रेसिव कानून को जल्दी से जल्दी पास करना चाहिए।

मैंने पहले आपके सामने अर्ज किया कि ऑर्डिनेन्स के तौर पर आता तो भी इसका स्वागत किया जाता, इसमें किसी प्रकार की खामी रह गई होती तो जैसे जागीरदारों से समझौते हुए, बातचीत हुई, पंतजी बीच में आये, अब भी संशोधन करते हैं, तो इसी प्रकार जमींदारी बिल के बारे में गलती रह जायगी तो संशोधन करेंगे। लेकिन लोगों के दिल में से बात निकल जानी चाहिये कि सरकार जमींदारी को रखना चाहती है, खत्म नहीं करना चाहती। हमें जमींदारी को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिये, जैसा कि हमारी रिपोर्ट से साबित हैं, हम इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं। अत: इस बिल को क्लॉज़ बाई क्लॉज़ ले लीजिये। मैं खास बात कहूँगा कि टीनेन्सी कानून चल नहीं रहा है। पंचायतों के चुनाव हमारे एरिया में होने वाले हैं। खास तौर से अलवर-भरतपुर का जिक्र करता हूं, पंचायतों के इलेक्शन होने वाले हैं। जिस समय जागीर एरिया में सैटिलमेंट नहीं हुआ था उस समय इन एरियाज़ में सैटलमेंट हो गया था। जहा पर सैटलमेंट पहले नहीं हो रखा है उन एरियाज़ में जागीर एबोलिशन का कानून लागू करना और जिन एरियाज़ में कभी सैटलमेंट हो रखा है, पहले से हुआ हुआ है, वहां पर इस प्रकार के कानून को रोकना, यह हमारा प्रतिक्रियावादी कदम मालूम पड़ता है। हमने सन् १६५४ से कोई प्रोग्रेसिव कानून पास नहीं किया है। चाहे जागीर एबोलिशन का कानून लें, चाहे टीनेन्सी का कानून लें, चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्डस का कानून लें, चाहे पंचायतों का कानून लें, चाहे और किसी प्रोग्रेसिव कानून को लें, वे सब सन् १६५४ से पहले पहले पास हुए हैं, इसके बाद एक भी प्रोग्रेसिव कदम नहीं उठाया गया और यह एक कानून है जिसे इतने समय तक पटक रखा है और अब भी इसको नहीं कर रहे है। कैसी कमेटी बैठने की बात? वैंकटाचार्य जैसे व्यक्ति की कमेटी बिठाने के बाद में फिर कौन सी कमेटी बिठाने की आवश्यकता है, फिर भी कमेटी बैठाई गई। अब इस कानून को और रोकने की आवश्यकता नहीं, इसे आज ही क्लॉज़ बाई क्लॉज़ लिया जाना चाहिये।

हमारे सेंटीमेंट्स का, हाउस का ध्यान रखते हुए आप इसे आज ही क्लॉज़ बाई क्लॉज़ शुरू कर दीजिये।

(अनेक सदस्यों ने बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री बृजमोहनलाल।

श्री बृजमोहन लाल शर्मा (ब्यावर) : आदरणीय चेयरमैन महोदय, इस सदन में जो इस समय बहस चल रही है उसे देखकर कुछ आश्चर्य सा होता है। आशा यह थी कि जो प्रस्ताव प्रवर समिति को पेश करने के लिये मन्त्री महोदय की ओर से रखा गया है, यदि इसी प्रकार का प्रस्ताव सदन की ओर से आता तो चीज कोई समझ में आ सकती थी, क्योंकि सरकार को इस बात का पूरा अवसर मिलता है कि उसके किसी विधेयक पर अच्छी तरह से विचार करे और उसकी सब क्लॉजेज पर अच्छी तरह से विचार करे और उसके बाद ही उसे सदन में रखा जाता है। यदि इस विधेयक में सदन के सदस्यों को त्रुटि नजर आती और सदन के सदस्यों की ओर से इस प्रकार का प्रस्ताव प्रवर समिति के सुपुर्द इस बिल को करने सम्बन्धी रक्खा जाता तो यह बात समझ में आती। पर सरकार की ओर से कहा जाता है कि प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिये तो सरकार के प्रति अविश्वास पैदा हुआ है, ऐसी कुछ चीज समझ में आने लगी है। यह सही बात है कि जो काश्तकारों के और सरकार के बीच में जमींदार और बिस्वेदार मध्यस्थ के रूप में हैं, उनको जल्दी से जल्दी मिटाना चाहिये। जिस प्रकार १९५२ में जागीरदारी को खत्म किया गया, उसी प्रकार जमींदारी और बिस्वेदारी के लिये भी उसी समय उसके साथ रखा जाता तो बात समझ में आती, पर आज ५, ६ वर्ष बाद सदन के समक्ष प्रस्ताव आया है। तो अब सदन के सदस्यों को जल्दी करना स्वाभाविक है। जमींदार और बिस्वेदार इसकी वजह से नाजायज फायदा उठा रहे हैं, इसका प्रमाण यह है कि ज्योंही सदन के समक्ष यह रिपोर्ट पेश हुई, उन्होंने अपनी जमीनों को बेचना शुरू कर दिया है और नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया है।

विहंगम दृष्टि से देखें तो जरूर प्रवर समिति के पास भेजना चाहिए क्योंकि मुझे इससे खामियां मालूम पड़ रही हैं, 'वर्ड्स' आई-व्यू से देखने से गलती मालूम पड़ती है तो उन्हें जरूर सुधारना चाहिये। इस प्रकार की तीन चार बातें हैं, वे मैं आपके सामने रखूंगा। यदि आप बिस्वेदारी की परिभाषा को देखें तो इसमें लिखा हुआ है :

'Biswedar' has the meaning assigned to it by clause (5) of Section 5 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955) and includes any holder of land, not being a tenant, who may be declared by the State Government, by notification, to be a Biswedar for the purpose of this Act."

Such a power cannot be delegated to the State Government, 'Who may be declared by the State Government, by notification, to a Biswedar for the purpose of this Act." This means delegation of legislative power to the State Government.

श्रीमन्, मेरी यह धारणा है कि इस प्रकार के लेजिस्लेटिव पॉवर्स सरकार को नहीं दिये जाने चाहिये : It is unconstitutional.

क्योंकि सदन के समक्ष यह लेजिस्लेटिव फंक्शन है कि बिस्वेदार में कौन-कौन आ सकते हैं, यह लेजिस्लेटिव फंक्शन है, यह स्टेट गवर्नमेंट को पॉवर नहीं दिया जा सकता, यदि स्टेट गवर्नमेंट ने किसी को इन्क्लूड कर के उसको एबोलिश कर दिया तो इस प्रकार का डेलिगेटेड पॉवर होगा, वह विधान के

Page No.92

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

खिलाफ होगा। इसलिये यह ठीक है कि इस प्रश्न को इस दृष्टि से विचार करना चाहिये।

इसी प्रकार जमींदार की परिभाषा में भी लिखा है :

"........Who may be declared by the State Government, by notification, to be a Zamindar for the purposes of this Act."

तो यह एक चीज मैंने सदन के सामने रखी है कि लेजिस्लेटिव फंक्शन एग्जीक्युटिव को नहीं दे सकते।

इसी प्रकार 'एस्टेट' की परिभाषा को देखेंगे। "Estate" means land or interest in land held by a Biswedar or a Zamindar."

What about the title or right of the Biswedar or Zamindar. There is difference between interest and title,

अगर अपना मोर्टगेज का इन्टेन्शन होता है, उसको एबोलिश कर दिया, टाइटिल नहीं होगा तो एबोलिशन क्या होगा ? बोडी ऑफ एक्ट में स्थान स्थान पर जैसे क्लॉज ४ [२] (डी) में लिखा हुआ है : "Every right, title or interest created in or over such estate by the Zamindar or Biswedar or his predecessor-in-interest shall, as against the State Government cease and determine;" तो इन पर तो राइट एण्ड टाइटिल और परिभाषा का कहते हैं, पर परिभाषा एस्टेट की जो दी है, उसका राइट एण्ड टाइटिल नहीं दिया है।

कहा गया कि बिस्वेदारों ने और जमींदारों ने जमीनों को बेच दिया है और बेच रहे हैं, तो उन टीनेन्ट्स को कैसे प्रोटेक्शन देने जा रहे है, इसका भी इस विधेयक में कोई प्रोविजन नहीं है, वह प्रोविजन करना भी आवश्यक है।

ठीक है, मैं मानता हूँ कि किसानों को फौरन राहत देनी चाहिये, पर प्रवर समिति के सामने बैठकर १० या १५ दिन के लिये इसे प्रवर समिति में रख दें, सदन इसके लिये समय निर्धारित कर दे, मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि समय निर्धारित करके प्रवर समिति का प्रतिवेदन इसी सैशन में प्रस्तुत करायें और इन लोगों को राहत दे दें।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : माननीय सभापति महोदय, आज यह जो माननीय मिनिस्टर साहब ने बिल हाउस में जमींदारी को समाप्त करने के लिये रखा है और सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये कहा है, उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि आज से करीब ७ वर्ष पहले ही यह बिल पेश हो जाना चाहिये था और पास हो जाना चाहिये था, परन्तु इन ७ वर्षों के अन्दर दो दफा चुनाव होने के बाद भी यह बिल अब आया है और अब भी यह कहा जाता है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे, तो यह बड़े शर्म की बात है क्योंकि इस हाउस के लिये, अन्दर आने के लिये जहां हम जनता के सामने वोट लेने के लिये जाते हैं तो दुनियां भर के धर्म उठाकर उनसे वोट लेते हैं, लेकिन हम कुर्सी पर बैठ कर सारी चीजों को भूल जाते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने तो नहीं किये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैंने तो नहीं किये हैं। आप लोगों ने ही किये हैं।

(हंसी)

(श्री मुकिलाल मोदी)

माननीय सभापति इस तरह के बिल के बारे में माननीय मंत्री महोदय यह कहें कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे, उचित नहीं होगा क्योंकि यह बात तो उन लोगों को कहनी चाहिये थी जो जमींदारी के मालिक बन कर बैठे हैं और इस हाउस में भी कुछ सदस्य ऐसे हैं जो इस प्रकार जमीनों के मालिक बन कर बैठे हैं और वे इस बिल को पास नहीं होने देते हैं; उन सदस्यों को कहना चाहिये। परन्तु वे सदस्य न कह कर माननीय मंत्री इसके लिये कहते हैं यह कहां तक उचित है ? जब कि एक रिपोर्ट के बारे में कहा था कि कमेटी बनाकर इस बिल को जल्दी से जल्दी हाउस में पास कर दिया जावे तो उस कमेटी को भी करीब दो साल होने में आये हैं और उसकी रिपोर्ट भी आई है। रिपोर्ट आने के बाद भी आज यह सिलेक्ट कमेटी में भेजने के बारे में प्रश्न उठा है, वह नहीं उठना चाहिये था। जो चीज आज से वर्षों पहले हमको करनी थी और जिसके नाम से हम पब्लिक में जाकर यह कहते हैं कि हम जागीरदारी, सामन्तशाही को खत्म करने के लिये यह कानून बना रहे हैं तो जागीरदारी प्रथा तो अब नहीं रही, परन्तु मैं यह कहूंगा कि उन जागीरदारों और राजाओं को आज की जो सरकार है, वह बर्दाश्त कर रही है और जो जमींदार हैं, उनको बर्दाश्त कर रही है। इसके लिए यह सरकार भी सामन्तशाही सरकार कहलाई जानी चाहिए। वह इस तरह के कानून को भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। माननीय सभापति महोदय, आज पब्लिक इस तरफ देखती है कि आज विधान सभा में क्या हो रहा है। आज इस राजस्थान में कितना भ्रष्टाचार बढ़ा है ! मैं तो यह मानकर चलता हूं कि विधान सभा में यदि इस बात का ध्यान रखा जावे कि जो भी कानून बनाये जावें वे अपनी पार्टी के हित के नहीं हों और उसमें सारी पब्लिक के हितों का ध्यान रखा जावे और उनके हितों का ध्यान रखते हुए सब तरह के कानून एक साथ बन जावें तो अच्छा होगा। जिस समय जागीरदारी प्रथा समाप्त करने का कानून पास हुआ, उस समय जमींदारी को हटाने का भी कानून पास होना चाहिये था और मैं तो यह निवेदन करूंगा कि जो जमींदार बैठे हैं उनको हटाना चाहिये। यह सब उस समय होना चाहिये था, आज से ७ साल पहले होना चाहिये था, मगर आज तक नहीं हो रहा है। इसलिये दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ८ दिन पहले मुझसे कुछ काश्तकार मिले थे और वे उस एरिया के थे जिसको मैंने नहीं देखा। मेरे यहां आये थे, वे, काश्तकार गंगानगर के थे और रो रहे थे कि विधान सभा में बड़े बड़े एम०एल० ए. बैठे हैं, मगर कुछ नहीं करते। मैंने कहा, मैं उन्हें जानता नहीं। और न आपका एरिया जानता हूं, जो आपके एरिया के हों उनके पास जाओ, जो आपके एरिया से चुन कर आये हैं उनके पास जाओ। तो वे कह रहे थे कि वे ही लोग उस जमीन के महन्त बने हुए बैठे हैं। वे हमारी क्या मदद करेंगे ? इस प्रकार की घटना है माननीय मिनिस्टर साहब, जब बाड़ खेत को खाने लगेगी तो क्या सुधार होगा ? उन्होंने कहा कि एम० एल० ए. बड़े जमींदार बन बैठे हैं। एक मुरब्बा जमीन की १८ हजार और १६ हजार की कीमत है। काश्तकार कह रहे थे कि पुलिस के द्वारा जबर्दस्ती किसी न किसी प्रकार का उन पर लाञ्छन लगाकर जमीनें छीनी जाती हैं। टीनेन्सी एक्ट में इस प्रकार का प्रोविजन है कि विधवा औरतों को मदद की जावे। उनके नाम से झूठे दावे करवाकर जिन जमीनों पर हमारा वर्षों से कब्जा था

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

और जिस जमीन पर आज तक हम काश्त करते आ रहे हैं उस जमीन को जबर्दस्ती से हमसे ले लिया जाता है। हमसे जमीन किसी न किसी तरह से दबाव डलवाकर छीन ली जाती हैं और जो है, थोड़ी बहुत आज भी बची है उसको भी हमसे छुड़ाना चाहते हैं, इससे हमको बचाना चाहिये।

इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जब छोटे से छोटे जागीरदार की जागीरें समाप्त कर दी गई हैं और बड़े जागीरदारों की जागीरें भी समाप्त कर दी गई हैं और यह तय किया है कि उनका लगान सरकार वसूल करेगी; इसके अलावा मंदिरों के बारे में भी लगान वसूल सरकार करेगी न कि पुजारी, तो ऐसी हालत में जमींदारी सिस्टम है उसको समाप्त क्यों नहीं किया जाता है ? इसका क्या कारण है ? मैं जो यह कह रहा हूं कि अगर इस बिल को आपने सिलेक्ट कमेटी में भेजा और इसमें देर लगी तो इसका मतलब यह होगा कि आज जो लोग कहते हैं कि जब कभी मौका आवेगा तो जागीरदारों की मिनिस्ट्री बन जावेगी तो उनका कहना सही हो जावेगा और जिस समय जागीरदारों की मिनिस्ट्री बन जावेगी, उस समय न मालूम क्या उथल पुथल हो जावेगा। आज यह बिल क्लॉज बाई क्लॉज नहीं लिया गया तो मैं ऐलानिया कहता हूं कि वही सामन्ती पनपेगी और जो कांग्रेस की मिनिस्ट्री है वह कांग्रेस की मिनिस्ट्री नहीं कहलावेगी, सामन्तशाही मिनिस्ट्री कहलावेगी।

(करतल–ध्वनि)

बिल जो भी होते हैं अपनी मर्जी से पास नहीं होते ! सामन्तशाही तरीकों से बिल को रोका जावेगा तो उचित नहीं होगा।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय चेयरमेन, माननीय मन्त्री ने जो इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैंने इस पर कई माननीय सदस्यों के भाषण सुने। अच्छा होता यदि वे इस बिल की अच्छाइयों और बुराइयों पर प्रकाश डालते, लेकिन जो भी भाषण हुए उनमें राजनैतिक बातें ज्यादा थीं और महत्व की बातें कम। यह एक बड़ी विडम्बना है। हमारे विरोधी दल के सदस्य कोई भी छोटे से छोटा बिल भी सदन में जिस समय प्रस्तुत होता है उसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये प्रस्ताव करते हैं और जब माननीय मन्त्री महोदय की तरफ से यह बात आई कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे जिससे कि यह जल्दी से जल्दी लागू किया जा सके तो इसका विरोध किया। इस बिल के सम्बन्ध में मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि सुधार के मामले बहुत ही डेलीकेट हुआ करते हैं और अगर उनको हेप हेजार्ड वे में पास कर दिया जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया दूसरी हो सकती है। जब कि टीनेन्सी बिल हाउस के सामने रखा गया था......

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : असेम्बली में भी कोई कानून हैप हेजार्ड वे में पास होता है क्या ?

श्री सोहनलाल भटनागर:(जारी रखते हुए) जो टीनेन्सी बिल हाउस के सामने रखा गया था उसके सिलेक्ट कमेटी से पास होने के बाद भी हाउस ने उसमें काफी समय लिया और रात दिन उसमें अमेन्डमेन्ट्स करते रहे।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Has he haphazardly proceeded ?

श्री सोहनलाल भटनागर: (जारी रखते हुए) चेयरमेन महोदय, भूमि सुधार सम्बन्धी जितने भी कानून होते हैं उनको जल्दी में पास नहीं किया जाना चाहिये। इससे स्पष्ट है कि सैकड़ों वर्षों से जो जमींदारी प्रथा कायम थी उसको हम मिटा रहे हैं और उसी के लिये हमारी सरकार यह प्रगतिशील कानून लाई है। सभी माननीय सदस्य इसे महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदम मानते हैं। हो सकता है, इसमें कुछ खामियां रह गई हों। मैं सदन के सामने इस बिल की कुछ खामियों को रखूंगा जिससे सदस्यों को स्पष्ट हो जायगा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजना उचित है। सिलेक्ट कमेटी में इसके जाने से यह होगा कि उसमें चुने हुए सदस्य जायेंगे, जिनको इसमें इन्टरेस्ट है, वे इसको देखेंगे और जिस प्रकार की उनकी राय होगी वह सदन के सामने प्रस्तुत की जायगी। इसी आशय से माननीय राजस्व मन्त्री ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैं माननीय सदस्यों को यह बताने की कोशिश करूंगा कि यह किन किन कारणों से सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिये। जमींदारी और जागीरदारी प्रथा को मिटाने के लिये एक कमेटी कायम की गई थी। उसने जमींदारी एबोलिशन के बारे में रिपोर्ट दी, उसमें और जागीरदारी एबोलिशन में काफी फर्क नजर आता है। इस बिल में हमें यह देखना है कि जमींदारी एबोलिशन हो जाय तो जमींदारों को क्या अधिकार रहेंगे, उसे क्या काश्तकार के अधिकार रहेंगे? इसके लिये मैं आपके सामने कुछ इस बिल के प्रोविजन रखूंगा जिनसे आपको यह पता चल जायगा कि सिलेक्ट कमेटी में भेजने से ही उनका निराकरण हो सकता है। उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि इस बिल के क्लॉज़ ५ के अन्दर बताया गया है कि जो कुछ तालाब वगैरह की भूमि है वह खुदकाश्त में है और जमींदार के कब्जे में रहेगी जागीरदारी इलाकों में जागीरदारी एबोलिशन बिल में ऐसा प्रावधान मौजूद था। इस प्रकार के प्रावधानों से किसानों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी थी। किसान चाहता है कि तालाब का पानी पीने के लिये और नहाने के लिये काम में आना चाहिए। इस प्रकार की दिक्कतें उदयपुर डिवीजन के किसानों के सामने बहुत आई और इनके लिये काफी झगड़े चले व आज भी चल रहे हैं।

दूसरा क्लॉज़ ६ है, जिसके बारे में निवेदन कर देना चाहता हूं "Provisions as to certain transfers and agreements."

इसके अन्दर यह बताया गया है कि जिनको १९५३ के बाद ट्रांसफर्स होंगे, उनको मान्यता नहीं देंगे। जमींदारी एबोलिशन बिल को जब हम देखते हैं तो उसमें यह प्रावधान है कि सन् ४९ के बाद के जितने भी ट्रांसफर्स हुए हैं उनको मान्यता नहीं दी जायगी। हम इसको मान्यता दे देते हैं तो इन चार सालों में जितनी भी गड़बड़ियां जमींदारों ने की हैं, उनको मान्यता दे देते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि सिलेक्ट कमेटी में इस बिल का जाना बहुत जरूरी है। अगर हम इसी को मान लेते हैं तो ४९ तक के जितने भी ट्रान्सफर्स हैं उनको मान्यता देनी पड़ेगी।

इसके बाद कम्पेन्सेशन का सवाल आता है। इस बारे में रिहैबिलिटेशन की ग्रान्ट का कोई प्रोवीज़न नहीं है और न देने की आवश्यकता है। कम्पेन्सेशन जो दिया जा रहा है, दस गुना, वह भी बहुत अधिक है, जब कि जागीरदारों को सात गुना कम्पेन्सेशन दिया

(श्री मोहनलाल भटनागर)

गया। तो जागीरदारों की स्थिति तो उनसे काफी कमजोर है। इसको देखते हुए कम्पेन्सेशन का जो प्रोविज़न है उसमें कमी करने की आवश्यकता है।

दूसरी बात, जनसंघ के माननीय सदस्य ने कही। वह बहुत ठीक है कि इन्टरमीडियरी खत्म होनी चाहिये, डायरेक्ट स्टेट और टीनेन्ट का सम्बन्ध होना चाहिये। इन सब बातों को देखते हुए इस बिल का सिलेक्ट कमेटी में जाना बहुत आवश्यक है।

क्लॉज़ ११ में :

"Subject to the provisions of sub-section (2), the maximum area of land allotted as khudkasht to a Zamindar or Biswedar under Section 10, together with any land held by him or by any member of his family as khudkasht since before the date of vesting, shall not exceed the ceilling area applicable to him"

सीलिंग एरिया की बात दी गई। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि सीलिंग अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। ऐसी सूरत में यह रिडन्डेन्ट रहता है। इसलिये जब तक सीलिंग का कानून हमारे सामने न आ जाय, तब तक सीलिंग एरिया के लिये यह लागू नहीं हो सकता। हम भी यह चाहते हैं कि इस कानून को जल्दी से जल्दी लागू किया जाय। इसलिये तो यह बिल लाया गया है। इसके समय के लिये सोचा जा सकता है। समय आप चाहे दस दिन का दें, चाहे पन्द्रह दिन का। यह महत्वपूर्ण बिल है। इसे सिलेक्ट कमेटी में जरूर भेजा जाना चाहिये। कम्पेन्सेशन आदि के ऐसे क्लॉजेज़ हैं, जिनको हम जल्दी से पास न करें तभी यह बिल फूल प्रूफ बन सकेगा। आखिर सदस्यों की इच्छा के बिना तो यह पास नहीं हो सकेगा। सिलेक्ट कमेटी से होकर भी सदन के सामने तो आयगा ही और यहीं के माननीय सदस्यों को उसे पास करना है। ऐसी सूरत में जिन कमियों को मैंने बताया है उनको दूर करने के लिये इसका सिलेक्ट कमेटी में भेजना बहुत आवश्यक है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय चेयरमैन महोदय, जमींदारी और बिस्वेदारी बिल, जो सदन के सामने आ रहा था, बद किस्मती से क्या मालूम, हमारे राजस्व मंत्री महोदय उसको सिलेक्ट कमेटी के सामने क्यों भेजना चाहते हैं? हो सकता है उन्होंने आने वाले चुनावों के लिये जमींदारों और बिस्वेदारों के वोट की खातिर इसको रख दिया हो पर यह बात मेरी समझ में नहीं आती। यह इस तरह से हुआ कि एक किसान के मुंह पर आई हुई रोटी को खोस लिया जा रहा है। सन् १६४७ के पहले जब वे और हम कांग्रेस में थे तब हम यह नारे लगाया करते थे कि जमींदारी और जागीरदारी नहीं रहेगी। आज उन्हीं नारों के आधार पर हमें आजादी मिली है और उसी के कारण हम विधान सभा में आकर बैठे हैं। आज विधान सभा में आने के बाद जो कार्यवाही हो रही है, वह और गुलाम बनाने की हो रही है। एक प्रकार से पूंजी इकट्ठी करने के लिये गरीबों का शोषण करने के लिये जो लोग जिम्मेदार हैं आज हम उन्हीं को प्रोत्साहन दे रहे हैं। ऐसी हालत में जब किसान लोग जमींदारों के गुलाम हैं इस कानून को पास न करना बहुत बुरा होगा। आज हो क्या रहा है कि एक जमींदार के पांच, दस हिस्सेदार काम करते हैं। जमींदार तो हाथी पर सवार होकर खेतों में जाता है। यह उन्हीं लोगों को खून पसीने की कमाई

(श्री हीराभाई)

पर मौज उड़ाता है। वह काश्तकारों से दस दस गुना तक लगान वसूल करता है। यही हालात जमींदारों और बिस्वेदारों की है। उन बातों को भूलकर आज हमारे मन्त्री महोदय उन गरीबों की ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं समझते। उनके हित की बातें आज करना वे भूल गये हैं। आज वे कहते हैं कि प्रवर समिति में जाने से कोई देर नहीं होगी, बल्कि ठीक शक्ल बन कर यह आवेगा। यह सब ठीक है। जब हमारे चुनाव आते हैं तो दूध के उफान की तरह उनकी वृत्ति हो जाती है। तब हम कानून बनाने के बारे में बहुत प्रचार करते हैं कि आपके लिये यह कानून बनाया है, यह बनाने जा रहे हैं, जल्दी बना देंगे। पर चुनाव निकलने के बाद सब भूल बैठते हैं।
तो आज जो हजारों किसान जमींदारों के यहां गुलामों की तरह जिन्दगी बसर कर रहे हैं। उनकी गुलामी दूर करनी हो तो हमारी कांग्रेसी सरकार उल्टा रुख धारण न करे।

पर आज तो ऐसा लगता है कि यह कांग्रेसी सरकार गरीबों से अपनी नजर हटा कर अमीरों, पूंजीपतियों, और जमींदारों को, जो गरीबों का शोषण कर रहे हैं, साथ लेकर चलना चाह रही है ताकि चुनाव में उनको धनराशि से सहायता मिलती रहे और उनके मातहत जो गुलामी की तरह जिन्दगी बसर कर रहे हैं, उन किसानों के वोट भी मिल सकें। इसलिये उन जमींदारों को गरीबों का खून चूसने के लिये खुला छोड़ना चाहती है और उस खून को चूसने से रोकने का जो यह कानून है, उसको मुलतवी कर देना चाहती है, टालबाजी करके कानून को आगे ले जा रहे हैं। इससे हजारों गरीबों का अहित होगा। आप आज सत्तारुढ़ हैं। मनचाही कर लें। पर नतीजा इसका आपके और हमारे लिये भी अन्तिम आ सकता है। एक उदाहरण दूं। गढ़ी का एक जमींदार था। आपके प्रचार की और इस ढिलाई की बातें सुनकर उसने किसानों को खेतों से बेदखल कर दिया, उनकी खड़ी पकी हुई अच्छी खेती को खत्म करवा दी। वे जानते हैं मिनिस्टर महोदय के पास ये जावेंगे तो कुछ इनका नहीं होगा। कम से कम एक हजार रुपयों का किसानों का नुकसान हुआ। जिसकी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। हम फिर भी सोचते हैं कि धीरे धीरे हमारे हित का कानून बनेगा, पर उसको भी आगे टालने की यह सरकार कोशिश कर रही है।

मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूँगा। आज जो आप काम करने लगे हैं, इन करनामों से आप तो खत्म होंगे ही सही, पर हमें भी कलंक लगेगा कि विधान सभा वालों ने भी इसमें वोट दिया होगा, आप अगर हमारे कलंक लगाना चाहते हैं तो अच्छी बात है। आप चाहें तो अपने को खत्म करने की तैयारी करें या बचाने की, यह आपके हाथ की बात है। इसी तरह से आप करते रहेंगे तो यह हमारे लिये भी बुरा होगा। पर अगर आप इस बिल को जल्दी पारित करेंगे तो हमारे लिये भी भला होगा, और आपके लिये भी। आप ऐसा करें ताकि फिर भी भविष्य में आपको वोट वे लोग भी देते रहें।

श्री रामचन्द्र (डग सु०) चेयरमैन महोदय, राजस्व मन्त्री महोदय ने जमींदारी और बिस्वेदारी एबोलिशन बिल जो पेश किया है और पेश करने के साथ साथ उन्होंने स्वयं अपनी ओर से इस विधेयक को बहुत महत्वपूर्ण बताया है और उस पर इसी सदन में

(श्री रामचन्द्र)

विचार के लिये रखने की इच्छा भी बताई है, पर फिर भी वे चाहते हैं कि इसके पारित करने के पहले इस पर और अच्छी तरह से विचार कर लिया जावे और इस आशय से यह प्रस्ताव रक्खा कि यह विधेयक सर्वप्रथम प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे।

आम तौर पर सदन में यह तरीका रहा है कि जो विधेयक पारित किये जाते हैं उनके लिये सदन के सदस्यों की ओर से यह मांग की जाती है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे ताकि उस पर और अधिक अच्छी तरह से विचार कर लिया जा सके। उनके मस्तिष्क में इस बात का भ्रम रह जाता है कि मन्त्री महोदय विधेयक को जल्दी से पारित करवा कर न मालूम क्या वे कुछ वैसा काम कराना चाहते हैं जो कि जनता के लिये लाभदायक न हो। लेकिन इस बिल के बारे में मन्त्री महोदय इस तरह का भ्रम सदस्यों के विचारों में न आने देने के उद्देश्य से अपनी ओर से ही अगर प्रस्ताव करते हैं कि इसको पहले प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे, तो इसमें क्या बुराई है। यह मेरी समझ में नहीं आई। मन्त्री महोदय के लिये कह सकता हूँ कि वह राजस्थान के हित के वास्ते जो बिल आ रहा है, उसको एक अच्छे ढंग से पारित करना चाहते हैं। लेकिन इसके विरोध में जो हमारे यहां बहुत से भाषण हुए उनमें यह बतलाया गया है कि इसको प्रवर समिति तक न भेजा जावे, यहीं विचार कर लिया जावे तो इससे मुझे ताज्जुब होता है कि जहां छोटे छोटे बिलों को तो वे प्रवर समिति में भेजने के लिये जोर देते हैं, वहां इस एक महत्वपूर्ण बिल को, जिसका बहुत अधिक असर जनता पर पड़ने वाला है, उसको यहां जल्दी में पास कराना चाहते हैं।

अलबत्ता यह कहा जा सकता है कि यह बिल बहुत देर से आया है, यह बहुत पहले आ जाना चाहिये था। अच्छा होता यह पहले आता, मैं भी मानता हूँ इसे। पर इस पर हमें सोचना है कि राजस्थान के हित के कई भूमिसुधार के कानून पास हो चुके हैं और उनकी संख्या देखी जावे और यह देखा जावे कि कौन अधिक महत्वपूर्ण था जिसको पहले और बाद में लेना चाहिये था, ताकि अधिक से अधिक जनता को अधिक से अधिक लाभ होता, तो हमें मिलेंगे सबसे पहले टीनेन्सी एक्ट, लैण्ड एक्ट और इस तरह के जो प्रमुख...

श्री भैरोंसिंह : यह लैण्ड एक्ट कौन सा एक्ट है ?

श्री रामचन्द्र : (जारी) धन्यवाद आपको। लैण्ड रिफॉर्म्स बिल हो सकता है। बाद में जागीरदारी एबोलिशन बिल भी पास हुआ और इसके बाद इनमें कई अमेन्डमेन्ट्स क्रम से आये। अब हमें विचार करना है कि ये बिल ज्यादा महत्वपूर्ण थे या यह जमींदारी और बिस्वेदारी बिल। उन बिलों का समस्त प्रान्त की जनता पर प्रभाव पड़ा, जब कि इस बिल का एक हिस्से पर असर पड़ने वाला है। इसलिये उनको पहले पास करना आवश्यक था।

दूसरी बात साथ की साथ विचार करने की यह है कि बिल को पारित कर लेना और उसको एक्ट का रूप दे देना ही काफी नहीं होता है। उसको अमल में लाना और जनता के मन को उसकी ओर मोड़ना राज्य सरकार के लिए अत्यन्त आवश्यक है। अभी हमारे यहां लेजिस्लेचर बने कुल ७ ही वर्ष हुए हैं। ७ वर्ष के अन्दर भूमि सुधार के बिल यहां से पारित किये गये, उनको इतने थोड़े समय

Page No.99

(श्री रामचन्द्र)

में अमल में लाना और अधिक से अधिक बिल पारित करके सभी लोगों पर थोपना अच्छी समझ की बात नहीं है। पहली बात तो यह है कि जो भी बिल पेश किया जाये उसको जनता के ऊपर अमली रूप दिया जाये, जनता का मन उसके अनुसार बनाया जाये। यह काम राज्य सरकार के लिए बिल पारित करने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं एक बात और देखता हूँ कि मंत्री महोदय ने इस सदन के अन्दर इस बिल को रखने में देरी की तो यह उनकी जिम्मेदारी थी कि भूमि सुधार बिल जो अब तक पास हुए हैं, उनको अमली जामा पहनाते और जनता के विचारों को उसके अनुसार बनाने का कर्त्तव्य उनका था। इसलिए मैं यही कहूँगा कि यद्यपि हमारे विरोधी सदस्यों की ओर से यह ऐतराज है कि यह बिल बहुत देरी से आया, लेकिन मैं यह कहूँगा कि 'देर आयद दुरुस्त आयद'। अगर देरी से आया तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसका रूप अच्छा बनाकर के आना चाहिए। इसलिए यह बिल सिलेक्ट कमेटी के ही सुपुर्द किया जाये।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : मिस्टर चेयरमैन, यह राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदारी एबोलिशन बिल का प्रस्ताव आया है, ऑनरेबल रेवेन्यु मिनिस्टर की तरफ से कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाये, इसका बड़ा अपोज़ीशन किया गया और अपोज़ीशन, मैं समझता हूं, अपोज़ीशन की खातिर किया गया है। हमारे लिए दो बातें देखने की हैं। एक तो यह देखनी है कि सिलेक्ट कमेटी की इम्पोर्टेन्स क्या है ? और एक बिल को सिलेक्ट कमेटी के सामने भेजा जाता है, उसी पर मकसूद नहीं है। जो बिल भी सिलेक्ट कमेटी के सामने भेजा जाता है वह किस पर्पज़ और आइडिया के साथ भेजा जाता है। यहां जब कभी भी सिलेक्ट कमेटी में किसी बिल के भेजे जाने के सिलसिले में कोई प्रस्ताव आया तो यह बतलाया गया कि बिल बहुत इम्पोर्टेन्ट है, इसमें बड़े डेलीकेट इश्यूज़ इनवाल्व्ड हैं, इसलिए इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिए। इसी तरह जब कभी सिलेक्ट कमेटी में भेजने पर विरोध हुआ तो यह बतलाया गया कि बहुत सिम्पल सी बात है और सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज जितने भी ग्राउन्ड्स और जितने भी रीज़न्स इस डिबेट में दिए गए उनमें यह बात तो मानी गई कि यह बड़ा प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है; यह बात भी तस्लीम की गई कि इसमें बड़े डेलीकेट इश्यूज़ इनवाल्व्ड हैं। फिर मैं नहीं समझ पाता कि जब यह इतना प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है, इसमें इतने डेलीकेट इश्यूज़ इनवाल्व्ड हैं तो फिर इसको सिलेक्ट कमेटी में क्यों नहीं भेजा जाये ? इसका मतलब यह हुआ कि जो डेलीकेट पॉइन्ट्स या इम्पोर्टेन्ट इश्यूज़ सिलेक्ट कमेटी तय कर सकती है, वे शायद इस बिल में तय किये जाने के काबिल नहीं हैं। हमें इस बिल को पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसकी इम्पोर्टेन्स को समझना पड़ेगा। यह बिल नया इन्ट्रोड्यूस हो रहा है और इस इन्ट्रोडक्शन में जो इसके सब पर्पजेज़ हैं उसके साथ साथ जो प्रोसीजर हैं उनको भी देखना पड़ेगा। कम्पेन्सेशन का एक डेलीकेट पोइन्ट है, उसके ऊपर भी गौर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ राइट ऑफ अपील और जितने भी इसमें इश्यूज़ दिए हुए हैं, इन सब पर गौर करना पड़ेगा और इस प्रकार हम यह कह सकेंगे कि तब यह लेजिस्लेशन आ

(श्री आबिदअली)

सकेगा। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अगर यह हाउस सिलेक्ट कमेटी की इम्पोर्टेन्स को समझता है, अगर यह हाउस जानता है कि सिलेक्ट कमेटी में जाने से कोई बिल ज्यादा निखर कर हमारे सामने आयेगा और इसमें जो खामियां हैं वे दूर हो जायेंगी तो इसको जरूर सिलेक्ट कमेटी में दिया जाना चाहिए। अगर इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने के बारे में कोई इम्पोर्टेन्स नहीं समझते हैं तो इसके सिलेक्ट कमेटी में जाने की जरूरत नहीं है। मेरी राय यह है कि चूंकि इसमें प्रोसीजर भी है, चूंकि इसमें कम्पेन्सेशन का पोइन्ट भी इनवाल्व्ड है, इसमें इम्प्लीमेन्टेशन का भी पाइन्ट इनवाल्व्ड है, इसलिए वे लोग जो इससे सम्बन्धित हैं, उनके हाथ में और जो लेजिस्लेचर के पोइन्ट के बारे में ऑनरेबल मेम्बर्स में से इस सिलसिले में अपनी बेहतर राय दे सकते हैं और जिनको लिबरली डिस्कशन करना है उनको भी मौका मिलता है तो ठीक है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करूंगा और चाहूँगा कि इसे सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाये।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): माननीय चेयरमैन महोदय, हमारे सामने अभी यह प्रस्ताव है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सामने भेजा जाये या नहीं। जो विचार प्रकट किये गये उनमें यह भी बतलाया गया कि यह प्रोग्रेसिव बिल है और यह भी बतलाया गया कि यह प्रोग्रेसिव नहीं है। अगर दोनों ही तरीकों से सोचें कि यह प्रोग्रेसिव नहीं है तो भी हमें सिलेक्ट कमेटी के पास भेजना चाहिए क्योंकि प्रोग्रेसिव बनाना है। अगर आप यह मानते हैं कि प्रोग्रेसिव है तब भी हमें जरूर भेजना चाहिए क्योंकि इसमें ऐसी बातें हैं जिनको हमें देखना है। जैसा अभी ब्यावर से आने वाले माननीय मित्र ने और दूसरे मित्रों ने इसमें खामियां बताई। सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने के बारे में जो प्रस्ताव राज्य सरकार के मंत्री महोदय की तरफ से आया उसके बारे में संशय लोगों के दिमाग में उपस्थित हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूं चेयरमैन महोदय कि कोई भी ठीक बात चाहे मंत्री की तरफ से आये, चाहे किसी सदस्य महोदय की तरफ से आये हमें उस पर गौर करना चाहिये। आज हम यह देखते हैं कि कोई भी बात मंत्री महोदय या सरकार की तरफ से आती है तो हम उसे संशय की दृष्टि से देखने लगते हैं। यह उपयुक्त नहीं है। आज छोटे छोटे बिल जो सिलेक्ट कमेटी के पास जाकर आते हैं उन्हें भी दुबारा सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव पारित करते हैं। फिर मुझे समझ में नहीं आता कि यह इतना बड़ा महत्वपूर्ण बिल है तो उसको सिलेक्ट कमेटी में नहीं भेजकर यहां पर ही मंजूर कर लेने की सोचते हैं! अगर थोड़ी देर के लिए माना जाय कि आज का आज ही इसे मंजूर किया जाय तो मैं बताता हूँ कि क्या आज सदन इसे मंजूर करने के लिए तैयार है? ऐसी अवस्था में यह कह देना कि आज ही पारित कर दिया जाये, यह उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। यह कह देते हैं कि जागीरदारी एबोलिशन एक्ट पास किया गया और उसके साथ जमींदारी एक्ट नहीं बनाया गया और उसमें डिले की गई है तो मैं बताता हूँ कि बहुत से काम ऐसे होते हैं; जैसे बीमारी जो भयंकर होती है उसको पहले मिटाना होता है और मिटाई गई है। इसी प्रकार जो छोटी छोटी बीमारियां हैं वे भी मिटाते जा रहे हैं। एक माननीय सदस्य ने यह बताया कि सन् ५२ से पहले सब एक्ट पास हुए, मैं बताता

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

हूँ कि वह भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी और आज भी है। इसलिए जो भी आज प्रोग्रेसिव बिल पेश किये जा रहे हैं कांग्रेस गवर्नमेंट पेश कर रही है। ऐसी अवस्था में यह कहना कि कांग्रेस गवर्नमेन्ट प्रोग्रेसिव नहीं है, बिलकुल नहीं माना जा सकता। यह कहा जाता है कि जिनके पीठ और कंधे मजबूत होते हैं वे ही साहस कर सकते हैं, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि जिनकी आत्मा में बल है, जो सीना तानकर आगे बढ़ते हैं वे ही प्रोग्रेसिव होते हैं। इसलिए पीछे से पीठ तो सब की बलवान होती है, यह आत्मा में बल तो कांग्रेस में है और वह सदा अपने काम का गर्व से संचालन करती है और करती आ रही है। इसलिए आप सोचेंगे कि पहले राजाओं का...

श्री मुक्तिलाल मोदी : दूसरे के नाम पर वोट ले रहे हैं और कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : (जारी) इस प्रकार आपको मालूम होना चाहिए कि राजाओं के बारे में हुआ, जागीरदारी एबोलिशन हुआ और अब जामींदारी एबोलिशन की जा रही है। इसके लिए यह नहीं सोचना चाहिए कि काँग्रेस गवर्नमेन्ट कोई जमींदारों का पक्ष ले रही है। उसको अपने वोट का फायदा उठाना होता है तो वह जागीरदारों से ज्यादा फायदा उठा सकती थी, लेकिन उसने इस बात को कदापि सोचा नहीं कि हमको किससे वोट मिलेगा, लेकिन उसने अपना कर्त्तव्य अदा किया। वह जमींदारों के वोट को पुख्ता नहीं मानती है। काश्तकार और मजदूर सलामत रहें और काश्तकार और मज़दूरों के लिए ही यह बात की जा रही है, इसलिए यह कहना कि जमींदारों का पक्षपात कर रहे हैं भूल होगी। यह महत्वपूर्ण बिल है और सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिए; इसलिए भेजा जाना चाहिए कि इसमें बहुत खामियां हैं। जो आसामी कही जाती है लेकिन वे खुद काश्त नहीं करते हैं और दूसरे से करा रहे हैं; और बेजा फायदा उठा रहे हैं, इसमें शामिल नहीं किया गया है, उनको करना है। यह महत्वपूर्ण बिल है और इसका होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सिलेक्ट कमेटी से वापिस आने की १५ तारीख के बजाय ७ तारीख रख दें, जिससे जो सदस्यों के दिमाग में यह बात है कि जमींदारी बिल को आगे ले जाना चाहते हैं, वह मिट जायगी और बिल भी सुचारु रूप से हमारे सामने आ जायगा। मेरी यही प्रार्थना है।

श्री सूबेदारसिंह (बड़ी) : चेयरमैन महोदय, आज यह बिल पेश हुआ। इसके साथ साथ मन्त्री महोदय ने इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए सुझाव रखा है, उस पर हाउस में वाद-विवाद चल रहा है। चेयरमेन महोदय, मैं उस इलाके का रहने वाला हूँ जहां कि जमींदारी प्रथा चल रही है। जब हमारा देश गुलाम था उस समय गुलामी से छूटने के लिये हम बराबर प्रयत्न कर रहे थे और बार-बार जनता को कांग्रेस के जरिये यह सन्देश देते थे कि आजादी के साथ देश के अन्दर एकता स्थापित करेंगे, समानता का व्यवहार सब के साथ होगा; न देश में रियासतें रहेंगी, न जागीरदार और जमींदार रहेंगे। आज हमारे देश को ११ वर्ष हो गये स्वतन्त्र हुए। यह ग्यारहवां वर्ष चल रहा है। यह जो बिल आया है, मैंने आज से ६ महीने पहले अपना एक प्राइवेट बिल इसी प्रकार का रखा था, लेकिन किन्हीं कारणवश वह असे-

(श्री सूबेदारसिंह)

म्बली में नहीं आ सका । चेयरमैन महोदय, जमींदारी एक ऐसी प्रथा है कि आज जब सब रियासतों का एकीकरण होगया, राजस्थान में जागीरदारियां भी सभी समाप्त कर दी गई, लेकिन जिन जिलों में या जिन तहसीलों में जहां जमींदारी कायम है वहां की जनता आज भी अपने आपको गुलाम महसूस करती है । वे अपने आपको आजाद नहीं कहते हैं । यह आजादी उनको सही माने में तभी मिल सकेगी जब कि वे जमींदारी की कठिन परिस्थितियों से बच सकेंगे ।

मैं जिस जगह से आया हूं, धौलपुर से, उसके इधर और उधर उत्तर प्रदेश मिलता है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश मिलता है । दोनों ही प्रान्तों में जमींदारियां समाप्त हो चुकी हैं । जिस राजस्थान में हम रहते हैं वहां जागीरदारी समाप्त हो चुकी है, लेकिन हमारे वहां के काश्तकार बार-बार जोर-जोर से बड़ी इच्छाओं के साथ, बड़ी-बड़ी आशाओं के साथ हमसे पूछते हैं कि आखिर आपके यहां जमींदारी प्रथा कब तक चालू रहेगी । हम बार-बार यही कहते हैं कि कोई प्रजातान्त्रिक सरकार तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि उसके अन्दर काश्तकार और राज्य के बीच में कोई भी बीच का हिस्सा बंटाने वाला रहेगा । लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि हमको आजाद हुए १० वर्ष व्यतीत हो गये, लेकिन हम जमींदारों के कटघरे से बेचारे काश्तकारों को मुक्त नहीं कर सके हैं ।

चेयरमैन महोदय, काश्तकारों पर क्या मुश्किलें आती हैं यह तो मैं अच्छी तरह जानता हूं । वहां पर काश्तकार जब कि आषाढ़ की बारिश होती है और अपना हल लेकर खेत में बोने जाता है तो जमींदार उसको दरवाजे से पकड़ कर बुला लेता है और जमींदार अपनी काश्त में उसको ले जाकर अपने खेत में उसको बोना शुरू करवा देता है । जब बारिश होती है तो काश्तकार अपने खेत को नहीं जोत कर जमींदार के खेत में हल चलाता है । किसान जी में दुखी होता है कि यह बारिश क्या हो रही है, यह सोना बरस रहा है । क्या ही अच्छा होता कि मैं अपने खेत में बीज डाल देता तो अच्छी सुनहरी फसल पैदा होती । इस आनन्द में डुबकी लगाता हुआ वह हल चलाता है जमींदार के खेत में, तो वह टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएं निकाल कर पूरी कर देता है, क्योंकि उसको जमींदार सबसे पहले अपने खेत में काम पर बुलाता है । यह ठीक है कि राजस्थान सरकार ने बेगार प्रथा बन्द कर दी है, लेकिन आज भी हमारे यहां जमींदारी प्रथा है, वहां बेगार प्रथा ज्यों की त्यों कायम है । चेयरमैन महोदय, मैंने यह बात इसलिए कही कि वहां का काश्तकार यदि आजाद होता, जमींदारी की जंजीरों में कसा हुआ नहीं होता, तो आषाढ़ की पहली वर्षा में वह किसान अपने खेत में गाता हुआ अपना बीज बोता और उसके खेत की अनाज की पैदावार होती । किसान अपने खेत में समय पर बीज नहीं बो पाता, और जमींदार के खेत में बोने जाता है । रो-धोकर जैसे-तैसे जल्दी में हल चला कर बो देता है । इसका परिणाम दूसरी ओर यह होता है कि जमीन में अनाज पैदा कम होता है और हमारी प्रोड्यूस कम होती है ।

चेयरमैन महोदय, हमारी सरकार यह सोचती है कि ग्रामों का विकास हो, पंचायती राज्य हो, इसके विपरीत आज हम यह देखते हैं कि गांव-गांव में किसानों और जमींदारों के बीच में नवीन-नवीन झगड़े खड़े होते जा रहे

(श्री सूबेदारसिंह)

हैं। जहां हम सोचते हैं कि हममें एकता की भावना हो वहां आज भी जमींदार इस युग में जब कि किसान को बेदखल नहीं कर सकते हैं, वहां जिला धौलपुर में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं कि किसान जो १०–१२ साल से काश्त करता हुआ आ रहा है वहां जमींदार उनको बेदखल कर देता है, मगर जनता की, इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं होती। वह आज भी चल रहा है, क्योंकि जमींदार गांव का रहने वाला है और काफी असर रखता है। उसका असर थाने में है, तहसील में है और गवर्नमेंट में भी है। काश्तकार २०–२५ वर्ष से काश्त कर रहे हैं, लेकिन टीप दर्ज हो रही है जमींदार के नाम। हरिजनों के कुछ केसेज़ मैंने हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब श्री सम्पतराम जी, जब धौलपुर आये थे, तब उनको बताये थे। हरिजन खेती करता चला आ रहा है १५–२० साल से, लेकिन टीप दर्ज होती है जमींदार के नाम से, उनकी हिम्मत नहीं होती कि कोर्ट में जायं। अगर कोर्ट में जाते हैं तो अदालत से भी जिसके नाम की टीप होती है, उसको ही खेत मिलता है।

रेवेन्यु मिनिस्टर साहब ने कहा था कि कोई भी चारागाहों को तोड़ नहीं सकता है, लेकिन जमींदार अपने आपको जमीन का मालिक समझता है। वह चेलैन्ज देता है कि अगर मैं अदालत में जाऊंगा और हाईकोर्ट में भी जाऊंगा तो उस जमीन का रेकार्ड भी मेरे साथ-साथ जायगा। उस रेकार्ड में जब तक जमीन पर मेरा कब्जा है तब तक राज्य नहीं छीन सकेगा, राज्य का कोई अधिकार नहीं है कि मुझे उससे वंचित कर सके, अपनी जमीन पर बैठा हूँ और अपनी जमीन पर काश्त कर रहा हूं। इस प्रकार से आज वहां पर बहुत से काश्तकार समाप्त होते जा रहे हैं। चेयरमैन महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम यह प्रोग्रेसिव कदम उठाना चाहते हैं। हमने हर मामले में भूमि सुधार किया, सारी बातें की हैं, ऐसी हालत में जो बिल इतनी देर से आया है उसको फिर भी सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय,यह ठीक नहीं है। मैं यह मानता हूं कि उन्होंने इस तरह की सहानुभूति दिखाई है किसानों के लिए कि जमींदारी जल्दी से जल्दी समाप्त होनी चाहिए, तो इसको अब सिलेक्ट कमेटी में नहीं भेजना चाहिए। हो सकता है कि कुछ माह के लिये आगे चला जाय और जमींदार लोग इससे बच जायं। इसमें देर तो हो रही है, लेकिन मैं तो इसको सहानुभूति ही समझता हूं कि अब जमींदारी को रखने में कोई फायदा नहीं है। आज कोई नहीं चाहता कि जमींदारी रखी जाय, फिर भी सिलेक्ट कमेटी को जायगा तो निश्चय ही मैं यह समझता हूं कि जिस प्रकार से एक माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंह जी ने कहा है कि अब की बार हम मिले हैं ५ महीने और २६ दिन के बाद तो, इस प्रकार सिलेक्ट कमेटी में चला गया तो और ६ महीने चले जायेंगे तो हम तो यही आश्वासन चाहेंगे कि वह सिलेक्ट कमेटी में जाय।

श्री मदनसिंह दांता : आजकल हार्टफेल की बीमारी बहुत होती है, शायद मर भी जायेंगे।

श्री सूबेदारसिंह : तो जो जिन्दा रहेंगे वही देखेंगे। मेरा यह कहना है कि यह इस प्रकार का बिल है जिसको पास करने में देरी नहीं करनी चाहिये। माननीय श्री चतुर्वेदीजी ने बताया कि अगर इसे सिलेक्ट कमेटी में ही भेजना हो तो हमारा यह अधिवेशन अभी

(श्री सूबेदारसिंह)

नवम्बर के अन्त तक चलेगा और भी आगे बढ़ जाय। ऐसी हालत में इसकी रिपोर्ट जल्दी ही इसी सैशन में आ सकती है और यह पारित किया जा सकता है। आजकल प्रजातंत्र का जमाना है, इस समय किसानों और राज्य के बीच में मध्यस्थता करने वाला कोई नहीं रहना चाहिये। जब तक इस प्रकार का व्यक्ति किसानों और राज्य के बीच में रहेगा, तब तक न तो देश का विकास हो सकता है और न राज्य का और न किसान का विकास हो सकता है। जब तक आप इस प्रकार की मध्यस्थता को समाप्त नहीं करेंगे तब तक प्रान्त के ८० पर्सेन्ट किसानों का भला नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजना ही चाहते हैं तब तो जल्दी ही उसकी रिपोर्ट मंगाकर इसी अधिवेशन में इसे पास करवा लीजिये, वरना इसमें थोड़े से क्लॉज़ेज़ हैं, इसलिये कोई जरूरत नहीं है सिलेक्ट कमेटी में भेजने की। यह बिल यहां पेश हो चुका है और एक-दो दिन में पास हो जायगा और राजस्थान में जो हिस्सा इस प्रथा से पीड़ित है उसको राहत मिल जायगी। यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : सभापति महोदय, अब तो समय हो गया है, कल का दिन इसके लिये और रख दीजिये।

श्री सभापति : आप तो बोलिये। कल का समय और मिल जायगा।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : चेयरमैन महोदय, जो यहां पर जमींदारी और बिस्वेदारी एबोलिशन बिल मंत्रीजी ने पेश किया है और उसके साथ ही यह प्रस्ताव रखा है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। जैसा कि काफी समय से सदन में इस विषय पर चर्चा हो रही है और मैंने देखा है कि सदन का बहुमत, दो सदस्यों को छोड़कर बाकी सभी सदस्यों ने एक ही तरीके विचार प्रकट किये हैं। सभी के द्वारा सरकार पर एक प्रकार का आरोप लगाया गया है कि सरकार सामन्तवादी तत्वों के साथ मिलकर आज जो प्रगतिशील बिल आया था सदन के सामने, उसको पास नहीं होने देना चाहती है और उसमें ढिले करना चाहती है। सभापति महोदय, मेरा भी यही विचार है। मैं सोचता हूँ कि इस सदन की एक परिपाटी है और वह यह है कि इस सदन में जो बिल पेश किये जाते हैं उनमें यदि कोई कमी होती है तो उसको दूर करने के लिए मंत्रीजी की ओर से या किसी सदस्य की ओर से प्रस्ताव आता है कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाय। जहां तक इस बिल को मैंने पढ़ा है मुझे कोई कमी इस बिल में नजर नहीं आई। यह एक अच्छा प्रगतिशील बिल है। जब हम आज के युग में समाजवाद की बात करते हैं और जनता के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने की बात करते हैं और बेकारी को दूर करने की बात करते हैं ऐसी हालत में एक सामन्तवादी प्रथा को, जो सदियों से हमारे यहां चल रही है, हटाने की बात करते हैं और यह कहते हैं कि समाज का जो हिस्सा इस प्रथा से पीड़ित है उसको हटाने में देरी करने की बात करना उचित नहीं है और इस प्रथा को ज्यादा दिनों तक कायम रखना उचित नहीं है।

सभापति महोदय, हर काम से दो फायदे होते हैं। इससे भी दो फायदे हैं। एक तो यह कि जिन लोगों को प्रतिक्रियावादी विचार-धारा के लोग कहते हैं, उनको समाप्त किया

(श्री गिरधारीलाल)

जा सकेगा। जो लोग प्रतिक्रियावादी हैं उनको पनपने का सरकार ने और मौका दिया है। यह बिल ऐसा है जिसे जल्दी से जल्दी आज से साल दो साल पहले ही पास करना चाहिये था, जिससे राजस्थान की जनता को फायदा होता। यह सड़ी-गली प्रथा है। राजाओं का राज्य समाप्त किया और जागीरदारों की जागीरें समाप्त कीं, तो इस प्रथा को भी समाप्त करने के लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रयत्न करना चाहिये। जागीरदारी प्रथा तो खत्म कर दी लेकिन इसके खत्म करने में डिले की जा रही है। एक माननीय मित्र ने अपने भाषण में यह कहा कि हमें शक है कि कहीं मंत्रीजी के ऊपर ऐसे तत्वों द्वारा दबाव नहीं डाला जा रहा है जो किसानों को राहत नहीं पहुँचाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वे इस तरह का प्रस्ताव सदन में लाते हैं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

मैं ज्यादा न कहकर केवल एक बात और कह दूं कि इस तरह का प्रगतिशील बिल है उसको प्रवर समिति को आप सौंपना चाहते हैं डिले या देरी करने के लिये, यह उचित नहीं हैं। कुछ दूसरे कानून जो ज्यादा जरूरी नहीं थे और जो किसानों को फायदा पहुंचाने वाले नहीं थे उनको पारित कराने के लिये आप जल्दी करना चाहते है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि समय हो चुका है। आपने टिनेन्सी एक्ट में दूसरा, तीसरा और चौथा अमेन्डमेन्ट किया है, इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। इनको आप जल्दी से जल्दी लाना चाहते है। इससे किसानों का फायदा होने के बजाय नुकसान ही होगा। यदि असलियत से सोचें तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है कि मंत्रीजी किसानों के बारे में कम समझते हैं। आप उस कानून को, जिससे किसानों का फायदा होने वाला है जल्दी पास नहीं होने देना चाहते हैं। ये सारी चीजें यह बताती हैं कि हम पीछे जाना चाहते हैं, आगे नहीं जाना चाहते। समाजवाद की बात कह कर आप केवल वोट लेना चाहते हैं। आज जनता चाहती है कि गरीब मिटे और किसी के पास करोड़ों रुपये न हों। आज कोई न चाहेगा कि २४ घंटा काम करने के बाद भी एक आदमी को एक रुपया मिले और दूसरे आदमी के पास करोड़ों रुपयों की संपत्ति हो। आज की जनता समाजवाद को चाहती है और इसीलिये कांग्रेस ने समाजवाद का नारा अपनाया है, लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि आप लोग केवल वोट लेने के लिये ही यह नारा अपना रहे हैं! जब तक जनता अनभिज्ञ है, पढ़ी लिखी नहीं है तभी तक आप उससे वोट ले सकते हैं। जब जनता समझ जायगी, तब वह आपके धोखे में नही आवेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ४.५८ बजे, दिनांक ३० अक्टूबर १९५८ के ११ बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(बुधवार, २६ अक्टूबर, १९५८)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

मेसर्स गणेश आयर्न फैक्टरी को टीन के पत्तरों की पर्मिट।

ठिकाना उनियारा की डिस्पेन्सरी।

सांभर-मालपुरा सड़क का निर्माण।

जयपुर शहर की हरिजन बस्तियां।

कोटा बांध के निकट चम्बल नदी का बहाव।

नगरपालिकाओं को जमीन बिक्री के अधिकार।

रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट।

देवली कस्बा व आस-पास के गांवों का टोंक डिस्ट्रिक्ट में सम्मिलित किया जाना।

महाराव भीमसिंह अस्पताल कोटा में प्रसूतिगृह।

त्रिपोलिया बाजार में विदेशी के साथ गुण्डागर्दी की घटना।

माउण्ट आबू म्युनिसिपल क्षेत्र में प्रवेश हेतु आगन्तुक-कर।

हिस्टोरिकल भवन, जिला टोंक।

धौलपुर जिले में डाकू विरोधी अभियान।

चिकित्सा विभाग की जीप की पेड़ से टक्कर।

पक्की सड़कों की मरम्मत।

७६४ पॉवर हाउस, बीकानेर की व्यवस्था।

पाडीव तथा सिरोही के बीच की नदी कामेडी पर पुलिये का निर्माण।

लोहे व चद्दर से भरे ट्रक को जयपुर पुलिस द्वारा पकड़ा जाना।

एलेक्जेण्डरा होस्पिटल अलवर का "ए" श्रेणी के अस्पताल में परिवर्तन।

जोधपुर से राजबाग तक बिजली की लाइन।

वेक्सीनेटर्स की नियुक्ति।

जि० भरतपुर में जलाधिक्य के कारण सिंचाई बांधों का टूटना।

अनाज की मंहगाई।

लाइव स्टॉक इन्सपेक्टर की ग्रेड।

जिला झालावाड़ के बांधों के डूब में आई हुई जमीनों का मुआवजा।

कोटा के निकट के पांचना बांध की क्षति।

सैशन जज, जयपुर के रेकार्ड में आग लग जाने के बारे में।

पाली नगरपालिका द्वारा पानी के पाइप लगाना।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

डॉ० चन्द्रकला, सदस्या, विधान सभा, को दिनांक २८-१०-५८ से ३१-१०-५८ तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई।

वक्तव्य

जामसर की जिप्सम की खानों के सम्बन्ध में गृहमंत्री द्वारा वक्तव्य ८५८

श्री रामकिशोर व्यास, गृह मंत्री, ने जामसर की जिप्सम खानों के मजदूरों की हड़ताल सम्बन्धित स्थिति पर एक वक्तव्य दिया।

मोटर विहिकल्स (बम्बई संशोधन) निरसन (संशोधन) विधेयक, १९५८ ८६५

(पुरः स्थापन)

श्री नाथूराम मिर्धा, यातायात मंत्री, ने सदन की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् मोटर विहिकल्स (बम्बई संशोधन) निरसन (संशोधन) विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित किया।

राजस्थान पशु-रोग विधेयक, १९५८ ८६५

(अग्रेतर वाद-विवाद) प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक के खण्ड १३ से आज विचार प्रारंभ हुआ।

खण्ड १४ से २१, २४, २६ से ३३, ३५, ३८ से ४० परिशिष्ट व खण्ड १ बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये। खण्ड ९, १३, २२, २३, २५ से २८, ३४, ३६ व ३७ संशोधित रूप में स्वीकृत हुए। खण्ड १० विलोपित किया गया एवं एक नया खण्ड ३७ ए जोड़ा गया।

राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, १९५८ ९३७

(विचार-विमर्श)

इस विधेयक पर आज भी विचार स्थगित रहा।

राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी (उत्सादन) विधेयक, १९५८

(विचारार्थ)

उपरोक्त विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव श्री दामोदरलाल व्यास राजस्व मंत्री ने प्रस्तुत किया। इस पर की गई बहस में निम्न लिखित सदस्यों ने भाग लिया—

१. श्री भैरोंसिंह (१४)
२. ,, मूलचन्द डागा
३. रावल नरेन्द्रसिंह
४. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
५. डॉ० बहादुरसिंह
६. श्री भोलानाथ
७. ,, बृजमोहनलाल शर्मा
८. ,, मुक्तिलाल मोदी
९. ,, सोहनलाल भटनागर
१०. ,, हीराभाई
११. ,, रामचन्द्र
१२. ,, आबिदअली
१३. ,, पुरुषोत्तमलाल शर्मा

Page No.108

१४. ,, सूबेदारसिंह

१५. ,, गिरधारीलाल

गुरुवार, दिनांक ३० अक्टूबर १९५८ की कार्यसूची

(१) राजस्थान पशुरोग विधेयक, १९५८ (पारित)

(२) राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी (उत्सादन) विधेयक १९५८ (विचारार्थ स्वीकृत)

(३) राजस्थान फोरेस्ट (संशोधन) विधेयक, १९५८ (खंडशः विचार-विमर्श एवं पारित)

(४) राजस्थान लैण्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिज़म्पशन ऑफ जागीर्स अष्टम संशोधन विधेयक, १९५८ (विचार-विमर्श)

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १७८ का उत्तर देखिये)

उन शहरों की सूची जिनमें राजस्थान प्रेमिसेज़ (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड एविक्शन) एक्ट, १६५० लागू किया गया है।

१. बांसवाड़ा (बांसवाड़ा)
२. भीलवाड़ा (भीलवाड़ा)
३. भिनडार (उदयपुर)
४. चित्तौड़गढ़ (चित्तौडगढ़)
५. डूंगरपुर (डूंगरपुर)
६. नाथद्वारा (उदयपुर)
७. निम्बाहेड़ा (चित्तौड़)
८. प्रतापगढ़ (चित्तौड़)
६. शाहपुरा (भीलवाड़ा)
१०. उदयपुर सिटी (उदयपुर)
११. अलवर सिटी (अलवर)
१२. आमेर (जयपुर)
१३. बयाना (भरतपुर)
१४. भरतपुर सिटी (भरतपुर)
१५. भुसावर (भरतपुर)
१६. चिड़ावा (झुंझनू)
१७. दौसा (जयपुर)
१८. डीग (भरतपुर)
१६. धौलपुर (भरतपुर)
२०. जयपुर सिटी (जयपुर)
२१. झुंझुनू (झुंझुनू)
२२. कामां (भरतपुर)
२३. करौली (सवाई माधोपुर)
२४. खेतड़ी (झुंझुनू)

Page No.110

२५. किशनगढ़ (जयपुर)
२६. मालपुरा (टोंक)
२७. निवाई (टोंक)
२८. सांभर (जयपुर)
२९. सवाई माधोपुर (सवाई माधोपुर)
३०. सीकर (सीकर)
३१. सिंघाना (झुंझुनू)
३२. तिजारा (अलवर)
३३. टोंक सिटी (टोंक)
३४. वैर (भरतपुर)
३५. बीकानेर सिटी (बीकानेर)
३६. चूरू (चूरू)
३७. गंगानगर (गंगानगर)
३८. रतनगढ़ (चूरू)
३९. सादूलगढ़ (हनुमानगढ़) (गंगानगर)
४०. बारां (कोटा)
४१. ब्रिजनगर (झालावाड़)
४२. बूंदी सिटी (बून्दी)
४३. छाबड़ा (कोटा)
४४. झालरापाटन (झालावाड़)
४५. कोटा सिटी (कोटा)
४६. लाखेरी (बून्दी)
४७. रामगंज मंडी (कोटा)
४८. सांगोद (कोटा)
४९. सिरोंज (कोटा)
५०. बाड़मेर (बाड़मेर)
५१. जैसलमेर (जैसलमेर)
५२. जालोर (जालोर)
५३. जोधपुर सिटी (जोधपुर)
५४. नागौर (नागौर)

५५. पाली (पाली)

५६. सिरोही (सिरोही)

५७. भवानी मंडी (कोटा)

५८. हिन्डोन (जयपुर)

५९. जोबनेर (जयपुर)

६०. सूरतगढ़ (गंगानगर)

६१. अजमेर (अजमेर)

६२. ब्यावर (अजमेर)

६३. नसीराबाद (अजमेर)

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या २०३ का उत्तर देखिए)

१	२	३	४
1.	Ajmer.	Ajmer.	40.
		Beawar.	16.
		Nasirabad.	6.
		Kishangarh.	2.
2.	Alwar.	Alwar.	15.
3.	Bharatpur.	Bharatpur.	12.
		Dholpur.	2.
		Bayana.	3.
		Bari.	1.
		Rupbas.	1.
		Sirmuthura.	1.
4.	Bikaner.	Bikaner.	23.
		Ganganagar.	2.
		Mahwa,	2.
		Deshnoke.	2.
		Bhinasar	1,
		Shri Kolayatji.	1.
		Napasar.	1.
		Lunkaransar.	1.
5.	Banswara	Banswara.	2.
		Tehsil Ghantol.	1.
		Tehsil Bagidara.	1.
		Tehsil Kushalgarh.	1.
6.	Bundi.	Bundi.	6.
7.	Barmer.	Barmer.	5.
		Pachpadra City.	2.

१	२	३	४
		Balotra.	1.
		Pachpadra Salt.	1.
		Chohtan.	1.
		Gunga.	1.
		Harsani.	1.
		Siwana.	1.
		Bishala.	1.
		Salwa.	1.
8.	Bhilwara.	Bhilwara.	5.
9.	Churu.	Churu.	5.
		Sujangarh.	3.
		Sardarshahar.	3.
		Sadulpur.	2.
		Ratangarh.	2.
		Shri Dungargarh.	2.
		Taranagar.	1.
10.	Chittorgarh.	Chittorgarh.	2.
		Partapgarh.	2.
		Nimbahera.	1.
		Kaparen.	1.
11.	Doonparpur.	Doongarpur.	1.
		Sagwara.	1.
		Aspur.	1.
12.	Shri Ganganagar.	Sbri Ganganagar.	[illegible]
		Nohar.	2.
		Tehsil Bhadra.	3.
		Hanumangarh Town.	2.
		Shri Karanpur.	1.
		Suratgarh.	1.
		Gogomeri.	1.
13.	Jaipur.	Jaipur.	112.

१	२	३	४
24.	Jodhpur.	Jodhpur.	29.
		Phalodi.	2.
		Marwar Lohawat.	2.
		Bap.	1.
		Au.	1.
		Peelwa.	1.
15.	Jalore.	Jalore.	1.
		Bakra Road.	1.
16.	Jaisalmer.	Jaisalmer.	1.
		Pokaran.	1.
17.	Jhalawar.	Jhalawar.	3.
		Jhalrapatan.	1.
		Pachpahar.	1.
		Bakani.	1.
		Gangdhar.	1.
		Dag.	1.
		Pirawa.	1.
		Khanpur.	1.
		Manoharthana.	1.
		Sunal	1
		Aklera.	1.
18.	Jhunjhunu.	Jhunjhunu.	8.
		Bagar.	1.
		Surajgarh.	3.
		Dundlod.	3.
		Chirawa.	2.
		Pilani.	1.
		Monda.	1.
		Nawalgarh.	1.
19.	Kota.	Kota.	8.
		Baran.	5.

१	२	३	४
		Chhabra.	4.
		Ramganjmandi.	1.
20.	Nagour.	Nagour.	8.
		Didwana.	8.
		Marta City.	3.
		Degana.	3.
		Khatu Choti.	2.
		Parbatsar.	2.
		Makrana.	2.
		Borawar.	2.
		Ladnun.	2.
		Khunkhuna.	1.
		Nawa.	1.
		Kuchaman City.	1.
		Gachhipura.	1.
21.	Pali.	Pali.	5.
		Falna.	1.
		Erinpura.	1.
		Sumerpur.	1.
		Sendra.	1.
		Raipur.	1.
		Jaitaran.	1.
		Sojat.	2.
22.	Sawai Madhopur.	Sawai Madhopur.	5.
		Hindaun.	5.
		Karauli.	5.
		Gangapur.	5.
23.	Sikar..	Sikar.	10.
		Shri-Madhopur	1.
		Fatahpur Shekhawati.	3.
		Reengush.	1.

१	२	३	४
24.	Sirohi.	Sirohi	1.
		Sheo Ganj.	1.
		Pindwara.	1.
		Sarupganj.	1.
		Abu Road and Mount Abu.	2.
25.	Tonk.	Tonk.	4.
26.	Udaipur.	Udaipur.	22.
		Nathdwara.	1.
Total:-26.		127.	535.

परिशिष्ट ३

(वे प्रश्नोत्तर जो प्रश्न-काल में नहीं लिये जा सके)

प्रश्न

मणियारी बांध को लघु सिचाई योजना की सर्वे

२१०. श्री मूलचन्द डागा, एम० एल० ए०, डिवीजन नम्बर १०३ :—
क्या सिंचाई मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

क्या पाली तहसील में मणियारी बांध की लघु सिंचाई योजना की सर्वे पूरी हो चुकी है ? यदि हां, तो उसमें कुल कितनी धनराशि खर्च होगी तथा उक्त कार्य कब तक समाप्त किया जावेगा ?

उत्तर

मणियारी बांध की सर्वे हो चुकी है और उसकी अनुमानित लागत करीब १ लाख होगी। कार्य शुरू होने के बाद उसकी की समाप्ति में करीबन डेढ़ वर्ष लगेगा।

प्रश्न

कोटा इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट द्वारा प्लॉटों की बिक्री

२११. (१७६। एल० एल० एम०) श्री भैरवलाल कालाबादल, एम० एल० ए०, डिविजन नम्बर १२—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) कोटा सिटी इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट ने अब तक किस रेट पर प्लॉट बेचे हैं ?

(२) क्या यह सही है कि कुछ व्यक्तियों को रेट के अलावा २ आना प्रति वर्ग फुट छूट भी दी गई है ? यदि हां, तो उक्त छूट किस आधार पर और किन किन व्यक्तियों को दी गई है ?

(३) सिटी इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट द्वारा बेचे गये प्लॉट्स की कितनी रकम किन किन व्यक्तियों में बकाया है तथा ऐसे किन किन व्यक्तियों ने उन जमीनों पर मकान बना लिये हैं ?

उत्तर

(१) चार आने, छः आने एवं आठ आने प्रति वर्ग फुट के हिसाब से।

(२) जी हां। वह छूट केवल अल्प गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण लेने वालों को दी गई है।

(३) सूची संलग्न है।

Page No.118

अल्प गृह निर्माण के अन्तर्गत, नगर विकास विभाग कोटा द्वारा बेचे गये भू भागों की सूची

गुमानपुरा—क्षेत्र

क्रम संख्या	नाम खरीददार	प्लॉट नं०	क्षेत्रफल वर्गफुट	दर प्रति वर्गफुट	कुल योग रकम	रकम (कार्य बकाया या नहीं)
१.	श्री मांगीलाल वर्मा	१अ	४३३१.२५	–४–०	१०८२.८१	३३२–८१
२.	श्री महेन्द्रकुमार	२०अ	३०००	०–६–०	११२५.००	३७५–००नहीं
३.	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता	२१अ	३०००	०–६–०	११२५.००	३७५–००
४.	श्री तेजकिरण शर्मा	२२अ	३०००	०–६–०	११२५.००	३७५–००
५.	श्री विष्णुदत्त	२४अ	३०००	०–६–०	११२५.००	३७५–००
६.	श्री मंगलसैन मग्गा	२६अ	३०००	०–६–०	११२५.००	३७५–००
७.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	२७अ	३०००	०–६–०	११२५.००	७२५–००
८.	श्री हरीप्रसाद	२८अ	३०००	०–६–०	११२५.००	७२५–००
९.	श्री लक्ष्मी नारामण	३१अ	३०००	०–६–०	११२५.००	३७५–००
१०.	श्री कृष्णगोपाल शर्मा	३३अ	३०००	०–६–०	११२५ ००	७५०–००
११.	श्री गोविन्दलाल हैडमास्टर	३४अ	३०००	०–६–०	११२५.००	३७५–००
१२.	श्री प्रभुनन्द शर्मा	३५अ	३०००	०–६–०	११२५.००	३७५–००
१३.	श्री श्रीकिशन	३७अ	३०००	०–६–०	११२५.००	३७५–००
१४.	श्री कृष्णगोपाल विजय	३८अ	३०००	०–६–०	११२५.००	७५०–००
१५.	श्री नन्दकिशोर जैन	३९अ	३०००	०–६–०	११२५.००	३७५–००
१६.	श्री देवीदत्त	४०अ	३०००	०–६–०	११२५.००	६५०–००
१७.	श्री रामनिवासजी हाथा	९द	६०००	०–८–०	३०००.००	३०००–००
१८.	श्री माधोलाल खानपूरिया	११द	६०००	०–६–०	२२५०.००	६००–००
१९	श्री बृजगोपाल जोशी	१६द	६०००	०–८–०	३०००.००	२०००-००नहीं
२०.	डाक्टर एल. बी. कामठ	१९द	६०००	०–८–०	३०००.००	१०००-००
२१.	श्री भैरवलाल कालाबादल	२४द	६०००	०–६–०	२२५०.००	१३५०-००
२२.	श्री मुरारीलाल गुप्ता	२५द	६०००	०–६–०	२२५०.००	७५०–००
२३.	श्री तेजमल जैन	२९द	६०००	०–६–०	२२५०.००	१५००-००

१	२	३		४	५	६
२४.	श्री लक्ष्मणस्वरूप पोरवाल	३०८	६०००	०–६–०	२२५०.००	७५०–००
२५.	श्री हरिवल्लभ गौतम	३१८	६०००	०–६–०	२२५०.००	१५००–००
२६.	श्री श्रीनाथ गौतम	३२८	६०००	०–६–०	२२५०.००	१५००–००
					योग	द २०,२८२,८१

नयापुराक्षेत्र। (बी ब्लॉक)

२७.	श्री बद्रीप्रसाद गुप्त	२६	२४६३.८०	०–४–०	६२३।६६	२२३।६६
२८.	श्री आर. के भारद्वाज	२७	२६५७.००	०–६–०	६६६।६७	६६३।६२
२९.	श्री प्रकाश नारायण	४०	२७००.००	०–६–०	१०१६।२५	६६७।५०
३०.	श्री घासीराम चतुर्वेदी	४२	२६१६.६६	०–६–०	६८१।२५	६५४।२५
३१.	श्री पन्नालाल	४३	२५८३.३२	०–६–०	६६८।७५	६४३।७५
३२.	श्री हरीचरण लाल	४४	२५७४.००	०–६–०	६६५।००	६३०।००
					योग	३,४८२।७१

कैदियों को शिक्षा का प्रबन्ध

२१२. (१२७। एच. एम.) श्री हीरा, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ६२:–क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) राजस्थान में कुल कितनी जेल हैं तथा उनमें पांच साल व उससे अधिक सजा वाले कैदी १–१–१९५८ को कितने थे ?

(२) क्या उक्त जेलों के कैदियों को शिक्षा देने का कोई प्रबन्ध है ?

(३) यदि हां, तो वहां बुनियादी शिक्षा तथा टेक्निकल उद्योग जैसी क्या क्या शिक्षा दी जाती है ?

(४) क्या जेलों में प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा लेने का भी इन्तजाम है ?

उत्तर

१. कुल ८७ जेलें हैं। तथा १–१–५८ को ६६३ कैदी थे।

२. हां, कैदियों को बड़ी जेलों में; जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा अजमेर व टौंक पर बुनियादी शिक्षा देने का व जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, टौंक, अलवर, भरतपुर उदयपुर स्थित जेलों पर उद्योग धन्धों की शिक्षा का प्रबन्ध है।

३. बुनियादी शिक्षा में मामूली हिन्दी लिखना-पढ़ना, जोड़ बाकी गुणा भाग करना सिखाया जाता है। अलग अलग जेलों में अलग अलग उद्योगधन्धे चलते हैं, जो कैदियों को सिखलाये जाते हैं।

४. हां। केन्द्रीय कारागृहों में प्रबन्ध है।

जोधपुर में मीटर चार्जेज में बढ़ोतरी

२१३. (१६५। एच. एम.) श्री भैरोंसिंह, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर १४:—क्या मन्त्री, विद्युत विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में Meter charges सन् १६५६ से १) रु० माहवार प्रति मीटर लिये जाते रहे हैं, जो Electricity Act के अनुसार आठ आने लिये जाने चाहिये ?

(२) यदि हां, तो इतने Charges क्यों लिये गये ? क्या सरकार इस अधिक वसूल की गई रकम को तुरन्त refund करवाने की आज्ञा देगी ?

(३) Excess charges की यह रकम कुल मिलाकर कितनी होती है ?

उत्तर

(१) जोधपुर में मीटर रेन्ट एक रुपया महावार लिया जा रहा है। इलैक्ट्रीसिटी एक्ट में मीटर रेन्ट की कोई दर निश्चित नहीं है।

(२) जोधपुर के मीटर रेन्ट की दर का सवाल राजस्थान इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड देख रहा है। सरकार से इस विषय में आदेश देने का अब कोई प्रश्न नहीं रहता।

(३) अभी इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता।

सादड़ी में नगरपालिका की स्थापना

२१४. (१८२ ।एल. एल. एम) श्री मनरूपराम परिहार, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर

६६:—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि पाली जिला में सादड़ी गांव की जनसंख्या १२ हजार से अधिक है ? यदि हां, तो कितनी है ?

(२) क्या यह सही है कि वहां जनता की म्युनिसिपैलिटी बनाने की लम्बे समय से मांग चली आ रही है ? यदि हां, तो कब से तथा अब वहां म्युनिपैसिलिटी कब तक बना दी जावेगी ?

उत्तर

पाली जिले में सादड़ी ग्राम की जनसंख्या सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार ११,१५२ है।

जी नहीं · सादड़ी में नगरपालिका स्थापित किये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

बांधों से सिंचाई

२१५. (१३४।एच. एम.) श्री रामकरण सिंह, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १३४:– क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में कुल कितने छोटे और कितने बड़े बांध हैं तथा उनसे कुल कितनी भूमि की सिंचाई होती है ?

(२) इनमें से कौन कौन से बांध पुराने हैं और कौन कौन से राजस्थान सरकार ने बनाये हैं या बनाये जा रहे हैं ? वे कब कब बनाये गये थे और प्रत्येक से कितनी भूमि की सिंचाई होती हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें

(३) क्या किसी बांध के बनाने से किसी ग्राम को दूसरी जगह बसाना पड़ा ?

(४) यदि हां, तो सरकार ने बसाने में क्या मदद दी ?

(५) क्या बैराठ तहसील में छीतोली बांध के बनने में लाला वाला ग्राम को दूसरे स्थान पर बसाना पड़ेगा ?

(६) यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित व्यक्तियों को अपने मकान व नई बसावट के जिये मदद देगी ?

(७) यदि हां, तो कितनी कितनी तथा किस हिसाब से और कब तक ?

उत्तर

(१) सिंचाई विभाग के अधीन-छोटे बड़े मिला कर करीबन १८०० बांध हैं, उनमें से जिनकी सिंचाई इस विभाग द्वारा दर्ज की जाती है उनसे सन् १९५७–५८ में ५९७००० एकड़ भूमि में सिंचाई हुई, बाकी कुछ बांधों की सिंचाई मालगुजारी दरों में शामिल है व कुछ की राजस्व विभाग द्वारा दर्ज की जाती है।

(२) इनमें से ३९ बांध नये बनाये हैं व ६१ बांध अभी बनाये जा रहे हैं, उनके विषय में विवरण संलग्न सूची में अवलोकन करें। बाकी बांध पुराने है और उन सबका विवरण बहुत अधिक विस्तृत व अनिश्चित होने के कारण सदन में प्रस्तुत करना आसान नहीं है।

(३) जी हां, कई गाँवों को।

(४) सरकार द्वारा उचित मुआवजा व जमीन का प्रबन्ध किया गया।

(५) नहीं।

(६) प्रश्न ही नहीं उठता।

(७) प्रश्न ही नहीं उठता।

सूची नये कामों की जो बन चुके हैं :

क्र० सं०	नाम कार्य	लागत लाखों में	सम्पूर्ण होने का वर्ष	सिंचाई जो हुई १९५७।५८ में
	जिला उदयपुर			
१	मदार	०. ७०	१९५३।५४	१०६
२	काचरी	१. ३६	१९५६।५७	२००
३	बगोलीया	१३. १४	१९५६।५७	१,५७०
४	कालाभाटा	२. ४१	१९५६।५७	५३१
५	उदयसागर केनाल	५. २६	१९५७।५८	२.६६६
६	स्यामपुरा केनाल	३६५	१९५७।५८	——
	जिला पाली			
७	जावई	२५०.००	१९५७।५८	१७.३८७
८	बाकली	९.८०	१९५७।५८	८.५८६
	जिला सिरोही			
९	भला	३.८६	१९५६।५७	८६८
१०	ओरा	१५.९२	१९५७।५८	२१५५
११	जुबली	०.७३	१९५७।५८	—
	जिला जयपुर			
१२	मारेल	४१.००	१९५७।५८	२३७६
१३	झिलमिला		१९५१।५२	३४७
१४	राहवास		१९५१।५२	टूटा हुआ
१५	बिन्डौली		१९५४।५५	—
१६	कालाखो		१९५५।५६	१००२
	जिला सवाईमाधोपुर			
१७	जैतपुरा	१३.२१	१९५२।५३	१४५३
१८	भन्डारी	२।२४	१९५२।५३	१०६२
१९	भगवतगढ़	४. २६	१९५५।५६	१७२

१		२	३	४	५
२०	मुई	२.५६	१९५३।५४		२४६
२१	नागतलाई	४.४०	१९५३।५४		७२४
२२	नीदर	४.७६	१९५६।५७		१२५
२३	पीलोदा	०.४६	१९५१।५२		—टूटा हुआ
२४	लोहारा	०.०७	१९५१।५२		१७४
२५	मामचारी	२.८०	१९५५।५६		टूटा हुआ
	जिला टोंक				
२६	दान्तरी	०.२६	१९५१।५२		—
२७	डोरीया	०.४५	१९५१।५२		—
२८	बनेरीया	०.३४	१९५१।५२		—
२९	बटेर	०.४६	१९५३।५४		—
३०	सलपुरा	०.३२	१९५३।५४		२३
३१	जंगलपुरा	०.२७	१९५३।५४		—
३२	डीकिया	२.३०	१९५४।५५		टूटा हुआ
	जिला भरतपुर				
३३	सैयदपुरा	१.४६	१९५२।५३		७२५
३४	खानवा	३.६८	१९५१।५२		१७०३
	जिला अलवर				
३५	सिरसा देवी पीक अप वीयर	२.४२	१९५१।५२		—
३६	रामपुर	३.८१	१९५७।५८		—
३७	हरसोरा	३.५६	१९५७।५८		—
३८	रूपारेल	०.६४	१९५६।५७		१४०२
	जिला भीलवाड़ा				
३९	कुन्दली	२.६४	१९५७।५८		२४४

————

सूची नये कामों की जो बन रहे हैं।

क्रम संख्या	नाम योजना	लागत लाखों में	सिंचाई १९५७–५८
	जिला उदयपुर		
१	खारी	३१. ३४	२६००
२	नमोना	३७.५६	९७४
३	भाट कैनाल	४.७२	—
४	सोम पिक अप वीयर	५.७७	५३३
५	इटाली खेड़ा	५.८६	—
६	मुरेलीया	४.२१	—
७	ब्रामनी रीवर	२.३६	—
८	वनाकीया	४.८५	—
९	कालादेह	१,७४	३८
१०	वन्डोरा	३.८८	—
११	जाखम (पार्ट स्कीम)	१५.०९	—
	जिला डूंगरपुर		
१२	लोडीसरका नाका	१४.२९	२७०
	जिला चित्तौड़		
१३	गोडाला	३.०८	—
१४	गम्भीरी	४४.२३	३४४५
१५	सरेनीयाना	२.९८	१६०
१६	वोरड़ा	२.७२	५१२
	जिला बांसवाड़ा		
१७	सरवानियां	६.४४	—
१८	हारो प्रोजेक्ट	४.२४	१०६
	जिला भीलवाड़ा		
१९	मेजा	५९.००	९५००
२०	सरेरी	३४.२७	४७००
२१	अरवाड़	३८.७५	—

१	२	३	४
२२	देवरीया	३.८०	—
२३	अटवाड़ा	४.५०	—
२४	पाटन	३.१३	—
२५	नागदी	३.०७	—
२६	चन्द्रभागा	७.०६	—
२७	लाखोला	०.३६	७४६
	जिला सवाईमाधोपुर		
२८	सूरवाल	७.२५	२६
२९	कालीसिल	२३.६४	७१८
३०	जग्गर	१४.७४	२४११
३१	पंचोलास	२.६४	४६
	जिला टोंक		
३२	गलवा	३०.००	—
३३	मासी	२९.६७	—
३४	मोटीसागर	४. २४	११३३
३५	गलवानीया	३.६५	—
३६	अजगरा	१.४१	—
३७	दौलतसागर	२.०४	—
	जिला कोटा		
३८	परवन	१८.००	—
३९	कालीसिन्ध	३४.१७	—
	जिला झालावाड़		
४०	भीमसागर	२४,००	—
४१	नाकासरना	०.२८	—
	जिला बूंदी		
४२	गुढा	६३.११	—
४३	बूंदी का गोथरा	१५.००	४६०

१	२	३	४
४४	पाइबालापुरा	८.१४	१७४
४५	भीमलत	३.६६	—
४६	पेच की बावड़ी	२.१४	४००
४७	तालावास	०.६६	—
	जिला भरतपुर		
४८	पारबती	६०.००	—
४९	बुचेरा बन्द और केनाल	०.४५	—
	जिला जोधपुर		
५०	गीरीनन्दा	८.६७	—
	जिला सिरोही		
५१	सुकरी	६.५६	—
५२	टोकरा	३.२६	—
५३	कादम्बरी	२.५७	—
	जिला पाली		
५४	दान्तीवाड़ा	२.२०	—
	जिला नागौर		
५५	मेरून्दा	१.७८	—
	जिला अलवर		
५६	छीतोली	५.०४	२०४
५७	भीवारी	०.११	—
	जिला अजमेर		
५८	रूपसागर	०.१८	—
५९	माथूवारा	०.३४	—
६०	उन्टरा	५.३५	—
६१	गोपालसागर	०.२६	—

चम्बल और कालीसिंध के किनारे की जमीन को खेती योग्य बनाना

२१६. (१४८ एच. एम) श्री रामनारायण वर्मा, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर: १३८:—

क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार चम्बल और काली सिन्ध के किनारे की हजारों बीघा खालों की पड़त जमीन को समतल कर खेती योग्य बनाने का विचार रखती है ?

(२) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है और यह कार्य कब से प्रारम्भ किया जाने वाला है ?

(उत्तर अनुपलब्ध)

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक २६ अक्टूबर, १६५८)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
७६६	८	was suspened	was suspended
७६७	८	socal activities	soceal activities
७६६	६	thet	that
८०६	अन्तिम से ११	प्रश्न का उत्तर	प्रश्न का उत्तर
८११	७	आवगमन के साधन	आवागमन के साधन
८१४	१	इन्स्मेट्रन्ट्स	इन्स्ट्रूमेन्ट्स
८२४	अन्तिम लाइन	(अपनुस्थित)	(अनुपस्थित)
८२७	३	लगाने फी	लगाने की
८२७	अन्तिम से १०	!e this Connection	in this Connection
८३१	१७	मरी इन्फोर्मेशन है	मेरी इन्फोर्मेशन है
८३२	१२	पूछा	पूछ
८३३	अन्तिम से ७	श्री सूरजमल (फलौदा)	श्री सूरजमल (फलौदी)
८३६	शीर्ष	(श्री नाथूराज मिर्धा)	(श्री नाथूराम मिर्धा)
८३६	३	ग्रोड	ग्रेड
८३६	४	Tehsils ?	Tehsils
८४१	अन्तिम से १२	कहां तक उजित	कहां तक उचित
८४४	अन्तिम से १६	foad grains	food grains
८४४	१८	Gentral subject	Central subject
८४५	११	Dd the	Did the
८५१	१४-१५	execuutive Engineer	executive Engineer
८५६	१४-१५	Municipaety passed	Municipality passed
८५६	३-४	मजडूरों को	मजदूरों को

१	२	३	४
८६८	१२	श्री नाथराम मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
८७०	६	वह इन्लूपेक्टर	वह इसपेक्टर
८७२	१२	the inspecter	the inspector
८७४	ऊपर से १	श्री नाथराम मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
८९१	अन्तिम से ६	To stope and	To stop and
८९२	अन्तिम से ४	animas shall be	animals shall be
८९२	५	हमारे समाने	हमारे सामने
८९३	ऊपर से ६	श्रमदन	श्रमदान
८९३	अन्तिम से ७	I will drect	I will direct
८९४	ऊपर से १२	my amenement	my amendment
८९४	अन्तिम से ८	मेरा अमेंडमेंट	मेरा अमेंडमेन्ट
८९६	ऊपर से ५	citcumstances	Circumstances
८९६	६	Government to do	Government to do ?
८९८	अन्तिम से ८	framed so for	framed so far
८९९	ऊपर से ११	a suggetion	a suggestion
९०१	१४	को संबोधिन	को संबोधित
९०१	अन्तिम से १०	real intertious	real intentions
९०२	ऊपर से ४	of recovery fines imposed by a Cort	recovery of fines imposed by a Court
९०७	शीर्ष	हशु–रोग विधेयक	पशु–रोग विधेयक
९०८	अन्तिम से १३	Sir, this lst	Sir, This list
९०९	ऊपर से १६	amenadment	amendment
९१०	अन्तिम से १२	शिडयूल डिसीज	शिड्यूल डिजीज़
९११	ऊपर से २	क्लेज माइन्ड	क्लोज़ माइन्ड
९२१	७	no ybjection	no objection
९२१	अन्तिम से ३	माननीय चेअरनैन	माननीय चेअरमैन
९२४	अन्तिम से १४	संशोधति रूप में	संशोधित रूप में
९२६	अन्तिम लाइन	put of order	point of order
९३१	अन्तिम से १८	ये वार्डिग्स है	ये वर्डिंग्स हैं
९३३	ऊपर से ५	recommeudation	recommendation

१	२	३	४
६३३	७	on the qnes	on that ques
६३५	६	wthout any	without any
६३७	अन्तिम से १५	उत्पादन विधेयक	उत्पादन विधेयक
६५५	ऊपर से २	रावल श्री नरेन्द्रमिंह	रावल श्री नरेन्द्रसिंह
६१	अन्तिम से ४	श्री दमोदरलाल व्यास	श्री दामोदरलाल व्यास
६७८	अन्तिम से ६	बर्दादत	बर्दाश्त
६८२	ऊपर से २०	माननोय मदस्यों	माननीय सदस्यों
६८६	अन्तिम से ८	उनका मातहत	उनके मातहत
६८७	अन्तिम से ८	लिये भी	लिए भी !
६६२	ऊपर से ४	इम्पोटेन्स	इम्पोंटेन्स
६६४	अन्तिम से १३	जामींरदारी	जमींदारी
६६	अन्तिम से १३	इनबार	इम बार
१००	अन्तिम से १७	अधिषेशन	अधिवेशन
१०१६	अन्तिम से १५	श्री लद्नी नारामण	श्री लक्ष्मीनारायण